MMRC

वार्षिक विवरण 2021-22

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

Mumbai Metro Rail Corporation Ltd.

Trial run of first Prototype Train set of Metro Line-3
(Colaba-Bandra-SEEPZ)

मेट्रो लाइन–3 (कोलाबा–बांद्रा–सीप्ज़) के प्रथम मूलरूप ट्रेन सेट का ट्रायल रन

परियोजना की प्रगति

मुंबई सेंट्रल मेट्रो स्टेशन पर 41वां ब्रेकथ्रू

110 किलोवाट का गैसरोधक सब स्टेशन (जीआईएस)

विधानभवन मेट्रो स्टेशन का हवाई दृश्य

बांद्रा-कुर्ला कॉम्पलेक्स मेट्रो स्टेशन

मुंबई सेंट्रल मेट्रो स्टेशन पर 41 वां ब्रेकथ्रू

सांताक्रूज स्टेशन पर प्रदर्शित बैनर

परियोजना की प्रगति

केबल तहखाना कक्ष

समपार (क्रॉसओवर)

मेट्रो-3 के ट्रैकों के साथ पूरी तरह से तैयार सुरंग

एनएटीएम समपार (क्रॉसओवर) आचार्य अत्रे चौक मेट्रो स्टेशन

एनएटीएम कालबादेवी

एमईपी कार्य

परियोजना की प्रगति

कालबादेवी मेट्रो स्टेशन पर एनएटीएम कार्य प्रगति पर

बीकेसी मेट्रो स्टेशन पर सुदृढ़ीकरण कार्य प्रगति पर

टी-2 मेट्रो स्टेशन पर एनएटीएम कार्य प्रगति पर

सहार रोड मेट्रो स्टेशन पर कैंची समपार (सीजर क्रॉसओवर) कार्य प्रगति पर

एमआईडीसी में परीक्षण के लिए संस्थापित मूलरूप एस्केलेटर

सीप्ज मेट्रो स्टेशन

परियोजना की प्रगति

चर्चगेट मेट्रो स्टेशन का हवाई दृश्य

महालक्ष्मी में टीबीएम गतिविधि

हुतात्मा चौक मेट्रो स्टेशन का हवाई दृश्य
चल रहे कार्य का चित्रण

सीप्ज़ मेट्रो स्टेशन का हवाई दृश्य

दादर मेट्रो स्टेशन पर कार्य प्रगति पर

साइंस म्यूजियम मेट्रो स्टेशन का हवाई दृश्य

सांस्कृतिक कार्यक्रम

आज़ादी का अमृत महोत्सव 2022

आज़ादी का अमृत महोत्सव 2022

साइकिल रैली टीम

साइकिल रैली 2022

कार्यालय में दिवाली

सांस्कृतिक कार्यक्रम

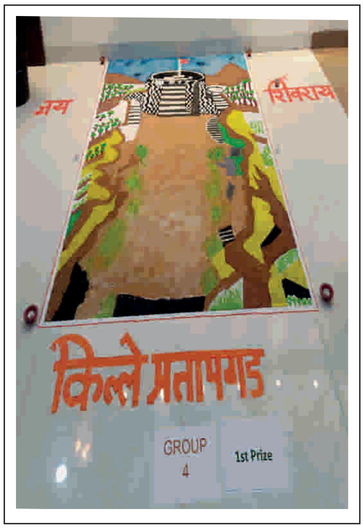

रंगोली - समूह 4
प्रथम पुरस्कार

रंगोली - समूह 1 - तृतीय पुरस्कार

रंगोली - समूह 2 - सांत्वना पुरस्कार

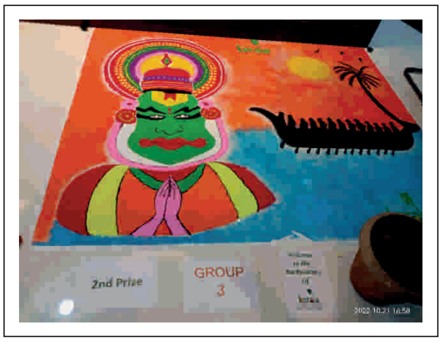

रंगोली - समूह 3 - द्वितीय पुरस्कार

कार्यालय में दिवाली समारोह

कार्मिक की उपलब्धि

श्री उमेश मोहन गवंडे

वरि. उप महाप्रबंधक (लेखा) [बी.कॉम., एम.कॉम., चार्टर्ड अकाउंटंट कंपनी सचिव, एलएल.बी., सीएमए(इंटर), जीडीसीए]

ये वर्ष 2015 में कंपनी से जुड़े। इन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंटेड ऑफ इंडिया द्वारा जनवरी, 2022 माह में संचालित "सूचना प्रणाली अंकेक्षण" (आईएसए) में सफलतापूर्वक परा-शैक्षणिक डिग्री और व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया।

Roll No. 3825

The Institute of
Chartered Accountants of India

Post Qualification Course in Information Systems Audit (ISA)

This is to certify that
UMESH MOHAN GAVANDE
Son of MOHAN SITARAM GAVANDE
Membership No. 129077
of MUMBAI
has successfully completed practical training
and has passed the
Information Systems Audit (ISA)
Assessment Test (2.0) conducted by
The Institute of Chartered Accountants of India
in the month of January, 2022

Given under the Common Seal of
The Institute of Chartered Accountants of India
this 10th day of February, 2022

(Jai Kumar Batra)
SECRETARY

(Nihar N Jambusaria)
PRESIDENT

विषय

1.	निदेशक मंडल	8
2.	स्थगित 14वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना	9
3.	वार्षिक आम बैठक की सूचना	11
4.	अध्यक्ष का संबोधन	23
5.	निदेशक का प्रतिवेदन	31
6.	परिशिष्ट सहित स्वतंत्र सचिवीय लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन	60
7.	भारत के लेखा नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	75
8.	स्वतंत्र लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन	81
9.	31 मार्च 2022 तक का तुलन-पत्र	101
10.	31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष का लाभ एवं हानि विवरण	102
11.	31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण	103
12.	वित्तीय विवरणों के एक भाग के रूप में टिप्पणियां	106

निदेशक मंडल

श्री मनोज जोशी (29.12.2021 से प्रभावी)	अध्यक्ष, एमएमआरसीएल तथा सचिव – आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार
श्री दुर्गा शंकर मिश्रा (29.12.2021 तक)	अध्यक्ष, एमएमआरसीएल तथा सचिव – आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार
श्री रणजित सिंह देओल (15.03.2022 तक)	प्रबंध निदेशक, एमएमआरसीएल
श्री एस वी आर श्रीनिवास (03.06.2021 से प्रभावी)	महानगर आयुक्त, एम.एम.आर.डी.ए., नामित निदेशक, महाराष्ट्र सरकार
श्री श्याम सुंदर दुबे	संयुक्त सचिव तथा वित्तीय सलाहकार, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार
श्री जयदीप	निदेशक, एमएमआरसीएल तथा ओ.एस.डी. (यू.टी.) और पदेन संयुक्त सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार
श्री सुधांशु शेखर जोशी (30.11.2021 तक)	निदेशक, एमएमआरसीएल और नामित निदेशक, भारत सरकार
श्री मनोज सौनिक	अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त, नामित निदेशक, महाराष्ट्र सरकार
श्री इकबाल सिंह चहल	बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त, महाराष्ट्र सरकार
श्री आर.ए. राजीव (31.05.2021 तक)	महानगर आयुक्त, एम.एम.आर.डी.ए., महाराष्ट्र सरकार
श्री भूषण गगराणी	प्रधान सचिव - शहरी विकास नामित निदेशक, महाराष्ट्र सरकार
श्री सुबोध कुमार गुप्ता	निदेशक (परियोजना), एमएमआरसीएल
श्री अजयकुमार ए. भट्ट	निदेशक (प्रणाली), एमएमआरसीएल
श्री अबोध खंडेलवाल	निदेशक (वित्त) तथा मुख्य वित्तीय अधिकारी, एमएमआरसीएल

कंपनी सचिव

सुश्री ऋतु देब — कंपनी सचिव

सांविधिक लेखापरीक्षक

मेसर्स चंदाभॉय एंड जस्सोभॉय
सनदी लेखाकार
एफओएफ2, फीनिक्स हाउस, 'बी' विंग,
चौथी मंजिल, 462, सेनापति बापट मार्ग,
लोअर परेल, मुंबई - 400013

सचिवीय लेखापरीक्षक

मेसर्स रागिनी चोकशी एण्ड कं.
कंपनी सचिव,
34, कामेर बिल्डिंग, 5वीं मंजिल,
38, कावसजी पटेल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई - 400 001

बैंकर्स

1. भारतीय स्टेट बैंक 2. एचडीएफसी बैंक 3. आईसीआईसीआई बैंक 4. आईडीबीआई बैंक 5. पंजाब नेशनल बैंक

पंजीकृत कार्यालय

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार का संयुक्त उद्यम)
'ट्रांजिट कार्यालय', "ई" ब्लाक, सिटी पार्क के उत्तर में, आयकर कार्यालय के पीछे, 'ए' विंग,
बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400051

सूचना

एतद् द्वारा **सूचना** दी जाती है कि मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमएमआरसीएल) की स्थगित 14वीं वार्षिक आम बैठक निम्नलिखित व्यवसाय को संव्यवहत करने के लिए **सोमवार 14 नवंबर, 2022** को **अपराह 2:45 बजे विडीयो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य दृश्य–श्रव्य माध्यम (ओएवीएम)** के जरिए आयोजित की जाएगी:

सामान्य व्यवसाय:

(1) 31 मार्च, 2022 तक लेखापरीक्षित तुलन पत्र एवं उस तिथि को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लाभ और हानि विवरण के साथ निदेशक मंडल और लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन जिसमें भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सम्मिलित हैं, को प्राप्त कर उनपर विचार करना एवं उन्हें अंगीकृत करना।

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए एवं की ओर से

कंपनी सचिव

स्थान: मुंबई

दिनांक: 10.11.2022

टिप्पणियां:

1. कोविड-19 वैश्विक महामारी के प्रसार को ध्यान में रखते हुए कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने अपने परिपत्र संख्या 14/2020, दिनांक 08 अप्रैल, 2020; परिपत्र संख्या 17/2020, दिनांक 13 अप्रैल, 2020; परिपत्र संख्या 22/2020, दिनांक 15 जून, 2020; परिपत्र संख्या 33/2020, दिनांक 28 सितंबर, 2020; परिपत्र संख्या 39/2020, दिनांक 31 दिसंबर, 2020; परिपत्र संख्या 02/2021, दिनांक 13 जनवरी, 2021; परिपत्र संख्या 02/2022, दिनांक 05 मई, 2022 (एमसीए के रूप में सामूहिक रूप से संदर्भित) के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य श्रव्य-दृश्य माध्यमों (ओएवीएम) के जरिए वार्षिक आम बैठक (एजीएम) आयोजित करने की अनुमति दी है। बैठक के लिए किसी आम स्थल पर सदस्यों को शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं रहना है। कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के प्रावधानों तथा एमसीए परिपत्रों के अनुपालन के क्रम में कंपनी का एजीएम वीसी / ओएवीएम के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है।

2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसरण में वार्षिक आम बैठक में संव्यहृत किए जाने वाले विशेष व्यवहारों से संबंधित व्याख्यात्मक विवरण संलग्न परिशिष्ट में दिए गए हैं।

3. चूंकि एजीएम का आयोजन वीसी / ओएवीएम के माध्यम से किया जाएगा, अत: सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा इस एजीएम के लिए नहीं है। अत: इस सूचना के साथ प्रॉक्सी प्रपत्र और दिशानिर्देशिका सहित उपस्थिति पर्ची संलग्न नहीं की गई है।

4. सदस्यों तथा प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध किया जाता है कि वे संलग्न उपस्थिति पर्ची में फोलियो संख्या निर्दिष्ट करते हुए एवं उसे विहित रूप में भरकर हस्ताक्षरयुक्त रूप में अपने साथ इस बैठक में लेकर आएं।

5. संयुक्त धारकों के वार्षिक आम बैठक में उपस्थित रहने की दशा में कंपनी की सदस्य-पंजिका के अनुसार नामों के क्रम में प्रथम धारक के रूप में जिनका नाम उल्लिखित होगा, उन्हें मतदान करने का अधिकार होगा।

6. लेखों के संबंध में किसी भी जानकारी की मांग करने वाले सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे जल्द से जल्द (वार्षिक आम बैठक की तिथि से 7 दिनों से अधिक नहीं) कंपनी को लिखें ताकि प्रबंधन को वार्षिक आम बैठक में जानकारी तैयार रखने में सुविधा हो।

7. संलग्न सूचना के साथ संदर्भित सभी कागजात कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में वार्षिक आम बैठक की तिथि तक शनिवारों और रविवारों को छोड़कर सभी कार्यदिवसों के दौरान पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न, 1:00 बजे तक निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे।

वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमएमआरसीएल) के सदस्यों की 14वीं वार्षिक आम बैठक 29 सितंबर, 2022 को अपराह्न 3.05 बजे से वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग ('वीसी') के जरिए निम्नलिखित विषयों पर संव्यवहार करने के लिए आयोजित की गई है:

सामान्य व्यवहार:

(1) 31 मार्च 2022 तक लेखापरीक्षित तुलन पत्र एवं उस तिथि को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लाभ और हानि विवरण लेखा पत्रक के साथ निदेशक मंडल और लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन जिसमें भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सम्मिलित हैं, को प्राप्त कर उनपर विचार करना एवं उन्हें अंगीकृत करना।

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) सहपठित धारा 142 के प्रावधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी के लिए यथानियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक निश्चित करने के लिए निदेशक मंडल को प्राधिकृत करना।

विशेष व्यवहार:

(3) **श्री मनोज जोशी, (डीआईएन : 02103601) की कंपनी के नामित निदेशक के रूप में नियुक्ति:**

विचार कर के तथा यदि उचित समझा जाए तो आशोधन सहित/रहित निम्नांकित को एक साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करना:

"प्रस्ताव पारित किया जाता है कि भारत सरकार से प्राप्त पत्र संख्या के-14011/17/2017-एमआरटीएस-समन्वय, दिनांक 10 जनवरी, 2022 तथा कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग से प्राप्त आदेश संख्या 36/01/2021-ईओ (एसएम-1) दिनांक 27.12.2021 जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160, 161 तथा इस संबंध में लागू अन्य प्रावधानों के साथ पठित है एवं इस संबंध में यथावश्यक अन्य सभी सांविधिक अनुमोदनों के अध्याधीन श्री मनोज जोशी, डीआईएन संख्या 02103601 को 30 दिसंबर, 2021 के प्रभाव से कंपनी के पदेन नामित निदेशक के रूप में एतद् द्वारा नियुक्त किया जाता है जो तब तक प्रभावी रहेगा जब तक कि भारत सरकार के किसी अन्य आदेश द्वारा अन्यथा कोई निर्णय नहीं लिया जाए या इससे इतर कोई अन्य निर्णय नहीं लिया जाए।"

"आगे प्रस्ताव पारित किया जाता है कि उक्त नियुक्ति की जानकारी कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय को देने के लिए सभी कार्यवाही करने तथा जरूरी ई-प्रपत्र दाखिल करने एवं इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए निदेशक मंडल और/या कंपनी सचिव को एतद् द्वारा अलग-अलग प्राधिकृत किया जाता है।"

(4) श्रीमती नमिता मेहरोत्रा (डीआईएन : 07916304) की कंपनी के नामित निदेशक के रूप में नियुक्तिः

विचार करके तथा यदि उचित समझा जाए तो आशोधन सहित/रहित निम्नांकित को एक साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करना:

"प्रस्ताव पारित किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा जारी पत्र संख्या के-14011/12/2014-एमआरटीएस-II, दिनांक 27 अप्रैल, 2022 जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160, 161 तथा इस संबंध में लागू अन्य प्रावधानों के साथ पठित है एवं इस संबंध में यथावश्यक अन्य सभी सांविधिक अनुमोदनों के अध्याधीन श्रीमती नमिता मेहरोत्रा (डीआईएन संख्या 07916304) को 27 अप्रैल, 2022 के प्रभाव से कंपनी के पदेन नामित निदेशक के रूप में एतद् द्वारा नियुक्त किया जाता है जो तब तक प्रभावी रहेगा जब तक कि भारत सरकार के किसी अन्य आदेश द्वारा अन्यथा कोई निर्णय नहीं लिया जाए या इससे इतर कोई अन्य निर्णय नहीं लिया जाए।"

"आगे प्रस्ताव पारित किया जाता है कि उक्त नियुक्ति की जानकारी कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय को देने के लिए सभी आवश्यक कार्यवाही करने तथा जरूरी ई-प्रपत्र दाखिल करने एवं इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए निदेशक मंडल और/या कंपनी सचिव को एतद् द्वारा अलग-अलग प्राधिकृत किया जाता है।

(5) श्री राकेश चौधरी, (डीआईएन: 09495362) की कंपनी के नामित निदेशक के रूप में पुनःनियुक्तिः

विचार करके तथा यदि उचित समझा जाए तो आशोधन सहित/रहित निम्नांकित को एक साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करना:

"प्रस्ताव पारित किया जाता है कि भारत सरकार से प्राप्त आदेश संख्या के-14011/17/2017-एमआरटीएस समन्वय; दिनांक 24 मई, 2022 जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160, 161 तथा इस संबंध में लागू अन्य प्रावधानों के साथ पठित है, एवं इस संबंध में यथावश्यक अन्य सभी सांविधिक अनुमोदनों के अध्याधीन श्री राकेश चौधरी (डीआईएन संख्या 09495362) को 30 जुलाई, 2021 के प्रभाव से कंपनी के पदेन नामित निदेशक के रूप में एतद् द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो तब तक प्रभावी रहेगा जब तक कि भारत सरकार के किसी अन्य आदेश द्वारा अन्यथा कोई निर्णय नहीं लिया जाए या इससे इतर कोई अन्य निर्णय नहीं लिया जाए।"

"आगे प्रस्ताव पारित किया जाता है कि उक्त नियुक्ति की जानकारी कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय को देने के लिए सभी आवश्यक कार्यवाही करने तथा जरूरी ई-प्रपत्र दाखिल करने एवं इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए निदेशक मंडल और/या कंपनी सचिव को एतद् द्वारा अलग-अलग प्राधिकृत किया जाता है।"

(6) **कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में श्रीमती अश्विनी भिडे, भा.प्र.से. (डीआईएन: 02861008) की नियुक्ति.**

विचार कर के तथा यदि उचित समझा जाए तो आशोधन सहित/रहित निम्नांकित को एक विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित करना:

प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 196, 197, 203 तथा अनुसूची 5 एवं अन्य लागू धाराओं, नियमों, अधिसूचनाओं एवं इस संबंध में कंपनी तथा कंपनी के ज्ञापन और संस्था की अंतर्नियमावली के लिए तथा अन्य किसी सांविधिक अनुमोदनों (यदि कोई है) एवं इस संबंध में भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार के अनुमोदन के अनुसार लागू एवं महाराष्ट्र सरकार के आदेश संख्या एईओ - 1022 / सीआर - 352 / 2022 / एक्स दिनांक 18 जुलाई, 2022 के अनुसरण में श्रीमती अश्विनी भिडे, भा.प्र.से. (डीआईएन: 02861008) को 12 जुलाई, 2022 के प्रभाव से एतद् द्वारा नियुक्त किया जाता है जो तब तक प्रभावी रहेगा जब तक कि कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत अधिकतम अनुज्ञेय अवधि के अध्याधीन महाराष्ट्र सरकार के किसी अन्य आदेश द्वारा अन्यथा कोई निर्णय नहीं लिया जाए या इससे इतर कोई अन्य निर्णय नहीं लिया जाए।

आगे पारित किया जाता है कि इस सूचना के साथ संलग्न स्पष्टीकरण विवरण तथा कंपनी की संस्था की अन्तर्नियमावली में यथानिर्दिष्ट प्रबंध निदेशक के अधिकार, कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व कंपनी की प्रबंध निदेशक के रुप में श्रीमती अश्विनी भिडे, भा.प्र.से. को उनके कार्य करने के दौरान वहन किए जाने हेतु एतद द्वारा प्राधिकृत किए जाते हैं तथा महाराष्ट्र सरकार की सूचना के उपरांत निदेशक मंडल को, जैसा वह उचित समझे, उक्त में फेरबदल या आशोधन करने हेतु एतद् द्वारा प्राधिकृत किया जाता है।

आगे पारित किया जाता है कि उक्त नियुक्ति की जानकारी कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय को देने के लिए सभी आवश्यक कार्यवाही करने तथा जरूरी ई-प्रपत्र दाखिल करने एवं इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए निदेशक मंडल और/या कंपनी सचिव को एतद् द्वारा प्राधिकृत किया जाता है।

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए एवं की ओर से

कंपनी सचिव

स्थान: मुंबई
दिनांक: 16.09.2022

टिप्पणियां:

1. कोविड-19 वैश्विक महामारी के प्रसार को ध्यान में रखते हुए कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने अपने परिपत्र संख्या 14/2020, दिनांक 08 अप्रैल, 2020; परिपत्र संख्या 17/2020, दिनांक 13 अप्रैल, 2020; परिपत्र संख्या 22/2020, दिनांक 15 जून, 2020; परिपत्र संख्या 33/2020, दिनांक 28 सितंबर, 2020; परिपत्र संख्या 39/2020, दिनांक 31 दिसंबर, 2020; परिपत्र संख्या 02/2021, दिनांक 13 जनवरी, 2021; परिपत्र संख्या 02/2022, दिनांक 05 मई, 2022 (एमसीए के रूप में सामूहिक रूप से संदर्भित) के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य श्रव्य-दृश्य माध्यमों (ओएवीएम) के जरिए वार्षिक आम बैठक (एजीएम) आयोजित करने की अनुमति दी है। बैठक के लिए किसी आम स्थल पर सदस्यों को शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं रहना है। कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के प्रावधानों तथा एमसीए परिपत्रों के अनुपालन के क्रम में कंपनी का एजीएम वीसी / ओएवीएम के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है।

2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसरण में वार्षिक आम बैठक में संव्यहृत किए जाने वाले विशेष व्यवहारों से संबंधित व्याख्यात्मक विवरण संलग्न परिशिष्ट में दिए गए हैं।

3. चूंकि एजीएम का आयोजन वीसी / ओएवीएम के माध्यम से किया जाएगा, अत: सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा इस एजीएम के लिए नहीं है। अत: इस सूचना के साथ प्रॉक्सी प्रपत्र और दिशानिर्देशिका सहित उपस्थिति पर्ची संलग्न नहीं की गई है।

4. सदस्यों तथा प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध किया जाता है कि वे संलग्न उपस्थिति पर्ची में फोलियो संख्या निर्दिष्ट करते हुए एवं उसे विहित रूप में भरकर हस्ताक्षरयुक्त रूप में अपने साथ इस बैठक में लेकर आएं।

5. संयुक्त धारकों के वार्षिक आम बैठक में उपस्थित रहने की दशा में कंपनी की सदस्य-पंजिका के अनुसार नामों के क्रम में प्रथम धारक के रूप में जिनका नाम उल्लिखित होगा, उन्हें मतदान करने का अधिकार होगा।

6. लेखों के संबंध में किसी भी जानकारी की मांग करने वाले सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे जल्द से जल्द (वार्षिक आम बैठक की तिथि से 7 दिनों से अधिक नहीं) कंपनी को लिखें ताकि प्रबंधन को वार्षिक आम बैठक में जानकारी तैयार रखने में सुविधा हो।

7. संलग्न सूचना के साथ संदर्भित सभी कागजात कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में वार्षिक आम बैठक की तिथि तक शनिवारों और रविवारों को छोड़कर सभी कार्यदिवसों के दौरान पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न, 1:00 बजे तक निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे।

सूचना के व्याख्यात्मक विवरण

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसरण में)

मद संख्या 3:

भारत सरकार के पत्र संख्या के-14011/17/2017-एमआरटीएस-समन्वय, दिनांक 10 जनवरी, 2022 तथा कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग से प्राप्त आदेश संख्या 36/01/2021-ईओ (एसएम-1) दिनांक 27.12.2021 व 29.12.2021 के अनुक्रम में **श्री मनोज जोशी (डीआईएन: 02103601)** को 30 दिसंबर, 2021 के प्रभाव से कंपनी के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है। यह पत्र कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160, 161 तथा यथाप्रयोज्य अन्य प्रावधानों के साथ पठित है तथा इस संबंध में यथावश्यक अन्य सभी सांविधिक अनुमोदनों के अध्याधीन है।

तदनुसार निदेशक मंडल ने **श्री मनोज जोशी (डीआईएन: 02103601)** को 30 दिसंबर, 2021 के प्रभाव से कंपनी के बोर्ड के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया है।

उक्त नियुक्ति के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 के प्रावधानों के अनुसार शेयरधारकों का अनुमोदन आवश्यक है।

श्री मनोज जोशी (डीआईएन: 02103601) के धारक ने कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए अपनी लिखित सहमति दी है तथा यह घोषित किया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार वे नियुक्त किए जाने के लिए अयोग्य नहीं हैं।

श्री मनोज जोशी तथा अन्य निदेशकों के बीच कोई परस्पर संबंध नहीं है।

सरकारी नाम निर्देशितों के तौर पर कंपनी के शेयर धारण करने के सिवाय कंपनी के निदेशक मंडल के निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) या उनके रिश्तेदार भारत सरकार के नामिती **श्री मनोज जोशी** के साथ संबंधित प्रस्तावों में किसी भी प्रकार से व्यक्तिगत या निजी तौर पर ना तो कोई हित और ना ही कोई सरोकार रखते हैं।

बोर्ड सदस्यों द्वारा मद संख्या 3 में निर्धारित प्रस्तावों को साधारण प्रस्तावों के रूप में अनुमोदन के लिए सिफारिश करता है।

मद संख्या 4:

भारत सरकार के आदेश संख्या के-14011/12/2014 - एमआरटीएस-II दिनांक 27 अप्रैल, 2022 के अनुक्रम में **श्रीमती नमिता मेहरोत्रा (डीआईएन: 07916304)** को 27 अप्रैल, 2022 के प्रभाव से कंपनी के नामित निदेशक के रूप

में नियुक्ति किया जाता है। यह पत्र कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160, 161 तथा यथाप्रयोज्य अन्य प्रावधानों के साथ पठित है तथा इस संबंध में यथावश्यक अन्य सभी सांविधिक अनुमोदनों के अध्याधीन है।

तदनुसार निदेशक मंडल ने **श्रीमती नमिता मेहरोत्रा (डीआईएन: 07916304)** को 27 अप्रैल, 2022 के प्रभाव से कंपनी के बोर्ड के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया है।

उक्त नियुक्ति के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 के प्रावधानों के अनुसार शेयरधारकों का अनुमोदन आवश्यक है।

श्रीमती नमिता मेहरोत्रा (डीआईएन: 07916304) ने कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए अपनी लिखित सहमति दी है तथा यह घोषित किया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार वे नियुक्त किए जाने के लिए अयोग्य नहीं हैं।

श्रीमती नमिता मेहरोत्रा तथा अन्य निदेशकों के बीच कोई परस्पर संबंध नहीं है।

सरकारी नाम निर्देशितों के तौर पर कंपनी के शेयर धारण करने के सिवाय कंपनी के निदेशक मंडल के निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) या उनके रिश्तेदार भारत सरकार के नामिती **श्रीमती नमिता मेहरोत्रा** के साथ संबंधित प्रस्तावों में किसी भी प्रकार से व्यक्तिगत या निजी तौर पर ना तो कोई हित और ना ही कोई सरोकार रखती हैं।

बोर्ड सदस्यों द्वारा मद संख्या 3 में निर्धारित प्रस्तावों को साधारण प्रस्तावों के रूप में अनुमोदन के लिए सिफारिश करता है।

मद संख्या 5:

भारत सरकार के पत्र संख्या के-14011/17/2017-एमआरटीएस-समन्वय, दिनांक 24 मई, 2022 के अनुक्रम में **श्री राकेश चौधरी (डीआईएनः 09495362)** को 24 मई, 2022 के प्रभाव से कंपनी के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है। यह पत्र कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160, 161 तथा यथाप्रयोज्य अन्य प्रावधानों के साथ पठित है तथा इस संबंध में यथावश्यक अन्य सभी सांविधिक अनुमोदनों के अध्याधीन है।

तदनुसार निदेशक मंडल ने **श्री राकेश चौधरी (डीआईएनः 09495362)** को 24 मई, 2022 के प्रभाव से कंपनी के बोर्ड के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया है।

उक्त नियुक्ति के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 के प्रावधानों के अनुसार शेयरधारकों का अनुमोदन आवश्यक है।

श्री राकेश चौधरी (डीआईएनः 09495362) ने कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए अपनी लिखित सहमति दी है तथा यह घोषित किया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार वे नियुक्त किए जाने के लिए अयोग्य नहीं हैं।

श्री राकेश चौधरी तथा अन्य निदेशकों के बीच कोई परस्पर संबंध नहीं है।

सरकारी नाम निर्देशितों के तौर पर कंपनी के शेयर धारण करने के सिवाय कंपनी के निदेशक मंडल के निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) या उनके रिश्तेदार भारत सरकार के नामिती **श्री राकेश चौधरी** के साथ संबंधित प्रस्तावों में किसी भी प्रकार से व्यक्तिगत या निजी तौर पर ना तो कोई हित और ना ही कोई सरोकार रखते हैं।

बोर्ड सदस्यों द्वारा मद संख्या 3 में निर्धारित प्रस्तावों को साधारण प्रस्तावों के रूप में अनुमोदन के लिए सिफारिश करता है।

मद संख्या 6:

महाराष्ट्र सरकार के आदेश संख्या एईओ-1022/सीआर-352/2022/एक्स, दिनांक 18 जुलाई, 2022 के अनुक्रम में **श्रीमती अश्विनी भिडे, भा.प्र.से. (डीआईएनः 02861008)** को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 196, 197, 2013 तथा अनुसूची 5 के यथाप्रयोज्य प्रावधानों के अनुक्रम में तथा इस संबंध में यथावश्यक अन्य सभी सांविधिक अनुमोदनों के अध्याधीन 28 जुलाई, 2022 को आयोजित बैठक में कंपनी के निदेशक मंडल में प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त किया जाता है।

तदनुसार **श्रीमती अश्विनी भिडे, भा.प्र.से. (डीआईएनः 02861008)** को प्रबंध निदेशक के रुप में नियुक्त किए जाने पर उन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 203 सहपठित धारा 2(51) के प्रावधानों के अनुक्रम में कंपनी का मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक समझा जाएगा।

निदेशक मंडल द्वारा पारित **श्रीमती अश्विनी भिडे**, प्रबंध निदेशक के अधिकार, कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व निम्नवत हैं:

कर्तव्य:

उनके कर्तव्य कंपनी के कामकाज का संपूर्ण पर्यवेक्षण, कंपनी के दैनंदिन कार्यों की देखरेख, कर्मचारियों की नियुक्ति तथा सेवा समाप्ति, कंपनी की गतिविधियों के बारे में निदेशक मंडल को नियमित रूप से प्रतिवेदन देना तथा उन सभी कर्तव्यों का निष्पादन करना होगा जो निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर उन्हें सौंपे जाएंगे।

अधिकार:

कंपनी के निदेशक मंडल के अधीक्षण, नियंत्रण तथा निर्देशन के अध्याधीन उनके पास सिवाय उन मामलों के जिन्हें या तो कंपनी अधिनियम, 2013 के द्वारा या कंपनी की संस्था की अंतर्नियमावली के द्वारा बोर्ड के जरिए विशिष्टतया किया जाना आवश्यक है, कंपनी के संपूर्ण व्यापार और मामलों का सामान्य संचालन व प्रबंधन का अधिकार होगा। वे उन अधिकारों और कर्तव्यों का निर्वहन और निष्पादन भी करेंगी जिन्हें कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा। वे अन्य उन सभी कार्यों और चीजों का निष्पादन भी करेंगी जिन्हें वे सामान्य व्यवहार में कंपनी के हित में आवश्यक या उपयुक्त समझती हैं। परंतु किसी भी रूप में उन सामान्य शक्तियों और अधिकारों के अधीन होंगी जो उन्हें यहां प्रदत्त किए गए हैं। विशेषतया निम्नलिखित शक्तियों का उपयोग वे कंपनी की ओर से करेंगी:

क) संविदाओं में प्रविष्ट होने तथा उनमें परिवर्तन करने एवं उन्हें विखंडित करने सहित कंपनी के सभी व्यवसायों, मामलों तथा प्रचालनों का प्रबंधन, संचालन और संव्यवहार करना।

ख) उन सभी विलेखों, प्रपत्रों, संविदाओं, प्राप्तियों तथा अन्य सभी दस्तावेजों या प्रलेखों में कंपनी की ओर से प्रविष्ट होना तथा पक्षकार होना और उनपर हस्ताक्षर करना तथा उन्हें निष्पादित करना जिनका कंपनी की सामान्य मोहर के अधीन निष्पादित होना आवश्यक नहीं है या कंपनी की संस्था की अंतर्नियमावली में अन्यथा वर्णित नहीं है।

ग) कंपनी की ओर से सभी चेकों, विनिमय पत्रों, ड्राफ्टों, हुंडियों, वचन पत्रों, गोदी अधिपत्रों, सुपुर्दगी आदेशों, रेलवे रसीदों, लदान पत्रों, तथा अन्य व्यापारिक प्रलेखों और अन्य परक्राम्य लिखतों व प्रतिभूतियों को तैयार करना, उन पर हस्ताक्षर करना, निकासी, स्वीकार, पृष्ठांकित, वार्ता, बिक्री और हस्तांतरण करना;

घ) कंपनी की ओर से सभी विलेखों, लिखतों, संविदाओं, करारों, प्राप्तियों तथा अन्य सभी दस्तावेजों को पंजीकरण हेतु सक्षम बनाने के लिए हर आवश्यक या उपयुक्त कार्य करना और पंजीकरण हेतु पक्षकार बनना तथा पक्षकार के रूप में उपस्थित रहना एवं निष्पादन को स्वीकार करना;

च) कंपनी के द्वारा या कंपनी के विरुद्ध या जिस में कंपनी का हित या सरोकार हो, ऐसी कानूनी या अन्य कार्यवाहियों, दावों, तथा विवादों को प्रारंभ करना, प्रतिवाद करना, अभियोजन, संचालन करना, विवाचन को व्यापकता देना तथा परित्याग करना;

छ) कंपनी को देय या कंपनी द्वारा प्राप्य मुद्राओं, निधियों, सामान या सम्पत्ति की वास्तविक रसीदें प्राप्त करना व प्रदान करना तथा उन्मोचन करना;

ज) निदेशक मंडल, निदेशकों की समितियों, उप समितियों (यदि कोई हो) की बैठकों तथा शेयरधारकों की साधारण या असाधारण आम सभाओं का आयोजन करना;

झ) बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जानेवाली मूल्य सीमाओं के भीतर सभी मशीनरी तथा संयंत्रों की खरीद, भुगतान, अधिग्रहण, बिक्री, पुनःखरीद, आयात तथा निर्यात करना;

त) कंपनी के दैनंदिन कार्य के लिए आवश्यक या कार्यसाधक कच्चे माल, वस्तुओं, गोदामों, यंत्रों, उपकरणों तथा अन्य सामग्री या चीजों की नगद या साख के द्वारा तथा वर्तमान या भविष्य में की जानेवाली सुपुर्दगी के लिए खरीद, भुगतान, अधिग्रहण, बिक्री, पुनः बिक्री, पुनः खरीद तथा आयात करना एवं कंपनी के उत्पादों का निर्यात करना;

थ) कंपनी के कारोबार या व्यवसाय के उद्देश्यों हेतु कंपनी के विनिर्माण, भंडारण या अन्यथा हेतु भंडार गृहों, कारखानों, कार्यालयों, कर्मशालाओं तथा अन्य सभी भवनों का निर्माण, उत्थापन तथा अनुरक्षण करना, उन्हें गिराना, ढहाना तथा पुनः निर्मित करना;

द) कंपनी के उद्देश्यों के लिए आवश्यक वस्तुओं तथा अन्य सभी सामग्री की खरीद हेतु जैसा वे उचित समझें, तद्नुसार शर्तों पर अग्रिम राशि देना;

ध) कंपनी की सम्पत्तियों, सामग्री, वस्तुओं या उत्पादों की बिक्री या अन्यथा निपटान हेतु जैसा वे उचित या आवश्यक समझें, उस अनुसार स्थल या स्थलों पर, अभिकर्ताओं, उप-अभिकर्ताओं, वितरकों की नियुक्ति अधिनियम के प्रावधानों के अध्याधीन तथा कंपनी एवं किसी भी व्यक्ति के मध्य यथासमय लागू किसी करार के प्रावधानों के अध्याधीन ऐसे नियमों व शर्तों पर करना जिन्हें प्रबंध निदेशक उचित समझें;

न) कंपनी की ओर से किसी व्यक्तिगत नाम से या अन्यथा राशि (डिबेंचरों के अलावा) उधार लेने या उठाने के लिए बोर्ड द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट कुल राशि से अधिक नहीं होने पर बोर्ड जैसा समीचीन समझे, इसकी सीमा निर्धारित करेगा। कंपनी का व्यवसाय बढ़ाने के उद्देश्य के लिए सुरक्षा के साथ या बगैर धन उधार लेना जो कंपनी अधिनियम, की धारा 180 (1) के अधीन यथावश्यक अनुमोदनों तथा कथित अधिनियम की धारा 180 के अधीन यथावश्यक निदेशक मंडल के अनुमोदन के अध्याधीन होगा और आगे बोर्ड द्वारा अनुमोदन देने के समय इस के द्वारा समय-समय पर अधिरोपित की जानेवाली ऐसी अधिकतम सीमा के अध्याधीन होगा;

प) निदेशकों द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित मूल्य की ऐसी सीमाओं के भीतर कंपनी के उद्देश्यों के लिए पट्टे या खरीद के आधार पर कंपनी के कारखानों, कर्मशाला, कार्यालयों, शोरूम, स्टोर, मशीनरी आदि के लिए सम्पत्ति, भवन, भूमि, परिसर आदि का अधिग्रहण निदेशकों के अनुमोदन से करना;

फ) कंपनी की सम्पत्तियों, भवनों, मशीनरी, संयंत्रों, उपकरणों एवं कंपनी की अन्य उन चल, अचल सभी सम्पत्तियों का बीमा करना एवं उन्हें बीमित बनाए रखना जो गोदामों, शो रूमों या कार्यालयों या कर्मशालाओं या कारखानों या अन्यत्र रखी हुई हैं या आयात के लिए पारगमन में हैं तथा आग या अन्य जोखिमों से हानि या क्षति का ऐसी राशि या ऐसी अवधि के लिए बीमा कराया गया है जो प्रबंध निदेशक द्वारा उचित समझा जाए। इस अधिकार के अनुसरण में इन सम्पत्तियों को बेचना, समनुदेशित करना, अभ्यर्पित करना या किसी भी प्रभावी बीमाओं को समाप्त करना;

ब) अधिनियम की धारा 180 के प्रावधानों के अध्याधीन तथा बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित सीमाओं के भीतर एवं जब बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किया जाता है, कंपनी की ऐसी धन राशियों को निवेश करना तथा उनका लेनदेन करना, जिनकी तत्काल आवश्यकता नहीं है, ऐसे निवेशों या समय-समय पर बोर्ड द्वारा यथाविनिर्दिष्ट ऐसी प्रकृति के निवेश करने और उन्हें सही तरीके से अलग-अलग जमा करने के लिए समय-समय पर बैंकों में, साहूकारों या व्यक्तियों के पास जमा करना (अधिनियम की धारा 186 द्वारा आवंटित अन्य कंपनियों के शेयरों के अलावा) तथा कंपनी के बैंकरों के साथ सावधि जमा करना;

भ) अधिनियम की धारा 180 के प्रावधानों के अध्याधीन बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित सीमा के भीतर ऐसे उद्देश्य के लिए बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट अधिकतम राशि तक समय-समय पर ऋणों का प्रावधान करना;

म) प्रबंध निदेशक जैसा उचित समझें, समय-समय पर किसी भी बैंक या बैंकरों, व्यापारी या व्यापारियों के साथ या किसी कंपनी या कंपनियों, फर्म या फर्मों, व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ चालू खाते, सावधि जमा खाते या अन्यथा प्रकृति के खाते खोलना तथा उन्हें प्रचालित करना तथा ऐसे खाते या खातों में धन जमा करना या निष्कासित करना;

य) उन सभी दिवालियापन या परिसमापन या अन्य कार्यवाहियों से संबंधित सभी बैठकों में उपस्थित होना तथा मतदान करना जिन में कंपनी का हित या सरोकार हो;

र) कंपनी के लेन-देन तथा प्रबंधकीय मामलों एवं समय-समय पर प्रबंधकों, अधिकारियों, लिपिकों, कामगारों, कंपनी के कर्मचारियों और अन्य स्टाफ सदस्यों, बैंकरों, सभी प्रकार के अभिकर्ताओं, ब्रोकरों, अधिवक्ताओं, बैरिस्टरों, सॉलिसिटरों, वकीलों, मैकेनिकों, अभियंताओं, व्यापारियों, खुदरा व थोक कमीशन डीलरों, मुकादमों, तकनीशियनों, और विशेषज्ञों को समय-समय पर ऐसे अधिकारों व कर्तव्यों के साथ व रोजगार, पारिश्रमिक या अन्यथा किसी ऐसी शर्तों पर तथा अवधि के लिए विमुक्त या निष्कासित या निलंबित या पुनः नियुक्त करना जैसा वे उचित समझें।

ल) तथापि अधिनियम के प्रावधानों के अध्याधीन ऐसे व्यय उपगत करना तथा ऐसी धनराशि को तैयार रखना जैसा वे कंपनी के कार्यालयों या प्रतिष्ठानों के लिए कार्यसाधक समझें, तथा कंपनी के कार्यों और व्यापार की देखरेख व संचालन के लिए उचित समझें।

व) समय-समय पर कंपनी के मामलों के प्रबंधन और संव्यवहार के लिए आमतौर पर या विनिर्दिष्ट इलाके या जिले या प्रांत में किसी न्यायवादी (अटॉर्नी) या न्यायवादियों या अधिकारी या अधिकारियों की नियुक्ति करना।

श) और कंपनी की ओर से ऐसी सभी व्यवस्थाएं करना, तथा वे सभी कृत्य, कार्य, मामले व चीजें संचालित करना जो व्यवसाय के संचालन तथा प्रबंधन में आम हों या आवश्यक या कार्यसाधक हों, न कि अधिनियम या ज्ञापन तथा संस्था की अंतर्नियमावली द्वारा अनिवार्य हों, जैसा कि कंपनी द्वारा सामान्य बैठक में या बोर्ड द्वारा आवश्यक समझा जाता है।

ष) जहां कहीं आवश्यक हो, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 से 188 के अनुक्रम में बोर्ड के पूर्वानुमोदन के अध्याधीन कंपनी के लिए सामानों की खरीद के लिए संविदाओ में सम्मिलित होना।

उक्त नियुक्ति के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 तथा 196 के प्रावधानों के द्वारा शेयरधारकों का अनुमोदन आवश्यक है। तदनुसार निदेशक मंडल मद संख्या 6 में उल्लिखित प्रस्तावों को विषेष प्रस्ताव के रूप में अनुमोदन हेतु शेयरधारकों को संस्तुत करता है।

श्रीमती अश्विनी भिडे तथा अन्य निदेशकों के बीच कोई परस्पर संबंध नहीं है।

सरकारी नाम निर्देशितों के तौर पर कंपनी के शेयर धारण करने के सिवाय कंपनी के निदेशक मंडल के निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) या उनके रिश्तेदार श्रीमती अश्विनी भिडे, भा.प्र.से. के साथ संबंधित प्रस्तावों में किसी भी प्रकार से व्यक्तिगत या निजी तौर पर ना तो कोई हित और ना ही, कोई सरोकार रखती हैं।

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए एवं की ओर से

कंपनी सचिव

स्थान: मुंबई
दिनांक: 16.09.2022

सचिवीय मानक 1 के अंतर्गत अनिवार्यत: प्रकटित की जाने वाली अतिरिक्त जानकारी

निदेशक का नाम	श्री मनोज जोशी	श्रीमती नमिता मेहरोत्रा	श्री राकेश चौधरी	श्रीमती अश्विनी भिडे
आयु	55 वर्ष	57 वर्ष	45 वर्ष	53 वर्ष
योग्यता	भा.प्र.से.	सनदी लेखाकार	आईआरएसई	भा.प्र.से.
वर्तमान पदनाम में पहली नियुक्ति की तिथि	30 दिसंबर, 2021	27 अप्रैल, 2022	24 मई, 2022	12 जुलाई, 2022
कंपनी में शेयरधारिता	भारत के राष्ट्रपति की ओर से 24,02,69,997	शून्य	शून्य	1
अंतिम अनुमोदित पारिश्रमिक का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

अध्यक्ष का संबोधन

प्रिय शेयरधारक,

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमएमआरसीएल) की 14वीं वार्षिक आम बैठक के अवसर पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस अवसर पर मैं कॉर्पोरेशन के प्रदर्शन के साथ-साथ वर्ष के दौरान हासिल की गई उन प्रमुख उपलब्धियों को उजागर करता हूँ, जो मील का पत्थर हैं।

तमाम रुकावटों के बावजूद कॉर्पोरेशन ने लाइन-3 निर्माण कार्य में अब तक 75.1% की समग्र प्रगति हासिल की है। सभी क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देने की भारत सरकार की गतिशील नीति एवं महाराष्ट्र सरकार के व्यवहारमूलक निर्णय, विशेषकर आरे डिपो मामले में लिए गए निर्णय तथा निदेशक मंडल द्वारा क्रियान्वित किए गए प्रभावशाली प्रबंधकीय निर्णयों की बदौलत यह उपलब्धि हासिल हुई है। निदेशक मंडल ने यह भी सुनिश्चित किया है कि उनके नियंत्रणाधीन सभी संसाधन कठिनाइयों के बावजूद सामंजस्य के साथ परियोजना को प्रगति-पथ प्रदान कर रहे हैं।

1. वित्तीय प्रदर्शन:

वर्ष 2021-22 के लिए आपके कॉर्पोरेशन का प्रदर्शन निदेशकों के प्रतिवेदन में विस्तार से समाहित किया गया है। यह बताने के लिए कि परियोजना निरंतर प्रगति-पथ पर अग्रसर है, मुझे आपको यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि वर्ष के दौरान पूंजीगत व्यय पिछले वर्ष के दौरान रूपये 3,571 करोड़ की तुलना में रुपये 3,609 करोड़ रहा।

एमआईडीसी मेट्रो स्टेशन का हवाई दृश्य

आपके कॉर्पोरेशन ने अपनी अल्पकालिक अधिशेष निधियों को सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में परिनियोजित किया है तथा अधिशेष की कम उपलब्धता एवं ब्याज दर में गिरावट के बावजूद वर्ष 2021-22 के दौरान रूपये 16.72 करोड़

(पिछले वर्ष में रूपये 27.30 करोड़) की ब्याज आय अर्जित की है।

बोर्ड का प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अंकेक्षित वार्षिक लेखा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के साथ सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन आपको परिचालित किए गए थे। आपकी अनुमति से मैं समझता हूं कि आपने इन्हें पढ़ लिया है।

2. निर्माण प्रदर्शन:

2.1 सिविल कार्य:

- केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुमोदन पत्र संख्या 14011/36/मेट्रो / एमआरटीएस-II (अंक III), दिनांक 18 जुलाई, 2013 के अनुसरण में यह कंपनी कोलाबा-बान्द्रा-सीप्ज लाइन के लिए मेट्रो III परियोजना के लिए एक एसपीवी है।
- कंपनी ने 54.05 किलोमीटर का सुरंग-निर्माण कार्य पूरा कर लिया है जो परियोजना के कुल सुरंग-निर्माण कार्य के लगभग 99% के समतुल्य है तथा महालक्ष्मी-मुंबई सेंट्रल के बीच केवल एक प्रकोष्ठ का निर्माण-कार्य लंबित है। अन्य निर्माण गतिथिधियां जोरों पर हैं। 26 भूमिगत स्टेशनों पर औसतन 85.4% कार्य पूरा हो चुका है।
- कपंनी ने मेन लाइन पर 26.4 किलोमीटर का उच्च कंपन का एटेन्यूएशन ट्विन ब्लॉक स्लीपर ट्रैक लगाया है।

हुतात्मा चौक मेट्रो स्टेशन का हवाई दृश्य चल रहे कार्य का चित्रण

बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स मेट्रो स्टेशन

- महाराष्ट्र सरकार के दिनांक 21 जून, 2019 के निर्देशानुसार आरे स्थित कार डिपो पर कार्य पर लगी रोक को महाराष्ट्र सरकार के दिनांक 21 जुलाई, 2022 के दिशानिर्देश पर अब हटा लिया गया है। इसके साथ ही, महाराष्ट्र सरकार ने लाइन-3 और लाइन-6 को एकीकृत कर लाइन-3 को कांजुर मार्ग ले जाने के अपने निर्णय को रद्द कर बहु-लाइनों के लिए एक आम डिपो रखने का निर्णय लिया है। तदनुसार कंपनी ने डिपो से संबंधित सिविल, ट्रैक,

विद्युत एवं यांत्रिक आदि कार्यों पर लागू निलंबन आदेशों को भी हटा लिया है। कंपनी ने डिपो क्षेत्र में कुछ ढांचों को सरलीकृत / संशोधित भी किया है तथा कार्यों को चरणबद्ध तरीके से एक निश्चित समय-सीमा में निष्पादित किए जाने हेतु डिपो पर कार्यरत विद्यमान सिविल ठेकेदार के साथ संविदाओं के संबंध में फिर से बातचीत की है। कंपनी की इन गतिशील कार्रवाइयों के कारण लाइन-3 के प्रथम चरण का परिचालन दिसम्बर, 2023 तक शुरू किए जाने में सुगमता होगी।

2.2 प्रणाली कार्य:

बिजली आपूर्ति प्रणाली में समग्र भौतिक प्रगति 87% है। कर्षण प्रणाली एस्केलेटर में समग्र भौतिक प्रगति 49% है। खेप I – ई-I भौतिक प्रगति 53% है। खेप 2 – ई-2 भौतिक प्रगति 38% है। उद्वाहकों में : खेप I – ई-I भौतिक प्रगति 40% है। उद्वाहक खेप 2 – एल 2 मोलिक प्रगति 32% है। सुरंग वायु संचालन और पर्यावरणीय नियंत्रण प्रणाली (टीवीएस एवं ईसीएस) – 3 खेप : भौतिक प्रगति 45% है। डिपो (ई एवं एम) भौतिक कार्यों में प्रगति 12% है।

श्रीसिटी में मेट्रो लाइन-3 का रॉलिंग स्टॉक

110 किलोवाट का गैसरोधक सब स्टेशन (जीआईएस)

पहली मूलरूप ट्रेन 05 अगस्त, 2022 को आरे स्थित सारिपूट में स्थापित अस्थाई केंद्र में प्राप्त किया गया। 15 अगस्त, 2022 को ट्रेन संचालित की गई तथा महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय उप-मुख्यमंत्री द्वारा प्रारंभिक डिजाइन को सिद्ध करने वाले ट्रायल रन को रैंप (सिप्ज स्थित) एवं मरोल नाका (विशेष) के बीच डाउन मेन लाइन पर लगभग 3 किलोमीटर खण्ड पर 30 अगस्त, 2022 को हरी झंडी दिखाई गई। दूसरे ट्रेन-सेट का निर्माण-कार्य पूरा हो चुका है। तीसरे एवं चौथे ट्रेन-सेट का निर्माण कार्य प्रगति पर है (श्रीसिटी, आंध्र प्रदेश)। भौतिक प्रगति – 45%

पहले और दूसरे ट्रेन-सेट में ऑन-बोर्ड एस एण्ड टी उपकरण का संस्थापन ट्रेन विनिर्माण संयंत्र (श्रीसिटी, आंध्र प्रदेश) में पूर्ण हो चुका है। पहले ट्रेन का परीक्षण सीबीटीसी / यूटीसी रूप में किया जा चुका है। एमएमएल 3 स्टेशनों सुरंग खण्डों पर एसटीपीसी उपकरण का संस्थापण प्रगतिपथ पर है। भौतिक प्रगति – 50%

स्वचलित किराया प्रणाली (एएफसी) में समग्र डिजाइन प्रगति - 93 % (एनसीएमसी कार्ड, क्यूआर कोड टिकट प्रणाली (पेपर एवं मोबाइल) प्रयुक्त होगी)। भौतिक प्रगति - 32%

मुंबई पुलिस से एसएमएल-3 सुरक्षा योजना के लिए अनुमोदन 06.08.2020 को प्राप्त हुआ। सामग्री का प्रापण जीईएम पोर्टल के जरिए संबंधित आरओडी से 3 से 6 माह पूर्व कर लिया जाएगा।

2.3 आर एंड आर गतिविधि:

परियोजना के कारण 2858 ढांचे प्रभावित हुए हैं। कालबादेवी और गिरगांव में दो स्टेशनों पर निर्माण के कारण 30 भवनों सहित 20 निजी संपत्तियां प्रभावित हो रही हैं जहां 733 प्रभावित परिवारों का इन-सीटू पुनर्वास और पुनर्विकास प्रस्तावित है। कालबादेवी और गिरगांव के2 ब्लॉक, के3 ब्लॉक और जी3 ब्लॉक आदि 3 पृथक ब्लॉकों में पी.ए.पी का पुनर्विकास प्रस्तावित है। के3 और जी3 ब्लॉकों के निर्माण के लिए क्रमश: मेसर्स वासकॉन इंजीनियर्स लिमिटेड तथा मेसर्स मोंटे कार्लो लिमिटेड को नियुक्त किया गया है। कालबादेवी और गिरगांव के पी.ए.सी के लिए इन-सीटू पुनर्वास और पुनर्विकास योजना को राज्य सरकार ने अनुमोदित किया है जिसमें 3 ब्लॉकों यथा के2, के3 तथा जी3 पर 6 गैर संक्रामक ब्लॉकों पर स्टेशन के नीचे पुनर्विकसित ढांचा एकीकृत किया जाएगा जबकि के1, जी1 तथा जी2 का उपयोग सिर्फ मेट्रो से संबंधित गतिविधियों के लिए किया जाएगा। सभी 733 पी.ए.पी. (459 आवासीय + 274 वाणिज्यिक) को 3 ब्लॉकों में पुनर्विकसित किया जाएगा। के3 भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है तथा वर्तमान में नींव का कार्य प्रगति पर है जबकि जी3 में ठेकेदार की नियुक्ति हो चुकी है एवं गतिविधियों का संग्रहण प्रगति पथ पर है।

2.4 जनसंपर्क गतिविधि :

सभी साइट कार्यालयों, कास्टिंग यार्डों, बैरिकेडों को तिरंगा थीम से रोशन किया गया और राष्ट्रीय ध्वज के रंगों एवं राष्ट्रीय प्रतीक थीम में पर्यावरण अनुकूल सामग्रियों का उपयोग करके इसे सजाया गया।

मकर संक्रांति के अवसर पर निर्माण कार्य से जुड़े कामगारों ने जीवन-शक्ति के लिए मुंबई मेट्रो लाइन-3 में सूर्य नमस्कार किया

साइकिल रैली

प्रकाश-सजावट गतिविधि 13 अगस्त को प्रारम्भ हुई और 31 अगस्त, 2022 तक जारी रही। सभी साइटों और महत्वपूर्ण लोकेशनों पर 20x10 फीट आकार के बड़े बैनर लगाए गए। इन बैनरों पर भारत की स्वतंत्रता एवं हमारे राष्ट्रीय नायकों की सूक्तियों को दर्शाया गया। एमएमआरसी प्रबंध निदेशक, निदेशक तथा सभी कर्मचारियों के साथ वरिष्ठ अधिकारियों ने एमएमआरसी मुख्यालय में राष्ट्रगान की समूह गायन गतिविधि में प्रतिभागिता की।

इसी प्रकार की गतिविधि कुछ पैकेजों के द्वारा उनके परियोजना साइट कार्यालयों में आयोजित की गई। एमएमआरसी ने महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित 75 प्रश्नों का प्रश्नमंच कार्यक्रम ऑनलाइन आयोजित किया। स्वच्छता के महत्व को दर्शाने के उद्देश्य से एमएमआरसी ने ठेकेदारों के साथ मिलकर सांताक्रूज, मुंबई समुद्र तट पर 100 मीटर लंबी पट्टी पर गतिविधि का आयोजन किया।

मोटापा, आलस्य रोगों आदि से मुक्ति हेतु फिटनेस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एमएमआरसी के सभी कर्मचारियों के लिए वॉकथन मैराथन का आयोजन किया गया, जिनमे प्रत्येक प्रतिभागी कार्मिक ने 10 किलोमीटर की दौड़ पूरी की। एमएमआरसी के कर्मचारियों के लिए डॉ. बाबासाहेब आम्बेडकर के जीवन पर आधारित 75 प्रश्नों का प्रश्न मंच कार्यक्रम ऑनलाइन आयोजित किया गया। देशभक्ति गीत लेखन, लोरी लेखन तथा रंगोली बनाने की प्रतियोगिताओं के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए एक रचनात्मक गतिविधि का आयोजन किया गया तथा 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' के अन्तर्गत एमएमआरसी के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर इसे प्रसारित किया गया। एमएमआरसी कर्मचारियों द्वारा सुंदरतापूर्वक तैयार की गई 10 x 7.5 फीट आकार की शानदार रंगोली

आज़ादी का अमृत महोत्सव

को प्रदर्शित करते हुए एमएमआरसी ने महिला दिवस मनाया। एमएमआरसी के कर्मचारियों के लिए डूडल कला प्रतियोगिता, आटा (जिग्सॉ) पहेली, शब्द खोज पहेली, पत्र टाइल पहेली प्रतियोगिता, पोस्टर प्रतियोगिता तथा स्वर पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के उद्देश्य से एमएमआरसी के कर्मचारियों और उनके परिवारों ने 12 अगस्त, 2022 को देशभक्ति गायन, नृत्य और स्वतंत्रता सेनानियों के रूप में सज्जित होने जैसे लाइव प्रदर्शनों में भाग लिया। 'हर घर तिरंगा' को बढ़ावा देने के लिए एमएमआरसी के मुख्यालय पर तिरंगे वितरित किए गए। जनसंपर्क विभाग परियोजना कार्य की जारी प्रगति तथा अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों / कार्यक्रमों के बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों तथा एमएमआरसी वेबसाइट पर नियमित रूप से रचनात्मक पोस्ट, फोटो ओर लघु वीडियो जारी करता है।

जनसंपर्क विभाग परियोजना कार्य की विभिन्न उपलब्धियों तथा गतिविधियों के बारे में मीडिया के लिए नियमित रूप से प्रेस विज्ञप्तियां जारी करता है और तत्संबंधी सवालों के जवाब भी मीडिया को उपलब्ध कराता है। एमएमआरसी ने अपनी 'अच्छी आदत' पहल का समर्थन करने के लिए जेआईसीए के साथ समन्वय करते हुए साइट स्थलों पर अग्रिम पंक्ति के श्रमिकों में स्वच्छता से संबंधित सामान वितरित किए।

अभियान का उद्देश्य संक्रामक रोगों के प्रसार को रोकने हेतु अच्छी स्वच्छता आदतों को अपनाने के बारे में जागरूकता का सृजन करना था। एमएमआरसी ने विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर 10 जून, 2022 को टिकाऊ, स्वच्छ परिवहन और स्वस्थ जीवन के लिए साइकिल की सवारी को बढ़ावा देने के लिए एमटीएनएल कार्यालय, बीकेसी से बीकेसी मेट्रो स्टेशन के निकट एमएमआरसी मुख्यालय तक साइकिल रैली का आयोजन किया। एमएमआरसी को एमएमएल-3 परियोजना के लिए वैश्विक शिखर सम्मेलन में राष्ट्रीय परियोजना उत्कृष्टता सम्मान, 2021 प्राप्त हुआ। एमएमआरसी को सुरंग-निर्माण तथा भूमिगत स्पेस अवार्ड 2022 पर मेट्रो लाइन-3 परियोजना के निष्पादन के दौरान क्रियान्वित पर्यावरणीय पहल हेतु वर्ष का पर्यावरणीय पहल सम्मान प्राप्त हुआ।

3. साइट पर क्रियान्वित किए जाने वाले सुरक्षा उपाय:

सिविल तथा सिस्टम ठेकेदारों के कार्यस्थलों पर व्यवसायगत सुरक्षा, सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी प्रणालियां, परियोजना के लिए लागू सभी सांविधिक प्रावधानों के अनुरूप हैं एवं कड़े संविदागत ओ.एच.एस.ई. शर्तों को पूरा करती हैं। एमएमआरसी ने तैयारी के पर्याप्त उपायों के द्वारा सभी संभावित आपात स्थितियों को कम करने के लिए आपदा नियंत्रण कक्ष को तैयार कर उसे कार्यात्मक बनाया है।

4. एमएमआरसी ओएचएसई मैनुअल संबंधी गतिविधि:

उन ठेकेदारों के विरूद्ध दंड प्रभारित किया गया है जिन्होंने एमएमआरसी ओएचएसई मैनुअल अपेक्षाओं का

अनुपालन नहीं किया है। प्रभारित दंड-राशि को एमएमआरसी कल्याण निधि में दान-स्वरूप जमा कर लिया गया है। अब तक रू. 17,52,400/- की राशि प्रभावित कामगारों या उनके परिजनों को अदा की गई है। आज की तिथि में लगभग 75 लाख रूपये कोष में जमा हैं।

5. औद्योगिक संबंध:

आपके कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों तथा श्रमकल्याण अधिकारियों के बीच औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण और सद्भावपूर्ण रहा है। श्रम कानून के सांविधिक प्रावधानों का अंगीकरण कर सामाजिक सुरक्षा और गारंटी का ध्यान रखने के लिए कॉर्पोरेशन के पास स्पष्ट कार्यप्रणाली है।

6. निगम अभिशासन:

निगम अभिशासन नीति को कॉर्पोरेशन की विजन मिशन नीति के साथ जोड़ा गया है। कॉर्पोरेशन निगम अभिशासन से संबंधित डीपीई (सार्वजनिक उद्यम विभाग) दिशानिर्देशों का पालन करता है।

निगम अभिशासन के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कॉर्पोरेशन ने निदेशक मंडल तथा वरिष्ठ प्रबंधन के नैतिक एवं जिम्मेदारी के साथ निर्णयन, विसलब्लोअर नीति, जवाबदेही की प्रणाली, समय पर तथा उपयुक्त प्रकटन निर्माण की नीति, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से सुरक्षा की नीति एवं उसकी स्थापना, आदि के संवर्धन हेतु आचार संहिता को अपनाया है।

7. पारदर्शिता:

पारदर्शिता को बढ़ावा देने और उसे सुगम बनाने के लिए कॉर्पोरेशन ने निम्नांकित की शुरुआत की है:

क) ई-ऑफिस

ख) ठेके के लिए ई-संविदा

ग) कार्यपालकों तथा गैर-कार्यपालकों के लिए ए.पी.ए.आर. की ई-फाइलिंग

घ) ठेकेदारों एवं वेंडरों को बैंकों के द्वारा 100% भुगतान

च) वेबसाइट पर रिक्तियों की अधिसूचना

8. अभिस्वीकृतिः

मैं, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (भारत सरकार), महाराष्ट्र सरकार; जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी (जे. आई.सी.ए.) और भारत सरकार के विभिन्न विभागों तथा महाराष्ट्र सरकार को उनकी मदद, समर्थन एवं सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं, बोर्ड के सदस्यों को भी समय-समय पर उनके मूल्यवान मार्गदर्शन, समर्थन और विवेकपूर्ण मार्गदर्शन हेतु धन्यवाद देता हूं। अंत में मैं, सभी कर्मचारियों को उनके प्रयासों, उनके समर्पण एवं कठिन श्रम के लिए अपनी प्रशंसा दर्ज करवाना चाहूंगा, जिन्होंने देश के पूरी तरह भूमिगत मेट्रो रेल नेटवर्क में सुरंग बनाने के काम को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं आशा करता हूं कि उच्च प्रेरित कुशल कार्यबल की मदद से मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन भविष्य में अपने सभी प्रयासों में सफल होगा।

(मनोज जोशी)
सचिव
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार
तथा अध्यक्ष, एमएमआरसीएल

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 26/09/2022

निदेशक का प्रतिवेदन

प्रति,

सभासदगण,

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड,

मुंबई,

आपके निदेशकों को वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए कंपनी के व्यवसाय संचालन और वित्तीय स्थिति पर कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा 14वें प्रतिवेदन को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए खुशी हो रही है।

1. वित्तीय परिणाम एवं प्रदर्शन

31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की वित्तीय स्थिति निम्नवत है:

(सभी आंकड़े रुपए लाख में)

विवरण	2021-22	2020-21
कुल आय	878.77	1087.13
घटाएं: प्रचालन व्यय	2,295.10	2100.64
घटाएं: मूल्यह्रास	1,020.73	997.34
घटाएं: वित्तीय व्यय	32.75	57.17
घटाएं: अपवादी मद	0	0
कर पूर्व लाभ (हानि)	(2,469.81)	(2068.02)
घटाएं: कर व्यय	(520.49)	71.46
कर पश्चात शुद्ध लाभ (हानि)	(1,949.32)	(2139.48)
अन्य व्यापक आय (हानि)	(17.34)	(12.65)
सामान्य आरक्षितियों में हस्तांतरण	0	0
वर्ष के लिए कुल व्यापक (हानि)	(1,966.66)	(2152.13)

2. सामान्य आरक्षितियों में हस्तांतरण:

बोर्ड ने सामान्य आरक्षितियों में कोई भी राशि हस्तांतरित नहीं की है।

3. वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए लाभांश

वर्तमान वर्ष के लिए कोई भी लाभांश घोषित नहीं किया गया है।

4. कंपनी की स्थिति

कंपनी को अप्रैल 2008 में निगमित किया गया। वित्तीय वर्ष (2014-15) में कंपनी भारत सरकार तथा महाराष्ट्र सरकार के बीच 50:50 संयुक्त उद्यम (एम.एम.आर.डी.ए. के माध्यम से) बन गई है।

5. कंपनी के शेयरों का निर्गम

कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी रुपए 50,00,00,00,000 करोड़ (रुपए पांच हजार करोड़ मात्र) है जिस में रुपए 100/प्रति शेयर के 50 करोड़ इक्विटी शेयर शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान तथा इस प्रतिवेदन की तिथि तक कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 62 के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार के नामितों को रु. 100/- प्रति शेयर के 9,90,20,000 करोड़ इक्विटी शेयरों का राइट्स इश्यू जारी किया है जिनके विवरण निम्नवत हैः

क्रम संख्या	शेयर आबंटन समिति की बैठक की तिथि	शेयरों की संख्या	कुल प्रतिफल (आंकड़े रुपए में)
1	08/09/2021	3,00,00,000	3,00,00,00,000
2	18/02/2022	2,92,00,000	2,92,00,00,000
3	16/06/2022	2,00,00,000	2,00,00,00,000
4	22/08/2022	1,98,20,000	1,98,20,00,000

6. कंपनी का प्रचालन

वर्तमान प्रचालन

- केंद्र सरकार के पत्र संख्या 14011/36/2009 मेट्रो/एमआरटीएस-II (खंड III), दिनांक 18 जुलाई, 2013 के अनुमोदन के अनुसरण में कंपनी कोलाबा-बांद्रा-सिप्ज़ लाइन की मेट्रो लाइन-3 परियोजना के लिए एसपीवी है।
- कंपनी ने अब तक सुरंग निर्माण के 99% कार्य के साथ परियोजना पर 54.05 किलोमीटर सुरंग निर्माण पूरा कर लिया है तथा महालक्ष्मी-मुंबई सेंट्रल के बीच केवल एक 'ब्रेक-थ्रू' लंबित है। अन्य निर्माण गतिविधियां भी पूरी

प्रगति पर हैं। 26 भूमिगत स्टेशनों पर औसतन 85.4% निर्माण कार्य पूरे कर लिए गए हैं।

- कंपनी ने मेनलाइन पर 26.4 किलोमीटर का उच्च कंपन का एटेन्यूएशन ट्विन ब्लॉक स्लीपर ट्रैक लगाया है।

- महाराष्ट्र सरकार के दिनांक 29 जून, 2019 के निर्देशानुसार आरे स्थित कार डिपो का जो कार्य रूका हुआ था, उसे महाराष्ट्र सरकार के दिनांक 21 जुलाई, 2022 के दिशानिर्देश पर अब हटा लिया गया है। साथ ही, महाराष्ट्र सरकार ने लाइन-3 और लाइन-6 को एकीकृत कर लाइन-3 को कांजुर मार्ग ले जाने के अपने निर्णय को रद्द कर बहु-लाइनों के लिए समान डिपो रखने का निर्णय लिया है। महाराष्ट्र सरकार के दिशानिर्देश पर सिविल, ट्रैक, ईएंडएम आदि जैसे सभी कार्यों पर लागू निलंबन को हटाने की संस्तुति की गई है। कंपनी ने डिपो क्षेत्र में कुछ ढांचों को सरलीकृत / संशोधित भी किया है तथा कार्यों को चरणबद्ध तरीके से एक निश्चित समय-सीमा में निष्पादित किए जाने हेतु डिपो पर कार्यरत मौजूदा सिविल ठेकेदारों के साथ संविदा के संबंध में दुबारा बातचीत की है। कपंनी की इन गतिशील कार्रवाइयों के कारण लाइन-3 के प्रथम चरण का परिचालन दिसम्बर, 2023 तक शुरू किए जाने में सुगमता होगी।

विद्युत प्रणाली :

क) बिजली आपूर्ति प्रणाली:

तीन प्राप्तकर्ता सब-स्टेशनों की प्रगति इस प्रकार है: सरिपुट नगर - 100% (ऊर्जाकरण की तिथि: 21.03.2022), धारावी - 92%, साइंस म्यूजियम - 92%, समग्र भौतिक प्रगति - 86%

ख) कर्षण (25 किलोवाट ओवरहेड संपर्क) प्रणाली:

सहायक सब स्टेशनों (एएसएस) का संस्थापन कार्य प्रगति पर है। 25 किलोवाट रिजिड ओवरहेड संपर्क प्रणाली (आरओसीईएस) संस्थापन प्रगति पर है। 34.5% (66.4 किलोवाट में से 22.9 किलोमीटर) आरओसीईएस कार्य पूरा हो चुका है। समग्र भौतिक प्रगति - 49%

ग) एस्केलेटर्स: खेप-ई (आरे से दादर - 13 स्टेशन):

(फेज - 1: संख्या - 130, फेज - 2: संख्या - 58), कुल संख्या - 189.

परीक्षण और प्रारंभ पूर्ण - संख्या - 30 भौतिक प्रगति - 43%

घ) एस्केलेटर्स: खेप 2 – ई 2 (सिद्धिविनायक से कफ परेड – 14 स्टेशन):

(फेज - 2 में कुल संख्या 224) परीक्षण और प्रारंभ पूर्ण संख्या - 34

भौतिक प्रगति - 37%

च) लिफ्ट (उद्वाहक): खेप 1 – एल 1 (आरे से दादर – 13 स्टेशन):

(फेज - 1: संख्या - 75, फेज - 2 - संख्या - 17) कुल संख्या - 92

भौतिक प्रगति - 36%

छ) लिफ्ट (उद्वाहक): खेप 2 – एल 2 (सिद्धिविनायक से कफ परेड – 14 स्टेशन):

(फेज - 2 में सभी: कुल संख्या - 93)

भौतिक प्रगति - 32%

ज) सुरंग वायु संचालन तथा पर्यावरणीय नियंत्रण प्रणाली (टीवीएस व ईसीएस) 3 खेप:

26 स्टेशनों (सीप्ज, एमआईडीसी व कफ परेड स्थित 3 अधीनाथ भवनों को मिलावट) में से 22 स्टेशनों पर कार्य प्रगति पर है। भौतिक प्रगति – खेप (पी 1) – 44%, खेप (पी 2 एल 1) – 40%, खेप (पी 2 एल 2) – 40%

झ) डिपो (इएंडएम) कार्य:

महाराष्ट्र सरकार के दिशानिर्देश दिनांक 21.07.2022 के आधार पर आरे डिपो के निर्माण कार्य का निलंबन 27.07.2022 को निरस्त कर दिया गया। 52% डिजाइन कार्य पूरा हो चुका है। भौतिक प्रगति - 12%

रोलिंग स्टॉक: (100% मेक इन इंडिया) :–

क) 31 ट्रेनें (प्रत्येक 8 मेट्रो कार की)

पहली मूल रूप ट्रेन 05 अगस्त, 2022 को आरे स्थित सारिपुट में स्थापित अस्थाई केंद्र में प्राप्त किया गया। 15 अगस्त, 2022 को ट्रेन संचालित की गई तथा महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय उप मुख्यमंत्री द्वारा प्रारम्भिक डिजाइन को सिद्ध करने वाले ट्रायल रन को रैम्प (सीप्ज स्थित) एवं मरोल नाका (विशिष्ट) के बीच

डाउन मेन लाइन पर लगभग 3 किलोमीटर खण्ड पर 30 अगस्त, 2022 को हरी झंडी दिखाई गई। दूसरे ट्रेन-सेट का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। तीसरे एवं चौथे ट्रेन-सेट का निर्माण कार्य प्रगति पर है। (श्रीसिटी, आंध्र प्रदेश) भौतिक प्रगति - 33%

ख) डिपो संयंत्र एवं पर्यावरण (पी एंड इ) (छह उप-पैकेज)

इस पैकेज के अन्तर्गत प्रापण गतिविधियों को महाराष्ट्र सरकार के दिशानिर्देश दिनांक 21.07.2022 के आधार पर पुनः शुरू किया गया।

पहली बैटरी संचालित शंटर प्राप्त हुआ। समग्र भौतिक प्रगति - 6%

सिग्नलिंग और टेलीकॉम प्रणाली :

क. सिग्नलिंग एवं ट्रेन नियंत्रण, प्लेटफॉर्म स्क्रीन द्वार, तथा टेलीकॉम प्रणालियां (एसटीपीटी):

ट्रेन विनिर्माण संयंत्र (श्रीसिटी, आंध्र प्रदेश) स्थित पहली और दूसरी ट्रेन में ऑन-बोर्ड एस एंड टी उपकरण का संस्थापन पूरा हो गया है।

पहली ट्रेन का परीक्षण सीबीटीसी / यूटीओ मोड में किया गया है। एमएमएल 3 स्टेशनों तथा सुरंग खण्डों में एसटीपीटी उपकरण का संस्थापन प्रगति पर है। भौतिक प्रगति - 47%

ख) स्वचलित किराया वसूली (एएफसी प्रणाली):

समग्र डिजाइन प्रगति - 93%, (एनसीएमसी कार्ड), क्यूआर कोड टिकटिंग (पेपर और मोबाइल) का उपभोग किया जाएगा। भौतिक प्रगति - 29%

ग) स्टेशन सुरक्षा प्रणाली (एसएसएस):

मुंबई पुलिस से एमएमएल-3 सुरक्षा योजना का अनुमोदन 06.08.2020 को प्राप्त हुआ। सामग्री का प्रापण जीईएम पोर्टल के माध्यम से संबंधित आरओडी के 3 से 6 माह पूर्व किए जाने की योजना है।

स्वचलित प्रणालियां:

क) समान आस्ति प्रबंधन प्रणालियां (सीएएमएस):

मुंबई मेट्रो लाइन-3 के परिचालन और अनुरक्षण को सुगम बनाने हेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म को मुख्यतया आस्ति प्रबंधन, कार्य प्रबंधन, सामग्री प्रबंधन, प्रापण प्रबंधन, संविदा प्रबंधन, बजट प्रबंधन, निवारक अनुरक्षण प्रबंधन तथा सेवा प्रबंधन आदि में सहयोग प्रदान करने के लिए विकसित किया जा रहा है।

7. निदेशक मंडल तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

इस प्रतिवेदन की अवधि के दौरान, कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। इस प्रतिवेदन की तिथि को निदेशक मंडल निम्नवत है:

क्रम संख्या	निदेशक/मुप्रका के नाम	डीआईएन/पैन	नियुक्ति की तिथि	पदनाम
1	श्री. मनोज जोशी	02103601	30/12/2021	अध्यक्ष व नामित निदेशक
2	श्रीमती अश्विनी भिडे	02861008	12/07/2022	नामित निदेशक
3	श्री. जयदीप	08558063	06/12/2019	नामित निदेशक
4	श्री. श्याम सुंदर दुबे	06601151	30/07/2019	नामित निदेशक
5	श्रीमती नमिता मेहरोत्रा	07916304	27/04/2022	नामित निदेशक
6	श्री. राकेश चौधरी	09495362	24/05/2022	नामित निदेशक
7	श्री. इकबाल सिंह चहल	08727394	30/07/2021	नामित निदेशक
8	श्री. श्रीनिवास वेंकट रत्न सोंटी	02860903	03/06/2021	नामित निदेशक
9	श्री. भूषण अशोक गगराणी	00204045	10/08/2020	नामित निदेशक
10	श्री. मनोज सौनिक	02954463	08/05/2020	नामित निदेशक
11	श्री. सुबोध कुमार गुप्ता	07114292	14/01/2015	पूर्णकालिक निदेशक
12	श्री. अजय कुमार अमरनाथ भट्ट	07110097	06/02/2015	पूर्णकालिक निदेशक
13	श्री. अबोध खंडेलवाल	07807394	28/04/2017	पूर्णकालिक निदेशक
14	श्री. अबोध खंडेलवाल	ACYPK0309G	29/03/2017	मुख्य वित्त अधिकारी
15	सुश्री ऋतु देब	ADVPD0728L	15/04/2015	कंपनी सचिव

इस प्रतिवेदन की तिथि तक कंपनी के निदेशक मंडल और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक की संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं।

क्रम संख्या	निदेशक/मुप्रका के नाम	डीआईएन/पैन	नियुक्ति की तिथि	पदनाम
1	श्री. मनोज जोशी	02103601	30/12/2021	नामित निदेशक
2	श्री. श्रीनिवास वेंकट रत्न सोंटी	02860903	03/06/2021	नामित निदेशक
3	श्री. इकबाल सिंह चहल	08727394	30/07/2021	नामित निदेशक
4	श्रीमती अश्विनी भिडे	02861008	12/07/2022	नामित निदेशक
5	श्रीमती नमिता मेहरोत्रा	07916304	27/04/2022	नामित निदेशक
6	श्री. राकेश चौधरी	09495362	24/05/2022	नामित निदेशक

क्रम संख्या	निदेशक/मुप्रका के नाम	डीआईएन/पैन	स्थानान्तरण की तिथि	पदनाम
1	श्री. रणजित सिंह	06759002	15/03/2022	प्रबंध निदेशक
2	श्री. सुधांशु शेखर जोशी	08077267	30/11/2021	नामित निदेशक
3	श्री. आर .ए. राजीव	03125952	31/05/2021	नामित निदेशक
4	श्री. दुर्गा शंकर मिश्रा	02944212	29/12/2021	नामित निदेशक

8. बोर्ड की बैठकों तथा समिति की बैठकों के विवरण

क. बोर्ड की बैठकें

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान निदेशक मंडल की 4 बैठकें आयोजित हुई जिनके विवरण निम्नानुसार हैं:

बोर्ड की बैठकों की संख्या	बोर्ड की बैठकों की तिथि	उपस्थित निदेशकों की संख्या
बोर्ड की 61 वीं बैठक	19/04/2021	7
बोर्ड की 62 वीं बैठक	02/08/2021	11
बोर्ड की 63 वीं बैठक	30/09/2021	10
बोर्ड की 64 वीं बैठक	27/01/2022	9

निदेशकों के नाम	वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों की संख्या		
	आयोजित	पात्रता	उपस्थिति
श्री. दुर्गा शंकर मिश्रा	4	3	3
श्री. श्याम सुंदर दुबे	4	4	2
श्री. जयदीप	4	4	3
श्री. सुधांशु शेखर जोशी	4	3	3
श्री. इकबाल सिंह चहल	4	4	0
श्री. भूषण अशोक गगराणी	4	4	4
श्री. रणजित सिंह देओल	4	4	4
श्री. आर. ए. राजीव	4	1	0
श्री. मनोज सौनिक	4	4	2
श्री. सुबोध कुमार गुप्ता	4	4	4
श्री. अजय कुमार अमरनाथ भट्ट	4	4	4
श्री. अबोध खंडेलवाल	4	4	4
श्री. एसवीआर श्रीनिवास	4	3	3
श्री मनोज जोशी	4	1	1

बोर्ड की दो बैठकों के मध्य समय–अंतराल 120 दिनों से अधिक नहीं रहा। बोर्ड की सभी बैठकों में पर्याप्त गणपूर्ति थी। बोर्ड की बैठकों के संचालन के लिए कंपनी भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आई.सी.एस.आई) द्वारा जारी सचिवीय मानद–1 (एसएस–1) के अन्तर्गत आवश्यक अनुपालन करती है।

ख) लेखापरीक्षा समिति:

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार निदेशक मंडल लेखापरीक्षा समिति का गठन किया है।

लेखापरीक्षा समिति की गणपूर्ति में 2 सदस्यों की व्यक्तिगत उपस्थिति होगी।

लेखापरीक्षा समिति के गठन तथा इसकी बैठकों में उपस्थित सदस्यों के विवरण नीचे दिए गए हैं:-

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	वर्ष के दौरान बैठकों की संख्या		
			आयोजित	पात्रता	उपस्थिति
1	श्री श्याम सुंदर दुबे	नामित निदेशक/अध्यक्ष	1	1	1
2	श्री अजयकुमार ए भट्ट	निदेशक प्रणाली/सदस्य	1	1	1
3	श्री भूषण गगराणी	नामित निदेशक/अध्यक्ष	1	1	1
4	श्री रणजित सिंह देओल *	प्रबंध निदेशक/स्थाई आमंत्रित	1	1	1
5	श्री अबोध खंडेलवाल	निदेशक वित्त एवं सीएफओ स्थाई आमंत्रित	1	1	1

* श्री रणजित सिंह देओल का प्रबंध निदेशक का पद 15 मार्च, 2022 के प्रभाव से समाप्त हुआ है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में लेखापरीक्षा समिति की बैठकों का आयोजन तारीख 23 जुलाई, 2021 को किया गया।

ग) नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार निदेशक मंडल ने निदेशक मंडल की नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन किया है। नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन तथा 31 मार्च 2022 को आयोजित बैठक का विवरण निम्नवत है:

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	आयोजित बैठकों की संख्या	उपस्थिति
1	श्री श्याम सुंदर दुबे	अध्यक्ष	1	1
2	श्री भूषण गगराणी	सदस्य	1	1
3	श्री रणजित सिंह देओल*	सदस्य	1	1

*श्री रणजित सिंह देओल का प्रबंध निदेशक का पद 15 मार्च, 2022 के प्रभाव से समाप्त हुआ है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 वर्ष के दौरान नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की बैठक का आयोजन 17 जून, 2021 को किया गया।

नामांकन एवं पारिश्रमिक नीति की प्रतिलिपि इस प्रतिवेदन के साथ **परिशिष्ट-1** के रूप में संलग्न है।

घ) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसार निदेशक मंडल ने निदेशक मंडल की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन किया है।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की गणपूर्ति में 2 सदस्यों की व्यक्तिगत उपस्थिति होगी।

वर्तमान कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की संरचना तथा 31 मार्च 2022 को आयोजित बैठक के विवरण निम्नलिखित हैं-

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	आयोजित बैठकों की संख्या	बैठक में भाग लेने की संख्या
1	श्री भूषण गगराणी	अध्यक्ष	1	1
2	श्री रणजित सिंह देओल*	सदस्य	1	1
3	श्री अजयकुमार ए भट्ट	सदस्य	1	1

*श्री. रणजित सिंह देओल का प्रबंध निदेशक का पद 15 मार्च, 2022 के प्रभाव से समाप्त हुआ है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व हेतु कंपनी अधिनियम की धारा 135 के प्रावधान इस कंपनी पर लागू नहीं हैं।

सीएसआर प्रतिवेदन सहित सीएसआर नीति के विवरण इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट II में संलग्न किए गए हैं।

च) शेयर आबंटन समिति:

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार निदेशक मंडल ने निदेशक मंडल की शेयर आबंटन समिति का गठन किया है। यह समिति निदेशक मंडल की गैर-अनिवार्यता समिति है।

शेयर आबंटन समिति की गणपूर्ति में 2 सदस्यों की व्यक्तिगत उपस्थिति होगी।

शेयर आबंटन समिति के गठन एवं इसकी बैठकों में उपस्थित सदस्यों के विवरण नीचे दिए गए हैं।

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	वर्ष के दौरान बैठकों की संख्या	
			पात्रता	उपस्थिति
01	श्री भूषण गगराणी	नामित निदेशक	2	2
02	श्री श्याम सुंदर दुबे	सदस्य	2	2
03	श्री रणजित सिंह देओल*	सदस्य	2	2

*श्री रणजित सिंह देओल का प्रबंध निदेशक का पद 15 मार्च, 2022 के प्रभाव से समाप्त हुआ है।

वर्ष के दौरान शेयर आबंटन समिति की बैठक 08 सितम्बर, 2021 तथा 18 फरवरी, 2022 को आयोजित हुई।

9. निदेशक मंडल का वार्षिक मूल्यांकन:

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनिवार्यता के अनुसार निदेशक मंडल ने निदेशक मंडल के वार्षिक मूल्यांकन हेतु एक मूल्यांकन ढांचा अंगीकृत किया है। नामांकन एवं पारिश्रमिक नीति में दिए गए प्राचलों के अनुक्रम में निर्धारित मानदंडों के अनुसार नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति सभी निदेशकों के निष्पादन का मूल्यांकन करती है। इसके अलावा निदेशक मंडल स्थापित प्राचलों के अनुसार निदेशकों, बोर्ड की समितियों तथा समग्र रूप से बोर्ड के निष्पादन का मूल्यांकन करता है।

10. कंपनी की वित्तीय अवस्था को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन एवं प्रतिबद्धताएं, यदि कोई हो, जो कंपनी के वित्तीय वर्ष की समाप्ति के मध्य पारित हुई हैं तथा जो प्रतिवेदन की तिथि को वित्तीय विवरण से संबद्ध हैं:-

1. महाराष्ट्र सरकार ने अपने पत्र दिनांक 21-07-2022 के द्वारा कॉर्पोरेशन तथा मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) को सूचित किया है कि आरे स्थित आरे निर्माण कार्य पर पहले जो स्थगन आदेश लगाया गया था, वह 29-11-2019 को निरस्त कर दिया गया है। साथ ही, सरकार ने कॉर्पोरेशन को निर्धारित समय-सीमा के भीतर डिपो कार्य को पूर्ण करने का निर्देश भी दिया है।

2. मेट्रो निर्माण संविदाओं पर लागू जीएसटी की दर को 18 जुलाई, 2022 के प्रभाव से 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है।

3. महाराष्ट्र सरकार ने लाइन-3 परियोजना के लिए रूपये 33,405 करोड़ के संशोधित डीपीआर का अनुमोदन दिनांक 10 अगस्त, 2022 को किया है।

4. बिंदु 1 और 2 से संबंधित जानकारी वित्तीय प्रदर्शन में पहले ही प्रकट की जा चुकी है जैसा कि 08 अगस्त, 2022 को आयोजित बोर्ड की बैठक में इसे रखा गया था। इसके अलावा, रूपये 2200 करोड़ के ब्रिज फाइनेंसिंग प्रस्ताव को पावर फायनान्स कारपोरेशन के पास भेजा गया तथा डिपो का काम सौंपा गया।

11. वर्तमान में कंपनी के प्रचालन से सम्बद्ध स्थिति तथा भविष्य में कंपनी के प्रचालनों को प्रभावित करने वाले विनियामकों या न्यायालय या न्यायाधिकरणों द्वारा पारित उल्लेखनीय तथा महत्वपूर्ण

आदेशों के विवरण:

वर्ष 2021-22 में न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा अदालती मामलों में पारित ऐसे कोई उल्लेखनीय और तथ्यात्मक आदेश नहीं हैं जहां एमएमआरसी पक्षकार प्रतिवादी है।

12. जमा:

कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की है। साथ ही, कोई बकाया राशि भी नहीं है जो कंपनी (जमा राशियों की स्वीकृति) नियम, 2014 के दायरे में आती है।

13. सांविधिक लेखापरीक्षक:

एक सरकारी कंपनी होने के नाते कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) के प्रावधानों के अनुसरण में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, भारत (कैग) के द्वारा कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की जाती है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने अपने पत्र संख्या सी.ए.वी./सी.ओ.वाई./ केंद्र सरकार मुंबई मेट्रो (1) / 680; दिनांक 1 सप्टेंबर, 2021 के द्वारा मेसर्स चंदाभॉय एंड जस्सोभॉय चार्टर्ड अकाउंटेंट को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया है।

इसके अलावा सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा निदेशकों के प्रतिवेदन में आवश्यक प्रकटण में या केंद्र सरकार को दिए गए प्रतिवेदन में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(12) के संबंध में कोई धोखाधड़ी प्रतिवेदित नहीं की गई।

14. सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन पर टिप्पणियां:

सांविधिक लेखापरीक्षक मेसर्स चंदाभॉय एंड जस्सोभॉय चार्टर्ड अकाउंटेंट ने वर्ष 2021-2022 के लिए वित्तीय विवरण का लेखापरीक्षण किया तथा इसे युक्तियुक्त पाया।

15. भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक (कैग) की टिप्पणियां:

भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए की गई समीक्षा एवं लेखापरीक्षण प्राप्त हुए हैं एवं तदनुसार लेखापरीक्षित प्रतिवेदन यहां संलग्न किए गए हैं।

16. सचिवीय लेखापरीक्षक:

निदेशक मंडल ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के प्रावधानों के अनुक्रम में मेसर्स रागिनी चोकशी एंड कंपनी, कंपनी सचिव, मुंबई को कंपनी के लिए सचिवीय लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। उनके सचिवीय लेखापरीक्षण की प्रति इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट III का भाग है।

17. ऊर्जा का संरक्षण, तकनीकी अवशोषण तथा विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय:

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान ऊर्जा के संरक्षण, तकनीकी अवशोषण तथा विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय के विवरण निम्नवत हैं:

क) ऊर्जा का संरक्षण	
I) उठाए गए कदमों का ऊर्जा के संरक्षण पर प्रभाव	ऊर्जा संरक्षण हेतु मुंबई मेट्रो लाइन-3 (एमएमएल-3) के लिए निम्नलिखित पहल की योजना तैयार की जा रही है: I) सभी मेट्रो स्टेशनों/डिपो पर एलईडी प्रकार की ऊर्जा की कम खपत करनेवाली विद्युत प्रणाली (साइनेज सहित) का उपयोग किया जाएगा। II) ऊर्जा संरक्षण के लिए लिफ्ट और एस्केलेटर प्रणालियों में वीवीवीएफ (वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रिकवेंसी) ड्राइव का उपयोग। III) भूमिगत, भूमि के ऊपर तथा सुरंग के मध्य में वेंटिलेशन शाफ्ट की ईसीएस एवं टीवीएस प्रणालियों पर 3 फेज वाले एसी मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए वेरिएबल स्पीड ड्राइवर (वीएसडी) का उपयोग। IV) भूमिगत स्टेशनों में पर्यावरण नियंत्रण प्रणाली (ईसीएस) पर गर्मी के भार को कम करने के लिए पूरी ऊंचाई वाले प्लेटफार्म स्क्रीन दरवाजों का उपयोग करना। इससे ईसीएस में होने वाली ऊर्जा खपत में 35% तक की कमी का अनुमान है। V) ट्रेनों में आधुनिक वीवीवीएफ नियंत्रण प्रणोदक प्रणाली का उपयोग कर लगभग 30% ऊर्जा का पुनः उत्पादन करना। नो-लोड की अवस्था के दौरान एस्केलेटर की गति एवं ठहराव को कम करने के लिए सेंसरों का उपयोग। इससे नो-लोड/ निष्क्रिय अवस्था में लगभग 50% ऊर्जा की बचत करने में मदद मिलेगी।
II) ऊर्जा के वैकल्पिक स्त्रोतों का उपयोग करने के लिए कंपनी द्वारा उठाये गए कदम।	एमएमआरसी में ऊर्जा के वैकल्पिक स्त्रोतों यथा, सौर ऊर्जा के उपयोग की दिशा में निम्नलिखित पहल की योजना बनाई जा रही है। कदम उठाए जा रहे हैं:- I) प्रतिस्पर्धा बिडिंग प्रक्रिया के जरिए खुले बाजार में 50 मेगावाट क्षमता वाली सौर ऊर्जा की खरीद की योजना। II) कुल 10 केवीपी सौर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए सभी तीन प्राप्तकर्ता सब-स्टेशनों (आरएसएस) में छत के ऊपर सोलर पीवी संयंत्र लगाने की योजना। III) 1800 केवीपी सौर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए एमएमएल-3 डिपो में ओसीसी तथा स्टेबलिंग लाइनों के ढके हुए शेडों की योजना। इसके अलावा, एमएमआरसी ने अपनी हरित प्रतिबद्धताओं के अनुसरण में एमएमआरसी ट्रांजिट कार्यालय की छत पर सौर पीवी 75 केवीपी संयंत्र की स्थापना की है। यह सौर संयंत्र नवंबर, 2018 से कार्य कर रहा है।

III) ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजी पर पूंजी निवेश	ट्रांजिट कार्यालय की छत पर स्थापित 75 किलोवाट क्षमता वाले सौर पीवी संयंत्र के लिए अब तक पूंजी निवेश रूपये 54,49,500 है।
ख) तकनीकी अवशोषण	
I) तकनीकी अवशोषण की दिशा में किए गए प्रयास	I) मेट्रों स्टेशनों पर ट्रेन परिचालनों की व्यस्ततम/गैर-व्यस्ततम/गैर राजस्व घंटों के दौरान एलईडी प्रकाश व्यवस्था आवाजाही डिटेक्टरों तथा अधिकतम प्रकाश (लक्स स्तर का स्वचालित नियंत्रण)। II) विद्युत ऊर्जा की बचत तथा पहियों और ब्रेक ब्लॉकों में टूट-फूट को कम करने के लिए रिजनरेटिव (दुबारा उत्पन्न करने वाला ब्रेकिंग)। III) ऊर्जा सक्षम तथा आसानी से देखरेख की जाने वाली वीवीवीएफ आधारित प्रणोदन प्रणाली। IV) डब्बों में एलईडी प्रकाश व्यवस्था तथा वीवीएस ड्राइव इन्वर्टर आधारित वातानुकूलन प्रणाली। V) एमएमएल-3 प्राप्तकर्ता सब-स्टेशनों में प्रयुक्त होने वाले गैसरोधी स्विचगियर (जीआईएस) दुरूस्त हैं तथा कम रख-रखाव आवश्यकता वाली विश्वसनीय प्रणालियां हैं। VI) टीवीएस तथा ईसीएस के एकीकृत एससीएडीए नियंत्रण के द्वारा बेहतर यात्री सुविधा और मितव्ययिता प्राप्त की जा रही है। VII) अधिकतम परिचालन दक्षता हेतु मानव रहित ट्रेन परिचालन (यूटीओ) सहित संचार आधारित ट्रेन नियंत्रण (सीबीटीसी) का प्रस्ताव किया गया है। VIII) एमएमएल-3 में एएससी के लिए राष्ट्रीय मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) की शुरूआत की जा रही है। इस प्रणाली में एनसीएमसी कार्ड तथा मोबाइल ऐप के लिए एमएमआर ने परिवहन के अन्य साधनों के साथ अंतर-संचालन के लिए एकीकृत टिकट प्रणाली (आईटीएस) के साथ एकीकृत करने का भी प्रावधान होगा। दोतरफा श्रव्य-दृश्य ट्रांसफर सुविधा के साथ वीडियो संप्रेषण प्रणाली (वीटीएस)

II) उत्पाद में सुधार, लागत में कमी, उत्पाद के विकास या आयात प्रतिस्थापना जैसे लाभ हुए।	I) रोलिंग स्टॉक के मुख्य उपकरण यथा, कनवर्टर / इनवर्टर इकाई, स्थैतिज इनवर्टर वीसीबी, डोर प्रणाली, पैंटाग्राम, वीएसई आदि स्वदेशी होंगे। II) सिग्नलिंग और टेलिकॉम के मुख्य उपकरण यथा, डिपो के लिए प्वाईंट मशीनें, केबल, सिग्नल इकाइयां, रियर प्रोजेक्शन स्क्रीन, बिजली वितरण प्रकोष्ठ, यात्री सूचना डिस्प्ले प्रणाली (पीआईडीएस), त्रुटि प्रतिवेदक प्रणाली (एफआरएस) निर्बाध बिजली आपूर्ति (यूपीएस), वॉयस रिकॉर्डिंग प्रणाली (वीआरएस) आदि स्वदेशी स्रोतों से ली जा रही है।
III) आयातित तकनीक की दशा में (वित्तीय वर्ष की शुरूआत में पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान आयातित)	लागू नहीं (एमएमएल-3 क्रियान्वयन के अन्तर्गत एक हरित क्षेत्र परियोजना है।)
क) आयातित तकनीक के विवरण	
ख) आयात का वर्ष	
ग) क्या तकनीकी का पूरी तरह अवशोषण किया गया।	
घ) यदि पूरी तरह अवशोषण नहीं किया गया तो वह क्षेत्र बताएं जहां अवशोषण नहीं किया हुआ है एवं इसके क्या कारण हैं तथा;	
IV) अनुसंधान तथा विकास पर उपगत व्यय	लागू नहीं
(ग) विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय	
वर्ष के दौरान वास्तविक अंतर्वाहों के संदर्भ में अर्जित विदेशी मुद्रा तथा वास्तविक बहिर्वाहों के संदर्भ में वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा व्यय।	विदेशी मुद्रा अर्जन- शून्य विदेशी मुद्रा व्यय- रुपए 5,06,39,00,998.12/-

18. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3)(जी) के संदर्भ में ऋणों, निवेशों तथा प्रत्याभूति के विवरण:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने ऐसे कोई ऋण नहीं दिए, कोई निवेश नहीं किए अथवा ना ही ऐसे किसी ऋण पर कोई प्रत्याभूति दी है जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (जी) के प्रावधानों के दायरे में आते हैं। अतः इस संबंध में कोई प्रकटन दिया जाना आवश्यक नहीं है।

19. संबंधित पक्षकारों के साथ संविदाओं या करारों के विवरण:

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए संबंधित पक्षकारों के साथ संविदाओं या करारों के विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188(1) में विहित प्रपत्र एओसी-2 में संदर्भित है जिसे परिशिष्ट IV के रूप में इस प्रतिवेदन के साथ संलग्न किया गया है।

20. वार्षिक रिटर्न का सार:

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक रिटर्न का सार कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान के अंतर्गत यथा अपेक्षित प्रपत्र एम जी टी-9 में है जो इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'V' के साथ संलग्न किया गया है।

21. कर्मचारी:

(i) प्रतिमाह रुपए 8,50,000 या प्रतिवर्ष रुपए 1,02,00,000 से अधिक पारिश्रमिक वाला कोई भी कर्मचारी नहीं है। प्रकार्यात्मक निदेशकों को प्रदत्त पारिश्रमिक के विवरण वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए लेखापरीक्षित लेखों में यथाउल्लिखित किए गए हैं।

एमसीए अधिसूचना दिनांक 5 जून 2015 के आधार पर सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 1997 (अध्याय XIII) की आवश्यकता का अनुपालन करने से छूट दी गई है। इसलिए, इसके तहत बनाए गए नियम अर्थात कंपनी के नियम 5 (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम 2014 भी सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होते हैं।

(ii) आगे, निदेशक मंडल एतद् द्वारा घोषित करते हैं कि कंपनी को समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध एवं निदान) अधिनियम, 2011 के अंतर्गत कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

22. जोखिम प्रबंधन नीति:

कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति के अनुक्रम में कंपनी के पास जोखिम प्रबंधन नीति है। निदेशक मंडल/लेखापरीक्षा समिति जैसा उचित समझती है, इसकी नियमित समीक्षा एवं देखरेख करती है।

बोर्ड के मत में ऐसा कोई प्रत्यक्ष जोखिम नहीं है जिससे कंपनी के अस्तित्व को खतरा हो।

23. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण:

साथ ही, निदेशक मंडल वित्तीय विवरणों के संबंध में कंपनी की आंतरिक नीतियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि धोखाधड़ी एवं चूक के मामलों, यदि कोई हो, का क्रमबद्ध तरीके से एवं दक्षता के साथ पता लगाया जाता है। आगे लेखाकरण अभिलेखों की शुद्धता एवं पूर्णता का निर्धारण करने के लिए आंतरिक नीतियां एवं प्रक्रियाएं सुसंगत हैं तथा विश्वसनीय वित्तीय जानकारी तैयार करने हेतु प्रणाली सुव्यवस्थित है।

24. आइसीएसआई द्वारा जारी सचिवीय मानकों के प्रावधानों का अनुपालन:

निदेशक मंडल एतद् द्वारा घोषित करता है कि आईसीएसआई द्वारा जारी तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 118 (10) के अंतर्गत एमसीए द्वारा अधिसूचित सचिवीय मानकों 1 (बोर्ड की बैठकों) तथा सचिवीय मानकों 2 (सामान्य बैठकों) के प्रावधानों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान किया गया।

25. निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण

निदेशक एतद् द्वारा घोषित करते हैं कि :-

क) वार्षिक लेखों को तैयार करने के दौरान तथ्यात्मक विचलनों के संबंध में उपयुक्त स्पष्टीकरण सहित लागू लेखा मानकों का अनुपालन किया गया है।

ख) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया एवं उन्हें सुसंगत ढंग से लागू किया तथा फैसले और आकलन किए जो उचित व विवेकपूर्ण हैं ताकि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर एवं उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ और हानि के संबंध में कंपनी की स्थिति के बारे में सच्ची और स्पष्ट तस्वीर प्रदर्शित हो।

ग) निदेशकों ने कंपनी की आस्तियों की सुरक्षा एवं धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं की रोकथाम करने और उनका पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों के अनुरक्षण हेतु उचित एवं पर्याप्त ध्यान रखा है।

घ) निदेशकों ने मौजूदा मामले के आधार पर वार्षिक लेखे तैयार किए थे; तथा

च) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार की हैं, तथा ये प्रणालियां पर्याप्त और प्रभावी रूप से संचालित हो रही हैं।

26. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अन्तर्गत किए गए आवेदन अथवा पूर्व में लंबित कार्यवाही के विवरण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अन्तर्गत कंपनी के नाम में कोई आवेदन नहीं किए गए और न ही, इससे पूर्व कोई कार्यवाही लंबित थी।

27. मूल्यांकन राशि, यदि एकमुश्त निपटान है तथा बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करते समय मूल्यांकन के बीच अंतर के विवरण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋणों का कोई एकमुश्त निपटान नहीं किया गया।

28. अभिस्वीकृतियां:

मैं, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (भारत सरकार), महाराष्ट्र सरकार; जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी (जेआईसीए) और भारत सरकार के विभिन्न विभागों तथा महाराष्ट्र सरकार को उनकी मदद, समर्थन एवं सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं, बोर्ड के सदस्यों को भी समय-समय पर उनके मूल्यवान मार्गदर्शन, समर्थन और विवेकपूर्ण मार्गदर्शन हेतु धन्यवाद देता हूं। अंत में मैं, सभी कर्मचारियों के प्रयासों, उनके समर्पण एवं कठिन श्रम के लिए अपनी प्रशंसा दर्ज कराना चाहूंगा, जिन्होंने देश के पूरी तरह भूमिगत मेट्रो रेल नेटवर्क में सुरंग बनाने के काम को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं आशा करता हूं कि उच्च प्रेरित कुशल कार्यबल की मदद से मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन भविष्य में अपने सभी प्रयासों में सफल होगा।

निदेशक मंडल के लिए एवं की ओर से
मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

हस्ताक्षर

मनोज जोशी
अध्यक्ष एवं नामित निदेशक
(डीआईएन: 2103601)

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 29/09/2022

परिशिष्ट I

नामांकन एवं पारिश्रमिक नीति

क्रम संख्या	अनुक्रमणिका
1	उद्देशिका
2	नीति के मुख्य उद्देश्य
3	प्रभावी तिथि
4	नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन
5	व्याख्या
6	अनुप्रयोज्यता
7	निदेशक मंडल/प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशकों की नीति की अनुप्रयोज्यता
8	समिति के सदस्य
9	समिति की गणपूर्ति
10	समिति की बैठकें
11	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों और वरिष्ठ प्रबंधन की नियुक्ति तथा निष्कासन
12	अवधि/कार्यकाल
13	मूल्यांकन
14	निष्कासन
15	सेवानिवृत्ति
16	निदेशकों/मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों/वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के पारिश्रमिक की नीति
17	कार्यान्वयन
18	संशोधन

1. उद्देशिका:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 (3) के प्रावधानों सहपठित अनुप्रयोज्य संबंधित नियमों, विनियमों के संदर्भ में कंपनी ने यह नामांकन एवं पारिश्रमिक नीति बनाई है। यह नीति सरकारी कंपनियों के लिए लागू नीतियों के अनुक्रम में कंपनी के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों एवं अन्य वरिष्ठ कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए लागू होगी।

2. नीति के मुख्य उद्देश्य:

इस नीति के मुख्य उद्देश्य निम्नवत होंगे:

क) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों एवं वरिष्ठ प्रबंधन की नियुक्ति और निष्कासन के संबंध में बोर्ड का मार्गदर्शन करना।

ख) वरिष्ठ प्रबंधकीय कार्मिकों या कर्मचारियों के निष्पादन का मूल्यांकन करना तथा आगे के मूल्यांकन के लिए बोर्ड को आवश्यक प्रतिवेदन उपलब्ध करना।

ग) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों तथा वरिष्ठ प्रबंधन को पारिश्रमिक के बारे में बोर्ड को सिफारिश करना।

3. प्रभावी तिथि:

यह नीति बोर्ड द्वारा इसे अनुमोदित किए जाने की तिथि से प्रभावी होगी।

4. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन:

निदेशक मंडल ने बोर्ड की 5 मार्च, 2016 तथा 27 मई, 2016 को आयोजित क्रमशः 38वीं और 39वीं बैठकों में नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन समिति के संदर्भ की शर्तों के अधीन किया।

5. परिभाषाएं:

- "बोर्ड" से तात्पर्य कंपनी के निदेशक मंडल से है।
- "निदेशक" से तात्पर्य कंपनी के निदेशक से है।
- "समिति" से तात्पर्य बोर्ड द्वारा गठित या पुनर्गठित कंपनी की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति से है।
- "कंपनी" से तात्पर्य मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड से है।

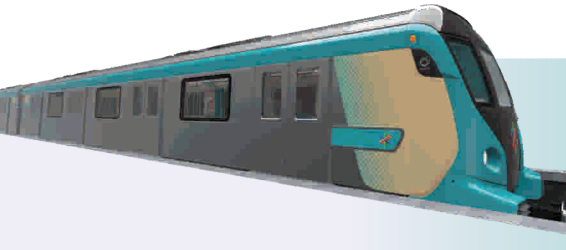

- "महाराष्ट्र सरकार" या "सरकार" से तात्पर्य महाराष्ट्र की राज्य सरकार होगा बशर्ते कि इस विषय में अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए।
- "केंद्र सरकार" से तात्पर्य है भारत सरकार। भारत सरकार में 'भारत के राष्ट्रपति' या इनके नामिती सम्मिलित होंगे।
- "स्वतंत्र निदेशक" से तात्पर्य है कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) में संदर्भित निदेशक।
- "वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक" से तात्पर्य कंपनी के वे कार्मिक हैं जो, सिवाय निदेशक मंडल के, इनके कोर प्रबंधन दल के सदस्य हैं। इसमें कार्यपालक निदेशकों से एक स्तर कनिष्ठ प्रबंधन के सभी सदस्य सम्मिलित होंगे। इनमें सभी प्रकार्यात्मक प्रमुख सम्मिलित होंगे, चाहे उनके पदनाम कुछ भी हों।
- जब तक कि संदर्भ अन्यथा आवश्यक न हो, इस नीति में प्रयुक्त शब्दों और वाक्यांशों, जो यहां व्याख्यायित नहीं हैं परंतु समय-समय पर यथासंशोधित कंपनी अधिनियम, 2013 में व्याख्यायित हैं; उन्हें समनुदेशित किए गए संबंधित अर्थों के अनुसार रहेगा।
- जब तक आवश्यक न हो, इस नीति में प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों जो यहां वर्णित नहीं हैं किन्तु कंपनी अधिनियम, 2013 में वर्णित हैं और समय-समय पर संशोधित होती रही हैं, के अर्थ उन्हें क्रमशः समनुदेशित किए अनुसार होंगे।

6. अनुप्रयोज्यता:

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई); दिनांक 5 जून, 2015 के संदर्भ में नामांकन तथा पारिश्रमिक नीति केवल निम्नांकितों के लिए लागू होगी:

क) प्रकार्यात्मक/पूर्णकालिक निदेशक (कंपनी के वर्तमान कर्मचारी और जिन्हें महाराष्ट्र सरकार द्वारा नामित या नियुक्त नहीं किया गया हो।)

ख) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (कंपनी के वर्तमान कर्मचारी)

ग) वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक

घ) अन्य कर्मचारी

संस्था की अंतर्नियमावली के अनुसार महाराष्ट्र सरकार या भारत सरकार द्वारा कंपनी के निदेशक मंडल पर नियुक्त किए गए निदेशकों पर इस नीति का कोई भी भाग लागू नहीं होगा।

7. निदेशक मंडल/प्रबंध निदेशकों/पूर्णकालिक निदेशकों पर इस नीति की अनुप्रयोज्यता:

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) दिनांक 5 जून, 2015 तथा कंपनी की संस्था की अंतर्नियमावली के संदर्भ में धारा 178 की उप धारा (2)(3) और (4) के प्रावधान कंपनी के निदेशक मंडल (जब तक कि वे कंपनी के कर्मचारी न हों) पर लागू नहीं होंगे। एक सरकारी कंपनी होने के कारण तथा कंपनी की संस्था की अंतर्नियमावली के अनुसार प्रबंध निदेशक के लिए शर्तें, नियम, कार्यकाल और पारिश्रमिक का निर्धारण महाराष्ट्र सरकार या भारत सरकार द्वारा किया जाता है। तदनुसार यदि प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है तो इस नीति का कोई भी भाग उनकी नियुक्ति और पारिश्रमिक पर लागू नहीं होगा। आगे कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के संबंध में धारा 203 की उप धाराएं (1)(2)(3) तथा (4) के प्रावधान सरकारी कंपनी के प्रबंध निदेशक का पूर्णकालिक निदेशक ऊपर लागू नहीं होते हैं।

कंपनी की संस्था की अंतर्नियमावली के अनुसार महाराष्ट्र सरकार तथा भारत सरकार को कंपनी के निदेशक मंडल में कुछ निदेशकों को नामित और नियुक्त करने का अधिकार है। ऐसी नियुक्तियां इस नीति की परिधि से बाहर रहेंगी।

8. समिति के सदस्य:

समिति में न्यूनतम 3 निदेशक होंगे। समिति में 50% से अधिक सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे जो बहुमत में होंगे। समिति का अध्यक्ष स्वतंत्र निदेशक होगा।

9. समिति की गणपूर्ति:

समिति की गणपूर्ति न्यूनतम दो निदेशकों से होगी । बहुमत अर्थात् समिति के 50% से अधिक सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे। समिति के अध्यक्ष स्वतंत्र निदेशक होंगे।

10. समिति की बैठकें:

जैसा उचित समझा जाए, समिति की बैठकें वैसे समयों और अंतरालों पर आयोजित होंगी। समिति की बैठकों का आयोजन ऐसे किसी भी स्थल पर हो सकता है जो समिति के सदस्यों के लिए सुविधाजनक हो। सिवाय उन मामलों के जिन्हें कानून के द्वारा या किसी संविधि के अंतर्गत निश्चित किया गया हो। समिति की बैठकों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्रावधान सम्मिलित होगा।

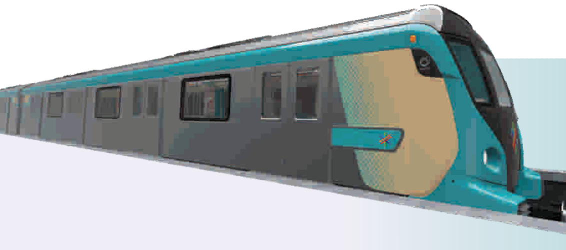

ऐसे किसी भी प्रस्ताव को, जो समिति की बैठक में पारित किया जाना प्रस्तावित हो, परिचालन द्वारा भी पारित किया जाएगा, बशर्ते कि उसे अन्यथा कानून द्वारा किसी भी संविधि के अंतर्गत निषिद्ध नहीं किया गया हो।

क) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों तथा वरिष्ठ प्रबंधन की नियुक्ति और निष्कासनः

क) समिति केएमपी के रूप में या वरिष्ठ प्रबंधन स्तर पर व्यक्ति की नियुक्ति के लिए उसकी निष्ठा, योग्यता, विशेषज्ञता तथा अनुभव की पहचान करेगी तथा अभिनिश्चित करेगी एवं कंपनी की नीति के अनुसार उनकी सिफारिश करेगी।

ख) जिस व्यक्ति के पास पद के लिए पर्याप्त योग्यता, विशेषज्ञता और अनुभव हो, उसकी नियुक्ति पर विचार किया जाएगा। व्यक्ति की योग्यता, विशेषज्ञता और अनुभव पद के लिए पर्याप्त/संतोषजनक है या नहीं, इसका निर्णय करने का प्राधिकार समिति के पास होगा।

ग) कंपनी ऐसे किसी भी व्यक्ति को कंपनी में पूर्णकालिक निदेशक के रूप में न तो नियुक्त करेगी या न ही, उसे रोजगार में जारी रखेगी जिसने 70 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो। बशर्ते कि, इस पद को धारण करने वाले व्यक्ति के कार्यकाल को शेयरधारकों द्वारा विशेष प्रस्ताव पारित कर के 70 वर्ष की आयु से आगे तक विस्तारित नहीं किया गया है।

11. अवधि/कार्यकाल

प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशकः

जब तक प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक महाराष्ट्र सरकार या भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, इस संबंध में उनकी शर्तें और कार्यकाल सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

स्वतंत्र निदेशक :

स्वतंत्र निदेशक कंपनी के निदेशक मंडल में लगातार पांच वर्षों के कार्यकाल तक रहेंगे तथा कंपनी द्वारा विशेष प्रस्ताव पारित किए जाने के उपरांत ही वे पुनः नियुक्ति के पात्र होंगे/होंगी। ऐसी नियुक्ति का प्रकटन बोर्ड के प्रतिवेदन में किया जाएगा।

कोई भी स्वतंत्र निदेशक अधिकतम प्रत्येक 5 वर्षों के दो लगातार कार्यकालों से अधिक के लिए पद पर नहीं रह सकता/सकती है। लेकिन ऐसे स्वतंत्र निदेशक पद समाप्ति के 3 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात नियुक्ति के योग्य होंगे।

तथापि, स्वतंत्र निदेशक 3 वर्षों की अवधि के दौरान कंपनी में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः न तो नियुक्त होंगे या न ही, संबद्ध होंगे।

12. मूल्यांकनः

समिति प्रतिवर्ष या जैसा आवश्यक समझे, ऐसे अंतरालों पर मुख्य प्रबंधकीय तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के निष्पादन का मूल्यांकन करेगी।

13. निष्कासनः

कंपनी अधिनियम, 2013, के अन्तर्गत नियमों एवं विनियमों तथा कंपनी की नीति के प्रावधानों और अनुपालन के अध्याधीन कंपनी लिखित कारणों को दर्ज कर किसी भी मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक के निष्कासन की सिफारिश कर सकती है।

14. सेवानिवृत्तिः

अधिनियम के अनुप्रयोज्य प्रावधानों तथा कंपनी की वर्तमान नीति के अनुसार मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक एवं वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक सेवानिवृत्त होंगे। कंपनी के लाभ के लिए मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक व वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक की सेवानिवृत्ति की आयु पूर्ण हो जाने के पश्चात भी उन्हें समान पद/पारिश्रमिक पर या अन्यथा रूप से बरकरार रखने का विवेकाधिकार बोर्ड के पास होगा।

15. निदेशकों/मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों/वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के पारिश्रमिक के लिए नीतिः

गैर–कार्यपालक/स्वतंत्र निदेशकों को पारिश्रमिक

क) गैर–कार्यपालक/स्वतंत्र निदेशक को कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत अनुज्ञेय बैठक शुल्क एवं अन्य पारिश्रमिक प्राप्त होंगे। बैठक शुल्क की राशि नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति द्वारा की गई संस्तुतियों और निदेशक मंडल के अनुमोदन के अनुरूप होगी।

ख) गैर–कार्यपालक/स्वतंत्र निदेशकों के सभी पारिश्रमिक (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197(5) के अंतर्गत यथा – निर्धारित बैठकों की उपस्थिति के लिए पारिश्रमिक को छोड़कर) कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत दी गई सीमाओं, मर्यादाओं तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों अथवा तत्समय लागू अन्य अधिनियमों के अधीन होंगे। ऐसे पारिश्रमिक की राशि नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति द्वारा की गई संस्तुतियों और निदेशक मंडल या शेयरधारकों जैसी स्थिति हो, के अनुमोदन के अनुरूप होगी।

ग) स्वतंत्र निदेशक स्टॉक विकल्पों को प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगा और कंपनी के किसी भी शेयर आधारित भुगतान स्कीमों में भाग लेने के लिए भी पात्र नहीं होगा।

घ) पेशेवर प्रकृति की प्रदान की गई सेवाओं के लिए गैर-कार्यपालक/स्वतंत्र निदेशकों को दिए गए कोई भी पारिश्रमिक उपयुक्त खंड (ख) के उद्देश्यों के लिए पारिश्रमिक के तब तक भाग नहीं होंगे जब तक कि निम्नलिखित शर्ते पूरी न हों:

i) ऐसे निदेशक द्वारा उनकी क्षमता में पेशेवर के रूप में सेवाएं प्रदान की गई हों; तथा

ii) समिति के मत में वह निदेशक उस पेशे के निष्पादन के लिए आवश्यक योग्यता रखता/रखती हो।

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक एवं वरिष्ठ प्रबंधन के पारिश्रमिक

क) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक एवं वरिष्ठ प्रबंधन के पारिश्रमिक में स्थाई वेतन तथा प्रोत्साहन शामिल हैं जो कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन तथा कंपनी की नीतियों के अनुसार होते हैं।

ख) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के पारिश्रमिक बाजार मानकों या महाराष्ट्र सरकार तथा भारत सरकार के नियमों के अनुसार तय किए जाते हैं।

16. कार्यान्वयन:

क) यह पारिश्रमिक नीति मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक तथा निदेशक मंडल सहित कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन के सदस्यों के साथ भविष्य में होने वाले सभी रोजगार करारों पर लागू होगी जैसे, निदेशक मंडल द्वारा इस नीति के अंगीकरण के पश्चात की गई नियुक्तियां। निदेशक मंडल द्वारा इस नीति के अंगीकरण के पूर्व की गई ऐसी किसी भी नियुक्तियों को उक्त नियुक्तियों के नियमों व शर्तों में पुनरीक्षण, आशोधन या किसी भी परिवर्तनों के समय इस नीति के प्रावधानों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।

ख) अन्य संदर्भों में यह पारिश्रमिक नीति बोर्ड का मार्गदर्शन करेगी। इस नीति के कोई भी या सभी प्रावधान कंपनी अधिनियम, 2013, संबंधित नियम और विनियम विषय के बारे में समय-समय पर अधिसूचित दिशानिर्देशों में किए गए पुनरीक्षण/ संशोधन के अध्याधीन होंगे। ऐसा कोई भी संशोधन नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति और/ या निदेशक मंडल के किसी भी अनुमोदन की आवश्यकता के बगैर इस नीति को स्वत: संशोधित करने के लिए प्रभावकारी होगा। तथापि ऐसे संशोधन को इस नीति के साथ परिशिष्ट के रूप में संलग्न किया जाएगा और उसे सभी संबंधित व्यक्तियों के सुलभ संदर्भ के लिए कंपनी की वेबसाइट पर डाला जाएगा तथा अगली बैठक में नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति व निदेशक मंडल के समक्ष रखा जाएगा।

ग) इस नीति के बेहतर कार्यान्वयन हेतु समिति जैसा उपयुक्त समझे, दिशानिर्देश, फॉर्मेट, प्रतिवेदन कार्य पद्धति तथा अनुपूरक मैनुअल जारी कर सकती है।

घ) समिति अपने अधिकारों को अपने एक या एक से अधिक सदस्यों को प्रत्यायोजित कर सकती है।

17. संशोधनः

निदेशक मंडल कोई भी कारण बताए बिना इस नीति में किसी भी समय संशोधन या आशोधन या पुनरीक्षण कर सकता है। ऐसे आशोधन या संशोधन इस नीति के साथ परिशिष्ट के रूप में संलग्न किए जाएंगे तथा बोर्ड की बैठक एवं समिति की बैठक के कार्यवृत्त में उल्लिखित किए जाने आवश्यक होंगे।

अनुबंध II

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों का वार्षिक प्रतिवेदन

1. **कंपनी की सीएसआर नीति का संक्षिप्त परिचय**

   एमएमआरसीएल की सीएसआर नीति का लक्ष्य जैव विविधता, ऊर्जा और जल संरक्षण सहित समुदाय के माध्यम से शिक्षा और कौशल विकास, स्वास्थ्य और तंदुरूस्ती तथा पर्यावरण से जुड़े मसलों पर ध्यान देना है। इसके अतिरिक्त इसका उद्देश्य समाज के निचले तबके के लोगों को उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने का अवसर प्रदान करना है। इसके अन्तर्गत चलने वाली परियोजनाओं की व्यापक रूपरेखा कंपनी अधिनियम 2013, की अनुसूची IV के अनुसार होती है। सीएसआर नीति की विशेष जानकारी तथा कंपनी की परियोजना या किए गए कार्यक्रमों की जानकारी कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

2. **सीएसआर समिति का गठन:**

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों में उपस्थिति की संख्या
1	श्री भूषण गगराणी	अध्यक्ष	1	1
2	श्री रणजित सिंह देओल*	सदस्य	1	1
3	श्री अजयकुमार ए. भट्ट	सदस्य	1	1

*श्री रणजित सिंह देओल का प्रबंध निदेशक का कार्यभार 15 मार्च, 2022 के प्रभाव से समाप्त हुआ है।

3. **वेबलिंक की जानकारी दें जहां सीएसआर समिति का गठन, सीएसआर नीति तथा निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं को कंपनी की वेबसाइट पर दर्शाया जाता है।**

   सीएसआर समिति के गठन के बारे में जानकारी ऊपर दी गई है तथा यह कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।
   सीएसआर नीति - www.mmrcl.com
   सीएसआर परियोजनाएं - लागू नहीं

4. **कंपनियों (कंपनी सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम 2014, उपनियम (3) के नियम 8 के अनुसरण में चलने वाली सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव आकलन की विस्तृत जानकारी दें, यदि लागू हो (रिपोर्ट संलग्न करें) :** लागू नहीं

5. **कंपनियों (कंपनी सामाजिक उत्तर दायित्व नीति नियम 2014 के उपनियम (3) नियम 7 के अनुसरण में प्रवृत्त उपलब्ध राशि की जानकारी तथा वित्तीय वर्ष में प्रवृत्त करने हेतु आवश्यक राशि, यदि कोई हो**

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	पूर्व वित्तीय वर्षों से प्रवृत्त किए जाने हेतु उपलब्ध राशि (रूपये में)	वित्तीय वर्ष के लिए प्रवृत्त किए जाने हेतु आवश्यक राशि, यदि कोई हो (रूपये में)
लागू नहीं			

6. **135(5) के अनुसार कंपनी की औसत निवल लाभः**

पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षो के लिए औसत निवल लाभ की राशि निम्नवत है:-

राशि लाख में

वित्तीय वर्ष	कर पूर्व लाभ	तीन वर्षों का औसत
2018-19	(1,093.44)	(1996.633)
2019-20	(2,828.44)	
2020-21	(2,068.02)	
कुल	**(5,989.9)**	

7. **क) खंड 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का 2 प्रतिशतः** (39.932)

ख) पूर्व वित्तीय वर्ष की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से बचा अधिशेषः शून्य

ग) वित्तीय वर्ष के लिए प्रवृत्त किए जाने हेतु राशि यदि कोई होः शून्य

घ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर बाह्यता (7क+7ख-7ग): शून्य

8. क) **वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई या नहीं खर्च की गई सीएसआर राशिः** लागू नहीं

ख) **वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विस्तृत विवरणः** लागू नहीं

ग) **वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं के अलावा खर्च की गई सीएसआर राशि का विस्तृत विवरणः** लागू नहीं

घ) **प्रशासनिक ऊपरी व्ययों पर खर्च की गई राशिः** शून्य

च) **प्रभाव आकलन पर खर्च की गई राशि, यदि कोई हो:** शून्य

छ) **वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (8ख+8ग+8घ+8च):** शून्य

ज) **प्रवृत्त किए जाने हेतु अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो**

क्रम संख्या	विवरण	राशि
(i)	खंड 135(5) के अनुसार कंपनी क निवल लाभ का 2 प्रतिशत	(39.932)
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	शून्य
(iii)	वित्तीय वर्ष [(ii)-(i)] के लिए खर्च की गई आधिक्य राशि	शून्य
(iv)	पूर्व वित्तीय वर्षो की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उपगत आधिक्य, यदि कोई हो	शून्य
(v)	अनुवर्ती वित्तीय वर्षों [(iii)-(iv)] के लिए प्रवृत्त किए जाने हेतु उपलब्ध राशि	शून्य

9. **क) पूर्व तीन वित्तीय वर्षों के लिए खर्च नहीं की गई सीएसआर राशि का विवरण:** शून्य

   ख) पूर्व वित्तीय वर्ष (वर्षो) की चली आ रही परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण: शून्य

10. **पूंजीगत आस्तियों के सृजन या अधिग्रहण के मामले में वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च की गई सीएसआर राशि के माध्यम से सृजित या अधिग्रहित आस्ति का विवरण:** शून्य

11. **यदि कंपनी खंड 135(5) के अनुसार औसत निवल आय का 2 प्रतिशत खर्च करने में असफल रही हो तो उन विशिष्ट कारण(णों) का उल्लेख करें** - लागू नहीं

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के
निदेशक मंडल के लिए एवं की ओर से

कंपनी की सामाजिक उत्तरदायित्व समिति के अध्यक्ष

दूरभाष : 022-22831120
022-22831134

राग़िनी चोकशी एंड कंपनी
कंपनी सचिव
34 कमेर बिल्डिंग, 5वीं मंजिल, 38 कावसजी पटेल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई 400001
ईमेल: ragini.c@rediffmail.com/mail@csraginichokshi.com
Web: csraginichokshi.com

प्रपत्र संख्या : एमआर-3

सचिवीय लेखापरीक्षण प्रतिवेदन

(31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014] के अनुसरण में

प्रति

सदस्यगण

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

ट्रांजिट कार्यालय, ई ब्लॉक,

सिटी पार्क के उत्तर में ,

आयकर कार्यालय के पीछे,

'ए' विंग, बांद्रा (पूर्व), बांद्रा-कुर्ला संकुल,

मुंबई-400051

हमने मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीआईएन U60100MH2008SGC181770) (आगे इसे 'कंपनी' कहा गया है) द्वारा अनुप्रयोज्य सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन तथा कॉर्पोरेट सुशासन के अनुवर्तज्ञ का सचिवीय लेखापरीक्षण संचालित किया है। सचिवीय लेखापरीक्षण इस प्रकार किया गया है जिससे हमें निगम आचरणों/सांविधिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने और उन पर अपने अभिमत को व्यक्त करने का पर्याप्त आधार मिला।

कंपनी द्वारा अनुरक्षित मुंबई रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पुस्तिकाओं, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, प्रपत्रों तथा फाइल किए गए रिटर्नों और अन्य अभिलेखों एवं साथ ही, सचिवीय लेखापरीक्षा संचालन के दौरान कंपनी द्वारा इनके अधिकारियों, अभिकर्ताओं और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध की गई जानकारी के आधार पर हम अपने मत में एतद् द्वारा प्रतिवेदित करते हैं कि 01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 की अवधि के दौरान कंपनी ने यहां नीचे सूचीबद्ध प्रावधानों का अनुपालन किया है, तथा यह भी कि कंपनी के पास उपयुक्त बोर्ड प्रक्रियाएं और अनुपालन क्रियाविधि उस सीमा में हैं जो

यहां नीचे दिए गए प्रतिवेदन के अनुरूप और अध्याधीन हैं:

हमने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार 01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक की अवधि के लिए मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ('कंपनी') द्वारा अनुरक्षित पुस्तिकाओं, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, प्रपत्रों तथा फाइल किए गए रिटर्नों और अन्य अभिलेखों का परीक्षण किया है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') तथा इसके तहत बनाए गए नियम;

(ii) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956, ('एससीआरए') तथा इसके तहत बनाए गए नियम; **(वित्तीय वर्ष के दौरान लागू नहीं)**

(iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 तथा इसके तहत बनाए गए विनियम एवं उपविधि; **(वित्तीय वर्ष के दौरान लागू नहीं)**

(iv) विदेशी मुद्रा विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 तथा विदेशी मुद्रा प्रत्यक्ष निवेश, समुद्रपार प्रत्यक्ष निवेश तथा बाह्य वाणिज्य उधारों की सीमा के तहत बनाए गए नियम एवं विनियम; **(वित्तीय वर्ष के दौरान लागू नहीं)**

(v) निम्नलिखित विनियम एवं दिशानिर्देश भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अंतर्गत निर्धारित किए गए हैं; **(वित्तीय वर्ष के दौरान लागू नहीं)**

क. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों और अधीनीकरणों का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम, 2011

ख. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015

ग. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2018

घ. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ तथा स्वीट इक्विटी) विनियम, 2021

च. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2021

छ. कंपनी अधिनियम, 2013 एवं ग्राहकों के साथ संव्यवहार के संबंध में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (निर्गम के पंजीयक और शेयर हस्तांतरण अभिकर्ता) विनियम, 1993

ज. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों का गैर-सूचीकरण) विनियम, 2009

झ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनः खरीद) विनियम, 2018

त. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेप एवं प्रतिभागी) विनियम, 2018

(vi) कंपनी के लिए लागू निम्नलिखित विशिष्ट सेक्टर कानून :

क. मेट्रो रेल (निर्माण कार्य) अधिनियम, 1978

ख. मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002

ग. मेट्रो रेल (संशोधन) अधिनियम, 2002

घ. भारतीय रेल अधिनियम, 1890

चूंकि हमने ऊपर उल्लिखित संविधियों के अनुपालन का परीक्षण नहीं किया है, अत: हम उनके अनुपालन पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानकों यथा, एसएस-1 और एसएस-2 के अनुप्रयोज्य उपबंधों के साथ भी हमने अनुपालन का परीक्षण किया है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान निम्नलिखित के सिवाय कंपनी ने अधिनियम के प्रावधानों के साथ उपयुक्त उल्लिखित नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों का अनुपालन किया है:

- *कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम 2014 के नियम 3 की अनिवार्यता के अनुसार कंपनी ने निदेशक मंडल में किसी महिला निदेशक की नियुक्ति नहीं की है।*

हम आगे प्रतिवेदित करते हैं कि प्रतिवेदित अवधि के दौरान:

कार्यपालक और गैर-कार्यपालक निदेशकों का उपयुक्त संतुलन बनाए रखने हेतु कंपनी का निदेशक मंडल विहित रूप से गठित है। **(सिवाय कपंनी नियम, 2014 के नियम 3 (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) के अनुसार आवश्यक एक महिला निदेशक की नियुक्ति के)।**

समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में जो बदलाव किए गए वे अधिनियम के प्रावधानों केअनुपालन में हैं।

सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठकों की समयबद्धता के लिए पर्याप्त सूचना दी गई तथा कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणियां कम से कम 7 दिन अग्रिम भेजी गईं। बैठक के पहले तथा बैठक में अर्थपूर्ण भागीदारी के लिए कार्यसूची के मदों के बारे में आगे की जानकारी और स्पष्टीकरण की मांग करने एवं उन्हें प्राप्त करने के बाबत एक प्रणाली विद्यमान है।

अधिकांश निर्णय विसम्मत सदस्यों के मतों पर चर्चा करने के उपरांत लिए जाते हैं। सदस्यों के मतों को दर्ज कर उन्हें

कार्यवृत्त के भाग के रूप में अभिलिखित किया जाता है।

कंपनी के आकार के अनुरुप तथा प्रचालनों की निगरानी करने के लिए तथा विद्यमान कानूनों, नियमों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के पास पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रियाएं मौजूद हैं। फिर भी, चूंकि हमने श्रम कानूनों जैसे अन्य कानूनों के अनुपालन का परीक्षण नहीं किया है, अत: हम उनके अनुपालन पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

हम आगे प्रतिवेदित करते हैं कि प्रतिवेदित अवधि के दौरान कंपनी के प्रबंधन में निम्नांकित परिवर्तन हुए हैं–:

- **प्रतिवेदित अवधि के दौरान नियुक्ति:**

  1) श्री. इकबाल सिंह चहल (डीआईएनः 08727394) को 30 जुलाई, 2021 के प्रभाव से कंपनी का पुनः नामित निदेशक नियुक्त किया गया।

  2) श्री. श्रीनिवास वेंकट रत्न सोंटी (डीआईएनः 02860903) को 3 जून, 2021 के प्रभाव से कंपनी का नामित निदेशक नियुक्त किया गया।

  3) श्री. मनोज जोशी (डीआईएनः 02103601) को 30 दिसंबर, 2021 के प्रभाव से कंपनी का नामित निदेशक तथा अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

- **प्रतिवेदित अवधि के दौरान सेवा–समाप्ति:**

  1) श्री. इकबाल सिंह चहल (डीआईएनः 08727394) नामित निदेशक का पदभार 25 जून, 2021 के प्रभाव से समाप्त हुआ।

  2) श्री. आर.ए. राजीव (डीआईएनः 03125952), कंपनी के निदेशक का कार्यभार 31 मई, 2021 के प्रभाव से समाप्त हुआ।

  3) श्री. दुर्गाशंकर मिश्रा (डीआईएनः 02944212), कंपनी के निदेशक का कार्यभार 29 दिसंबर, 2021 के प्रभाव से समाप्त हुआ।

हम आगे प्रतिवेदित करते हैं कि प्रतिवेदन के अन्तर्गत वर्ष के दौरान 19 अप्रैल, 2021 तथा 27 जनवरी, 2022 को आयोजित हुई निदेशक मंडल की बैठकों में पारित प्रस्ताव और किए गए अनुमोदनों के अनुसार भारत सरकार एवं महाराष्ट्र सरकार के नामितों को मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने निम्नलिखित राइट्स इश्यू जारी किए।

1) राइट्स इश्यू के अनुसरण में कंपनी द्वारा प्रत्येक रूपये 100 के 3,00,00,000 इक्विटी शेयर 8 सितंबर, 2021 को आबंटित किए गए।

2) राइट्स इश्यू के अनुसरण में कंपनी द्वारा प्रत्येक रूपये 100 के 2,92,00,000 इक्विटी शेयर 18 फरवरी, 2022 को आबंटित किए गए।

रागिनी चोकशी एंड कंपनी
(कंपनी सचिव)

किरण ठाकेर,
(पार्टनर)

स्थानः मुंबई
दिनांकः 27.09.2022

एससीएस संख्याः: 2316
सीपी संख्याः 21210
यूडीआईएनः F002316D001061352

नोटः इस रिपोर्ट को हमारे निर्दिष्ट तिथि पत्र के साथ पढ़ा जाना है जो इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है और इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है।

दूरभाष : 022-22831120
022-22831134

रागिनी चोकशी एंड कंपनी

कंपनी सचिव

34 कमेर बिल्डिंग, 5वीं मंजिल, 38 कावसजी पटेल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई 400001
ईमेल: ragini.c@rediffmail.com/mail@csraginichokshi.com
Web: csraginichokshi.com

परिशिष्ट

प्रति
सदस्यगण
मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
ट्रांजिट कार्यालय, ई ब्लॉक,
सिटी पार्क के उत्तर में ,
आयकर कार्यालय के पीछे,
'ए' विंग, बांद्रा (पूर्व), बांद्रा-कुर्ला संकुल,
मुंबई-400051

निर्दिष्ट तिथि के हमारे प्रतिवेदन को इस परिशिष्ट के साथ पढ़ा जाए।

1) सचिवीय अभिलेखों का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारा उत्तरदायित्व हमारे लेखापरीक्षण के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर मत व्यक्त करना है।

2) हमने लेखापरीक्षण की प्रथाओं एवं प्रक्रियाओं का पालन किया है, क्योंकि सचिवीय अभिलेखों की विषय सूची की शुद्धता के बारे में पर्याप्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए यह उपयुक्त था। सत्यापन परीक्षण आधार पर यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य परिलक्षित हो। हमारा यकीन है कि जिन प्रथाओं एवं प्रक्रियाओं का हमने पालन किया है वे हमारे मत के लिए पर्याप्त आधार उपलब्ध कराती हैं।

3) हमने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों तथा लेखा पुस्तिकाओं की शुद्धता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।

4) जहां कहीं आवश्यक हुआ, हमने विधि, नियमों और विनियमों तथा घटनाक्रमों आदि के अनुपालन के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व हासिल किया है।

5) देश में COVID-19 महामारी और लॉकडाउन के कारण, कंपनी का सचिवीय लेखापरीक्षा आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉनिक रूप में हमें उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों के आधार पर किया गया था।

6) निगम के प्रावधानों तथा अनुप्रयोज्य कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारी जांच परीक्षण आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।

7) सचिवीय लेखापरीक्षण ना तो कंपनी की भविष्यगत व्यवहार्यता के बारे में आश्वस्त करता है, ना ही ऐसी प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के बारे में आश्वासन देता है, जिसके जरिए प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

रागिनी चोकशी एंड कंपनी
कंपनी सचिव

हस्ताक्षर/-
किरण ठाकेर (पार्टनर)
एफसीएस संख्या: 2316
सीपी संख्या: 21210

स्थान : मुंबई
तिथि : 27/09/2022

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए निदेशकों के प्रतिवेदन का परिशिष्ट–IV

प्रपत्र संख्या : एओसी–2

(अधिनियम की धारा 134 की उप धारा के खंड(एच) तथा कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के अनुसरण में)

तृतीय उपबंध के अंतर्गत कुछ बृहत आकार के लेन–देन सहित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप धारा (1) में संदर्भित संबंधित पक्षकारों के साथ कंपनी द्वारा प्रविष्ट की गई संविदाओं/व्यवस्थाओं के विवरणों के प्रकटीकरण हेतु प्रपत्र।

1.	**बृहत आकार की संविदाओं या व्यवस्थाओं या लेन–देन के विवरण**	
क)	संबंधित पक्षकारों के नाम तथा संबंध की प्रकृति	**लागू नहीं**
ख)	संविदाओं/व्यवस्थाओं/लेन–देन की प्रकृति	
ग)	संविदाओं/व्यवस्थाओं/लेन–देन की अवधि	
घ)	मूल्य (यदि कोई हो) सहित संविदाओं या व्यवस्थाओं या लेन–देन की मुख्य शर्तें	
च)	ऐसी संविदाओं या व्यवस्थाओं या लेन–देन में प्रविष्ट होने का औचित्य	
छ)	बोर्ड द्वारा दिए गए अनुमोदन की तिथियां	
ज)	अग्रिमों के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो	
झ)	वह तिथि जब धारा 188 के प्रथम उपबंध के अंतर्गत यथावश्यक आम बैठक में विशेष प्रस्ताव पारित किया गया	
2.	**महत्वपूर्ण संविदाओं या व्यवस्थाओं या लेन–देन जो बृहत आकार आधारित नहीं हैं, के विवरण**	
क)	संबंधित पक्षकारों के नाम तथा संबंध की प्रकृति	**लागू नहीं**
ख)	संविदाओं/व्यवस्थाओं/लेन–देन की प्रकृति	
ग)	संविदाओं/व्यवस्थाओं/लेन–देन की अवधियां	
घ)	मूल्य (यदि कोई हो) सहित संविदाओं या व्यवस्थाओं या लेन–देन की मुख्य शर्तें	
च)	बोर्ड द्वारा दिए गए अनुमोदनों की तिथियां, यदि कोई हो	
छ)	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो	

निदेशक मंडल, मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
के लिए एवं की ओर से

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 29/09/2022

अध्यक्ष

दूरभाष : 022-22831120
022-22831134

राागिनी चोकशी एंड कंपनी
कंपनी सचिव
34 कमेर बिल्डिंग, 5वीं मंजिल, 38 कावसजी पटेल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई 400001
ईमेल: ragini.c@rediffmail.com/mail@csraginichokshi.com
Web: csraginichokshi.com

प्रपत्र संख्या : एमआर-3

सचिवीय लेखापरीक्षण प्रतिवेदन

(31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014] के अनुसरण में

प्रति

सदस्यगण

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

ट्रांजिट कार्यालय, ई ब्लॉक,

सिटी पार्क के उत्तर में ,

आयकर कार्यालय के पीछे,

'ए' विंग, बांद्रा (पूर्व), बांद्रा-कुर्ला संकुल,

मुंबई-400051

हमने मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीआईएन U60100MH2008SGC181770) (आगे इसे 'कंपनी' कहा गया है) द्वारा अनुप्रयोज्य सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन तथा कॉर्पोरेट सुशासन के अनुवर्तज्ञ का सचिवीय लेखापरीक्षण संचालित किया है। सचिवीय लेखापरीक्षण इस प्रकार किया गया है जिससे हमें निगम आचरणों/सांविधिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने और उन पर अपने अभिमत को व्यक्त करने का पर्याप्त आधार मिला।

कंपनी द्वारा अनुरक्षित मुंबई रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पुस्तिकाओं, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, प्रपत्रों तथा फाइल किए गए रिटर्नो और अन्य अभिलेखों एवं साथ ही, सचिवीय लेखापरीक्षा संचालन के दौरान कंपनी द्वारा इनके अधिकारियों, अभिकर्ताओं और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध की गई जानकारी के आधार पर हम अपने मत में एतद् द्वारा प्रतिवेदित करते हैं कि 01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 की अवधि के दौरान कंपनी ने यहां नीचे सूचीबद्ध प्रावधानों का अनुपालन किया है, तथा यह भी कि कंपनी के पास उपयुक्त बोर्ड प्रक्रियाएं और अनुपालन क्रियाविधि उस सीमा में हैं जो

यहां नीचे दिए गए प्रतिवेदन के अनुरूप और अध्याधीन हैं:

हमने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार 01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक की अवधि के लिए मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ('कंपनी') द्वारा अनुरक्षित पुस्तिकाओं, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, प्रपत्रों तथा फाइल किए गए रिटर्नों और अन्य अभिलेखों का परीक्षण किया है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') तथा इसके तहत बनाए गए नियम;

(ii) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956, ('एससीआरए') तथा इसके तहत बनाए गए नियम; **(वित्तीय वर्ष के दौरान लागू नहीं)**

(iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 तथा इसके तहत बनाए गए विनियम एवं उपविधि; **(वित्तीय वर्ष के दौरान लागू नहीं)**

(iv) विदेशी मुद्रा विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 तथा विदेशी मुद्रा प्रत्यक्ष निवेश, समुद्रपार प्रत्यक्ष निवेश तथा बाह्य वाणिज्य उधारों की सीमा के तहत बनाए गए नियम एवं विनियम; **(वित्तीय वर्ष के दौरान लागू नहीं)**

(v) निम्नलिखित विनियम एवं दिशानिर्देश भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अंतर्गत निर्धारित किए गए हैं; **(वित्तीय वर्ष के दौरान लागू नहीं)**

क. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों और अधीनीकरणों का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम, 2011

ख. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015

ग. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2018

घ. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ तथा स्वीट इक्विटी) विनियम, 2021

च. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2021

छ. कंपनी अधिनियम, 2013 एवं ग्राहकों के साथ संव्यवहार के संबंध में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (निर्गम के पंजीयक और शेयर हस्तांतरण अभिकर्ता) विनियम, 1993

ज. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों का गैर-सूचीकरण) विनियम, 2009

झ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनः खरीद) विनियम, 2018

त. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेप एवं प्रतिभागी) विनियम, 2018

(vi) कंपनी के लिए लागू निम्नलिखित विशिष्ट सेक्टर कानून :

क. मेट्रो रेल (निर्माण कार्य) अधिनियम, 1978

ख. मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002

ग. मेट्रो रेल (संशोधन) अधिनियम, 2002

घ. भारतीय रेल अधिनियम, 1890

चूंकि हमने ऊपर उल्लिखित संविधियों के अनुपालन का परीक्षण नहीं किया है, अत: हम उनके अनुपालन पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानकों यथा, एसएस-1 और एसएस-2 के अनुप्रयोज्य उपबंधों के साथ भी हमने अनुपालन का परीक्षण किया है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान निम्नलिखित के सिवाय कंपनी ने अधिनियम के प्रावधानों के साथ उपयुक्त उल्लिखित नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों का अनुपालन किया है:

- *कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम 2014 के नियम 3 की अनिवार्यता के अनुसार कंपनी ने निदेशक मंडल में किसी महिला निदेशक की नियुक्ति नहीं की है।*

हम आगे प्रतिवेदित करते हैं कि प्रतिवेदित अवधि के दौरानः

कार्यपालक और गैर-कार्यपालक निदेशकों का उपयुक्त संतुलन बनाए रखने हेतु कंपनी का निदेशक मंडल विहित रूप से गठित है। **(सिवाय कपंनी नियम, 2014 के नियम 3 (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) के अनुसार आवश्यक एक महिला निदेशक की नियुक्ति के)।**

समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में जो बदलाव किए गए वे अधिनियम के प्रावधानों केअनुपालन में हैं।

सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठकों की समयबद्धता के लिए पर्याप्त सूचना दी गई तथा कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणियां कम से कम 7 दिन अग्रिम भेजी गईं। बैठक के पहले तथा बैठक में अर्थपूर्ण भागीदारी के लिए कार्यसूची के मदों के बारे में आगे की जानकारी और स्पष्टीकरण की मांग करने एवं उन्हें प्राप्त करने के बाबत एक प्रणाली विद्यमान है।

अधिकांश निर्णय विसम्मत सदस्यों के मतों पर चर्चा करने के उपरांत लिए जाते हैं। सदस्यों के मतों को दर्ज कर उन्हें

कार्यवृत्त के भाग के रूप में अभिलिखित किया जाता है।

कंपनी के आकार के अनुरुप तथा प्रचालनों की निगरानी करने के लिए तथा विद्यमान कानूनों, नियमों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के पास पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रियाएं मौजूद हैं। फिर भी, चूंकि हमने श्रम कानूनों जैसे अन्य कानूनों के अनुपालन का परीक्षण नहीं किया है, अतः हम उनके अनुपालन पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

हम आगे प्रतिवेदित करते हैं कि प्रतिवेदित अवधि के दौरान कंपनी के प्रबंधन में निम्नांकित परिवर्तन हुए हैं-:

- **प्रतिवेदित अवधि के दौरान नियुक्तिः**

1) श्री. इकबाल सिंह चहल (डीआईएनः 08727394) को 30 जुलाई, 2021 के प्रभाव से कंपनी का पुनः नामित निदेशक नियुक्त किया गया।

2) श्री. श्रीनिवास वेंकट रत्न सोंटी (डीआईएनः 02860903) को 3 जून, 2021 के प्रभाव से कंपनी का नामित निदेशक नियुक्त किया गया।

3) श्री. मनोज जोशी (डीआईएनः 02103601) को 30 दिसंबर, 2021 के प्रभाव से कंपनी का नामित निदेशक तथा अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

- **प्रतिवेदित अवधि के दौरान सेवा-समाप्तिः**

1) श्री. इकबाल सिंह चहल (डीआईएनः 08727394) नामित निदेशक का पदभार 25 जून, 2021 के प्रभाव से समाप्त हुआ।

2) श्री. आर.ए. राजीव (डीआईएनः 03125952), कंपनी के निदेशक का कार्यभार 31 मई, 2021 के प्रभाव से समाप्त हुआ।

3) श्री. दुर्गाशंकर मिश्रा (डीआईएनः 02944212), कंपनी के निदेशक का कार्यभार 29 दिसंबर, 2021 के प्रभाव से समाप्त हुआ।

हम आगे प्रतिवेदित करते हैं कि प्रतिवेदन के अन्तर्गत वर्ष के दौरान 19 अप्रैल, 2021 तथा 27 जनवरी, 2022 को आयोजित हुई निदेशक मंडल की बैठकों में पारित प्रस्ताव और किए गए अनुमोदनों के अनुसार भारत सरकार एवं महाराष्ट्र सरकार के नामितों को मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने निम्नलिखित राइट्स इश्यू जारी किए।

1) राइट्स इश्यू के अनुसरण में कंपनी द्वारा प्रत्येक रूपये 100 के 3,00,00,000 इक्विटी शेयर 8 सितंबर, 2021 को आबंटित किए गए।

2) राइट्स इश्यू के अनुसरण में कंपनी द्वारा प्रत्येक रूपये 100 के 2,00,00,000 इक्विटी शेयर 18 फरवरी, 2022 को आबंटित किए गए।

रागिनी चोकशी एंड कंपनी
(कंपनी सचिव)

किरण ठाकेर,
(पार्टनर)
एससीएस संख्या:: 2316
सीपी संख्याः 21210
यूडीआईएनः F002316D001061352

नोटः इस रिपोर्ट को हमारे निर्दिष्ट तिथि पत्र के साथ पढ़ा जाना है जो इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है और इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है।

दूरभाष : 022-22831120
022-22831134

राशिनी चोकशी एंड कंपनी

कंपनी सचिव

34 कमेर बिल्डिंग, 5वीं मंजिल, 38 कावसजी पटेल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई 400001
ईमेल: ragini.c@rediffmail.com/mail@csraginichokshi.com
Web: csraginichokshi.com

परिशिष्ट

प्रति
सदस्यगण
मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
ट्रांजिट कार्यालय, ई ब्लॉक,
सिटी पार्क के उत्तर में ,
आयकर कार्यालय के पीछे,
'ए' विंग, बांद्रा (पूर्व), बांद्रा-कुर्ला संकुल,
मुंबई-400051

निर्दिष्ट तिथि के हमारे प्रतिवेदन को इस परिशिष्ट के साथ पढ़ा जाए।

1) सचिवीय अभिलेखों का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारा उत्तरदायित्व हमारे लेखापरीक्षण के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर मत व्यक्त करना है।

2) हमने लेखापरीक्षण की प्रथाओं एवं प्रक्रियाओं का पालन किया है, क्योंकि सचिवीय अभिलेखों की विषय सूची की शुद्धता के बारे में पर्याप्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए यह उपयुक्त था। सत्यापन परीक्षण आधार पर यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य परिलक्षित हो। हमारा यकीन है कि जिन प्रथाओं एवं प्रक्रियाओं का हमने पालन किया है वे हमारे मत के लिए पर्याप्त आधार उपलब्ध कराती हैं।

3) हमने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों तथा लेखा पुस्तिकाओं की शुद्धता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।

4) जहां कहीं आवश्यक हुआ, हमने विधि, नियमों और विनियमों तथा घटनाक्रमों आदि के अनुपालन के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व हासिल किया है।

5) देश में COVID-19 महामारी और लॉकडाउन के कारण, कंपनी का सचिवीय लेखापरीक्षा आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉनिक रूप में हमें उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों के आधार पर किया गया था।

6) निगम के प्रावधानों तथा अनुप्रयोज्य कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारी जांच परीक्षण आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।

7) सचिवीय लेखापरीक्षण ना तो कंपनी की भविष्यगत व्यवहार्यता के बारे में आश्वस्त करता है, ना ही ऐसी प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के बारे में आश्वासन देता है, जिसके जरिए प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

रागिनी चोकशी एंड कंपनी
कंपनी सचिव

हस्ताक्षर/–
किरण ठाकेर (पार्टनर)
एफसीएस संख्याः 2316
सीपी संख्याः 21210

स्थान : मुंबई
तिथि : 27/09/2022

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा
(नौवहन), मुंबई

सत्यमेव जयते

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT
(SHIPPING), MUMBAI.

गोपनीय/शीघ्र डाक

संख्या: जीए/सीए-I/लेखा/MMRCL/2021-22/ 174

21 OCT 2022

सेवा में,
प्रबंध निदेशक
मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
एम एम आर सी ट्रांसिट ऑफिस बिल्डिंग, 'A' विंग, 'E' ब्लॉक,
North Side of City Park, Behind Income Tax Office,
Bandra Kurla Complex, Bandra East
मुंबई- 400051

विषय:- 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के द्वारा दी गई टिप्पणियाँ इस पत्र के साथ संलग्न हैं। टिप्पाणियों को मुद्रित वार्षिक प्रतिवेदन के विषयसूची में उचित संकेत सहित सांविधिक लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के आगे रखा जाये।

वार्षिक सामान्य बैठक के समापन के पश्चात, वित्तीय विवरणों, सांविधिक लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पाणियों को अपनाते हुए सामान्य वार्षिक बैठक की कार्यवाही की एक प्रतिलिपि इस कार्यालय को अविलंब अग्रेषित की जाए। मुद्रित वार्षिक रिपोर्ट की दस प्रतियाँ भी इस कार्यालय को भेजी जायें।

कृपया इस पत्र एवं संलग्नकों की प्राप्ति की सूचना दें।

भवदीय,

(पी.वी. हरि कृष्णा)
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (नौवहन), मुंबई

संलग्न: यथोपरि।

सातवीं मंजिल, आर.टी.आई. बिल्डिंग, प्लॉट नं. सी-2, जी. एन. ब्लॉक, एशियन हार्ट इन्स्टिट्यूट के पीछे, बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.
Seventh Floor, R.T.I. Building, Plot No. C-2, G. N. Block, Behind Asian Heart Institute, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E). Mumbai - 400 051.
प्रशासन : 26520873 • प्रतिवेदन : 26502843 • फॅक्स : 26527165 • ई-मेल : pdashippingmum@cag.gov.in

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6) (b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF MUMBAI METRO RAIL CORPORATION LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2022.

The preparation of financial statements of MUMBAI METRO RAIL CORPORATION LIMITED for the year ended 31 March 2022 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 09 August 2022.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of MUMBAI METRO RAIL CORPORATION LIMITED for the year ended 31 March 2022 under section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

Based on my supplementary audit, I would like to highlight the following significant matters under section 143(6)(b) of the Act which have come to my attention and which in my view are necessary for enabling a better understanding of the financial statements and the related audit report.

A Comments on Profitability

STATEMENT OF PROFIT AND LOSS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2022

(Loss) before tax for the year (2,469.81) (in lakhs)

The above is overstated by RS. 270 lakh with corresponding understatement of Capital Work in Progress.

This is due to accounting of foreign exchange gain (net), arising from exchange differences between the transaction date and settlement date, on Civil, System and General Consultancy Contracts in Capital Work in Progress instead of Statement of Profit and Loss.

The Company's Significant Accounting Policy 1.11 - Foreign Currency - stipulates that 'Exchange difference arising on such conversion and on settlement of the transaction are capitalised till the assets are ready for intended use and there after recognised in the Statement of Profit and Loss'.

The said accounting/policy are not as per the provisions of Para 28 and 29 of Ind AS 21 titled 'The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates' which stipulates that 'when monetary items arise from a foreign currency transaction and there is a change in the exchange rate between the transaction date and the date of settlement, an exchange difference results. Such exchange differences arising on the settlement of monetary items or on translating monetary items at rates different from those at which they were translated on initial recognition during the period or in previous financial statements shall be recognised in profit or loss in the period in which they arise'

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

(P V Hari Krishna)
Principal Director of Audit (Shipping)

Place Mumbai
Date: 21.10.2022

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणी।

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) में विहित वित्तीय प्रतिवेदन ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के वित्तीय विवरणों को तैयार करने की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की होती है। अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) में वित्त लेखाकरण मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षण पर अधिनियम की धारा 143 के आधार पर अपना अभिमत अभिव्यक्त करने के लिए जिम्मेदार होता है। ऐसा उनके दिनांक 09 अगस्त, 2022 के लेखापरीक्षण प्रतिवेदन द्वारा कहा गया है।

मैंने भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की तरफ से अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का अनुपूरक लेखापरीक्षण किया है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षण स्वतंत्र रूप से वैधानिक लेखापरीक्षकों के कार्य प्रपत्रों को देखे बगैर किया गया है और यह प्राथमिक रूप से वैधानिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों से की गई पूछताछ तथा कुछ लेखाकरण अभिलेखों के परीक्षण तक ही सीमित है।

अपने अनुपूरक लेखापरीक्षण के आधार पर मैं अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण तथ्यों को सामने लाना चाहता हूं, जो मेरी जानकारी में आई है तथा मेरी राय में यह वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखापरीक्षण प्रतिवेदन को बेहतर तरीके से समझने के लिए आवश्यक है।

लाभप्रदता पर टिप्पणी

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

वर्ष के लिए कर पूर्व (हानि) (2,469.81) (लाख में)

लेखापरीक्षा अवलोकन	प्रबंधन का जवाब
उपर्युक्त को रू 270 लाख से अधिक बताया गया है जबकि पूंजीगत कार्य प्रगति पर है। यह लाभ और हानि विवरण की बजाय पूंजीगत कार्य के जारी रहने के दौरान सिविल, प्रणाली तथा सामान्य परामर्श ठेकों पर लेन-देन की तिथि और निपटान की तिथि के बीच विनिमय अंतर से उत्पन्न होने के कारण है।	पूर्व के एएस 11 के अनुच्छेद 46ए के कथनानुसार 1 अप्रैल, 2011 को या उसके बाद शुरू होने वाली लेखा अवधि के संबंध में, एक उद्यम के लिए जिसने पहले अनुच्छेद 46 के अन्तर्गत विकल्प का उपयोग किया था तथा किसी अन्य उद्यम के विकल्प पर (ऐसा विकल्प अपरिवर्तनीय हो एवं ऐसे सभी विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों पर लागू होना चाहिए),

कंपनी की महत्वपूर्ण लेखांकन नीति 1.11 – विदेशी मुद्रा – यह निर्धारित करती है कि इस प्रकार के रूपांतरण पर तथा लेन-देन के निपटान पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर को तब तक पूंजीकृत कर लिया जाता है जब तक कि आस्तियां वांछित उपयोग के लिए तैयार हो जाती हैं और तत्पश्चात लाभ और हानि के विवरण में इसे मान्य कर लिया जाता है। उक्त लेखांकन नीति इंडएएस 21 के अनुच्छेद 28 और 29 में विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभाव शीर्षक से उल्लिखित प्रावधानों के अनुरूप नहीं है जो यह निर्धारित करता है कि जब मौद्रिक मदें विदेशी मुद्रा के लेन-देन की तिथि एवं निपटान की तिथि के बीच विनिमय दर में बदलाव होता है तब विनिमय अंतर उत्पन्न होता है। मौद्रिक मदों के निपटान या मौद्रिक मदों के लेन-देन से उत्पन्न होने वाले इस प्रकार के विनिमय अंतर उन दरों से भिन्न होते हैं जिने दरों पर उन्हें अवधि के दौरान या पूर्ववर्ती वित्तीय विवरणों में प्रारम्भिक मान्यता तौर पर रूपांतरित किया गया था। ये विनिमय अंतर	जहां विनिमय अंतर यहां तक है कि वे मूल्यह्रास योग्य पूंजीगत आस्ति के अधिग्रहण से संबद्ध है, वहां इस विनिमय अंतर को आस्ति की लागत में जोड़ा या घटाया जा सकता है और आस्ति के शेष जीवन काल पर मूल्यह्रास किया जाएगा। कंपनी के पास मूल्यह्रास योग्य स्थाई आस्तियों के अधिग्रहण हेतु विदेशी मुद्रा भुगतान है। इंडएएस ने उन संस्थाओं को एक विकल्प प्रदान किया जो विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के संबंध में अनुच्छेद 46ए के तहत उस सुविधा का लाभ उठा रही थीं जो इंडएएस में अभिसरण की तिथि को या उससे पहले विद्यमान थीं ताकि परिवर्तन की तिथि को या उससे पूर्व अधिग्रहित मदों के संबंध में अनुच्छेद 46ए के अन्तर्गत सुविधा प्राप्त करती रहें। चूंकि मूल्यह्रास योग्य आस्तियों हेतु संविदाएं इंडएएस में अभिसरण की तिथि से पूर्व की हैं. अत: कंपनी ने इंडएएस द्वारा उपलब्ध कराए गए उक्त विकल्प के अनुक्रम में इन संविदाओं में विनिमय विचलन को पूंजीकृत करना जारी रखा।
उस अवधि में लाभ या हानि में मान्य होंगे जिस अवधि में वे उत्पन्न होते हैं।	उपर्युक्त के अलावा इंडएएस 16 का अनुच्छेद 6 'लागत' को इस रूप में व्याख्यायित करता है – 'लागत' नकद राशि या नकद के समकक्ष भुगतान की राशि होती है या किसी आस्ति के अधिग्रहण या निर्माण के समय उस आस्ति के अधिग्रहण के लिए दिए गए अन्य प्रतिफल का उचित मूल्य होती है या जहां लागू हो, उस आस्ति के लिए जिम्मेदार राशि होती है जो अन्य भारतीय लेखा मानकों यथा, इंडएएस 102, शेयर आधारित भुगतान की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुक्रम में शुरू में मान्य की गई है। कंपनी वेंडरों को भुगतान की गई नकद और नकद समतुल्य की कुल राशि का पूंजीकरण कर रही है जिसमें विनिमय में उतार-चढ़ाव भी शामिल है तथा यह इंडएएस 16 की

	आवश्यक्ताओं के अनुरूप है। इसके अलावा इंडएएस 16 के अनुच्छेद 16 के अनुसार यह आवश्यक है कि सभी प्रत्यक्ष जिम्मेदार लागत को पूंजीकृत किया जाए। विनिमय में उतार-चढ़ाव सहित वेंडरों को भुगतान की गई राशि प्रत्यक्षत: जिम्मेदार लागत है, अत: कंपनी विनिमय में उतार-चढ़ाव के पूंजीकरण के लिए प्राधिकृत है। आगे हम यह बताना चाहते हैं कि कंपनी निर्माण चरण में है तथा कंपनी का व्यावसायिक प्रचालन अभी शुरू नहीं हुआ है। इसे ध्यान में रखकर कॉर्पोरेशन ने विनिमय उतार-चढ़ाव सहित सभी पूर्व-प्रचालन व्ययों को पूंजीकृत कर लिया है। जैसे ही, कंपनी का राजस्व अर्जन शुरू होगा, कंपनी विनिमय उतार-चढ़ाव को प्रभारित करना शुरू कर देगी। इंडएएस 101 (इंड एएस का पहली बार अंगीकरण) जो इंडएएस के सुचारू अभिसरण के लिए लागू है, ने अन्य इंडएएस के लिए परिवर्तन सुविधाएं उपलब्ध करायी है और तदनुसार इंडएएस में अभिसरण के उद्देश्य हेतु इंडएएस 21 (विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव) में उल्लिखित प्रावधानों को इंडएएस 101 के साथ पढ़ा जाए। वर्तमान मामले में, हमारे विचार में, कंपनी के लेन-देन इंडएएस 21 (विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव) की तुलना में इंडएएस 101 के प्रावधानों द्वारा अधिक उचित ढंग से कवर किए गए हैं। इसके अलावा, यह विचार इंडएएस 23 (उधार लागत) द्वारा समर्थित है, जहां मानक विनिमय उतार-चढ़ाव के पूंजीकरण को उस सीमा तक अनुमति देता है जिसे ब्याज लागत के समायोजन के रूप में माना जाता है। उपर्युक्त का विचार करते हुए कंपनी ने इंडएएस के अनुक्रम में विनिमय में उतार-चढ़ाव का सही प्रबंधन किया है।

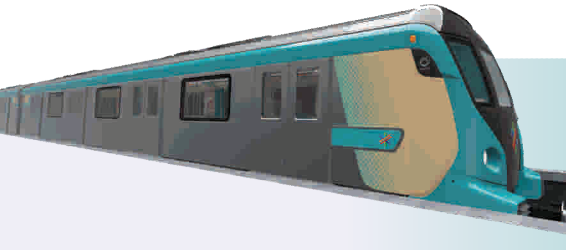

चंदाभॉय एंड जस्सोभॉय
सनदी लेखाकार

एफओएफ 2, फीनिक्स हाउस,
`बी` विंग, 4 थी मंजिल, सेनापती बापट
मार्ग, लोअर परेल, मुंबई - 400013
फोनः +91 22 24981516/1718
ईमेलः mail@cnj.in
वेबः www.cnj.in

स्वतंत्र लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

प्रति,

सदस्य,

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षण पर रिपोर्ट

अभिमत

1. हमने मुंबई **मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (कंपनी)** और यहां संलग्न वित्तीय विवरणों का जिसमें कि 31 मार्च, 2022 तक के तुलन पत्र, तथा लाभ और हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), उसी समाप्ति वर्ष की इक्विटी के विवरण और नकदी प्रवाह के विवरण में हुए बदलाव तथा वित्तीय विवरणों पर हमारी टिप्पणियों के साथ महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों और व्याख्यात्मक जानकारी (जिसे आगे वित्तीय विवरण कहा गया है) आदि शामिल हैं, का लेखापरीक्षण किया है।

   हमारी राय और हमारी अधिकतम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार पूर्वोक्त वित्तीय विवरणों में कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की आवश्यकता के अनुसार दी गई जानकारी भारत में सामान्यत: स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार कंपनी के 31 मार्च, 2022 तक किए गए कारोबार उसकी हानियां अन्य व्यापक आय, इक्विटी के बदलाव और नकदी प्रकार का सही और उचित विवरण दर्शाते हैं।

अभिमत का आधार

2. हमने लेखापरीक्षण, अधिनियम की धारा 143 (10) में विनिर्दिष्ट लेखा मानकों के अनुसार किया है। मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों का वर्णन हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण के लेखापरीक्षण खंड में दिया गया है। इंस्टीट्यूट

ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंटस ऑफ इंडिया द्वारा जारी आचार संहिता तथा इसके अंतर्गत आनेवाले अधिनियम तथा नियमों के प्रावधानों के तहत आचार गत अनिवार्यताओं के अनुसार हमने कंपनी के वित्तीय विवरणों का स्वतंत्र होकर लेखापरीक्षण किया है। हम यह मानते हैं, कि हमने जो लेखापरीक्षण साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वह हमारे मत को पर्याप्त और उचित आधार प्रदान करते हैं।

वित्तीय विवरणों तथा लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन के अलावा अन्य जानकारी

3. कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में वार्षिक प्रतिवेदन में दी गई जानकारी, खासकर निदेशकों के प्रतिवेदन से संलग्न अनुबंधों सहित निदेशकों का प्रतिवेदन शामिल है, पर इसमें वित्तीय विवरण तथा हमारी लेखापरीक्षण रिपोर्ट शामिल नहीं हैं। अन्य जानकारी हमें इस लेखापरीक्षण रिपोर्ट की तारीख के बाद उपलब्ध कराई जानी अपेक्षित है।

   वित्तीय विवरण के बारे में हमारे अभिमत में अन्य जानकारी शामिल नहीं है, तथा हमने उसके बारे में कोई अंतिम आश्वासन अभिव्यक्त नहीं किया है।

   वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षण के संबंध में हमारा उत्तरदायित्व ध्यान में आई अन्य जानकारी जब वह उपलब्ध होती है, को समझना है, और ऐसा करने के दौरान यह भी विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरण से असंगत है या लेखापरीक्षण के दौरान मिली जानकारी से जुड़ी नहीं है या मूलतः असंगत है।

   जब हम अन्य जानकारी पढ़ते हैं और हमारे निष्कर्ष में वह वास्तव में गलत होती है तो हमें इसकी जानकारी उन्हें देने की जरूरत होगी जिन पर नियमों को लागू करने की जिम्मेदारी होती है तथा इस संबंध में प्रबंधन द्वारा उठाए गए कार्यों का पुनरीक्षण भी करना होगा ताकि अन्य जानकारी यदि पहले दी गई है, तो प्राप्त करनेवाले को संशोधित पाठ के बारे में सूचित किया जा सके।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

4. कंपनी का निदेशक मंडल अधिनियम की धारा, 133 में विनिर्दिष्ट भारतीय लेखाकरण मानकों सहित सामान्यतः भारत में स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार कंपनी के नकदी प्रवाह, इक्विटी में बदलाव, वित्तीय निष्पादन (अन्य व्यापक आय सहित) तथा वित्तीय स्थिति की सही और उचित तस्वीर देनेवाले इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में दिए गए तथ्यों के लिए जिम्मेदार होता है।

   इस जिम्मेदारी में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की आस्तियों की सुरक्षा के लिए तथा धोखाधड़ी और

अन्य अनियमितताओं का पता लगाने और उनसे बचाव के लिए उपयुक्त लेखाकरण नीतियों का चयन और उनका प्रयोग, तर्कसंगत और विवेकपूर्ण प्राक्कलन और निर्णय लेना, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का कार्यान्वयन और उन्हें जारी रखना, जो लेखाकरण अभिलेखों की परिशुद्धता और पूर्णता के लिए पूर्व में बेहतर तरीके से परिचालित हो रहे थे और वित्तीय विवरण जो सही और उचित स्थिति दर्शाते हैं, और धोखाधड़ी या त्रुटि से मुक्त होते हैं, शामिल होते हैं।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन की यह जिम्मेदारी होती है, कि वह वर्तमान स्थिति में कंपनी के चलने और इससे जुड़ी लेखाकरण प्रतिकूलताओं को सामने लाने का प्रयास करे जब तक कि प्रबंधन के पास कंपनी को परिसमाप्त करने या प्रचालन बंद करने या ऐसा करने का कोई वास्तविक विकल्प नहीं हो।

वे सभी निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय प्रतिवेदन प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार होते हैं।

वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षण के लिए लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व

5. हमारा उद्देश्य इस आशय का उपयुक्त आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या संपूर्ण तौर पर वित्तीय विवरण में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण गलतबयानी तो नहीं हुई है, और फिर लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल होती है। उपयुक्त आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन होता है पर इस बात की गारंटी नहीं होती कि मानक लेखाकरण प्रक्रिया के अनुसार लेखापरीक्षण में हुई महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता चल ही जाए, गलतबयानी धोखाधड़ी या त्रुटि से हो सकती है और इसे महत्वपूर्ण तब माना जाता है जब एकल या सामूहिक रूप से इनका प्रभाव इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ता द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णय को प्रभावित करती हो।

6. मानक लेखाकरण के अनुसार लेखापरीक्षण का एक भाग होने के कारण हम पूरे लेखापरीक्षण के दौरान एक प्रोफेशनल की तरह व्यवहार करते हैं साथ ही किसी तरह का संशय नहीं रखते।

- वित्तीय विवरणों में हुई महत्वपूर्ण गलतबयानी के जोखिम की पहचान और आकलन चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुई हो, इन जोखिमों के अनुक्रियात्मक लेखापरीक्षण प्रक्रिया को डिज़ाइन करना और उनका निष्पादन तथा लेखापरीक्षण साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारे अभिमत को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हों। धोखाधड़ी के परिणामत: हुई गलतबयानी को नहीं पता लगा पाने का जोखिम त्रुटि के परिणामत: हुई गलतबयानी से ज्यादा होता है क्योंकि धोखाधड़ी में दुरभिसंधि, जालसाज़ी, जानबूझकर की गई चूक, अन्यथा कथन या आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल होती है।

- लेखापरीक्षण के प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण को समझना ताकि एक ऐसी लेखापरीक्षण प्रक्रिया को डिज़ाइन

किया जा सके जो उन परिस्थितियों में उपयुक्त हो। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत हम इस तथ्य पर भी अपना अभिमत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं कि क्या इन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर्याप्त है और इनका प्रचालन प्रभावी है।

- उपयोग में लाई जाने वाली लेखाकरण नीतियों की पर्याप्तता तथा लेखाकर्म प्राक्कलनों की उपयुक्तता जो प्रबंधन द्वारा बताए जाते हैं, का आकलन।

- लेखाकरण के वर्तमान आधार तथा प्राप्त किए लेखाकरण साक्ष्य के आधार पर इनका प्रबंधन द्वारा पर्याप्त उपयोग, घटना या स्थितियां जो महत्वपूर्ण अनिश्चितता के विद्यमान रहने को लेकर होती हैं, पर अपना अभिमत प्रस्तुत करना। यदि हम समापन के रूप में यह लिखते हैं कि महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है तो हमें अपने लेखापरीक्षण रिपोर्ट में वित्तीय विवरण में संबंधित प्रकटन की ओर ध्यान आकृष्ट करना या यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हो तो हमें अपने अभिमत को संशोधित करना होता है। हमारा समापन हमारे लेखापरीक्षण रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षण साक्ष्य पर आधारित होता है। तथापि, भविष्य में होने वाली घटनाएं या स्थितियां कंपनी के लिए प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न कर सकती हैं।

- प्रकटन सहित वित्तीय विवरण की सभी प्रस्तुति, और उसमें शामिल तथ्यों का मूल्यांकन कि क्या वित्तीय विवरण सभी लेनदेन को उचित तरीके से दर्शाता है।

वित्तीय विवरण में गलतबयानी किस स्तर तक हुई है यह महत्वपूर्ण होता है, जो इस बात की संभावनाओं को जानने का अवसर देता है कि इन वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं के उपयुक्त ज्ञान के क्रम में लिए गए आर्थिक निर्णयों को एकल या सामूहिक रूप से कितना प्रभावित करती है। हम, (i) हमारे लेखापरीक्षण कार्य के क्षेत्र और हमारे कार्य के परिणाम के मूल्यांकन और (ii) वित्तीय विवरण में किसी चिन्हित गलतबयानी के प्रभाव के मूल्यांकन, के क्रम में मात्रात्मक और गुणात्मक महत्व पर विचार करते हैं।

हम अन्य बातों के साथ लेखापरीक्षण के नियोजित क्षेत्र और उसमें लगे समय तथा हमारे ध्यान में आई महत्वपूर्ण जानकारियां और इस दौरान आंतरिक नियंत्रण में पाई गई कमियों के बारे में शीर्ष प्रबंधन को जानकारी देते हैं।

हम शीर्ष प्रबंधन को इस आशय का एक विवरण भी प्रदान करते हैं, कि हमने निरपेक्ष रूप से संबंधित अनिवार्यताओं को समेकित किया है साथ ही यह भी स्पष्ट करते हैं कि हम पूरी तरह निरपेक्ष रहे और जहां कहीं भी लागू हो संरक्षण के उपाय किए गए हैं।

अन्य विधिक और नियामक अनिवार्यताओं पर प्रतिवेदन

7. अधिनियम की धारा 143 उप धारा (ii) के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी आदेश 2016 ("आदेश") के अंतर्गत कंपनियों (लेखापरीक्षण रिपोर्ट) में जैसा आवश्यक होता है वैसा हमने आदेश के तीन और चार में विनिर्दिष्ट विवरण 'अनुबंध-I' में दिया हुआ है।

8. अधिनियम की धारा 143(3) की अनिवार्यताओं के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि -

क) हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार, हमारे लेखापरीक्षण के उद्देश्य से सभी आवश्यक जानकारी तथा स्पष्टीकरण जो हमने मांगे थे, हमें प्राप्त हुए हैं।

ख) हमारी राय में कंपनी द्वारा कानून की जरूरतों के अनुसार खातों का रखरखाव किया गया है जैसा हमें इन खातों के परीक्षण से प्रतीत होता है।

ग) इस प्रतिवेदन से जुड़ा तुलन पत्र, हानि और लाभ का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित) इक्विटी में बदलाव का विवरण, नकदी प्रवाह का विवरण, लेखा पुस्तिकाओं के अनुसार है।

घ) हमारी राय में पूर्वोक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 में विनिर्दिष्ट तथा इसके अंतर्गत जारी संबंधित नियमों के साथ पढ़े जानेवाले भारतीय लेखाकरण मानकों के अनुसार है।

च) 31 मार्च 2022 को निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर जिसे निदेशक मंडल द्वारा स्वीकार किया गया है, 31 मार्च 2022 तक किसी भी निदेशक को अधिनियम की धारा 164(2) के अनुसार निदेशक नियुक्त किए जाने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

छ) कंपनी के वित्तीय विवरणों के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का पर्याप्त होना तथा ऐसे नियंत्रणों के सही तरीके से प्रभावी होने के संबंध में अनुबंध 'सी''में हमारा अलग प्रतिवेदन देखें।

ज) यह एक सरकारी कंपनी है तदनुसार जून 5, 2015 की अधिसूचना जी.एस.आर. 463(3) के अनुसार धारा 197 के प्रावधान जिसे अधिनियम की अनुसूची V के साथ पढ़ा जाता है, लागू नहीं होता।

झ) कंपनियों (लेखापरीक्षण और लेखापरीक्षक) नियम 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में दिया गया स्पष्टीकरण हमारी राय एवं हमारी अधिकतम जानकारी के हिसाब से निम्नानुसार है।

i) कंपनी ने अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के पड़ने वाले प्रभावों का उल्लेख वित्तीय विवरण में किया है-वित्तीय विवरण का नोट 23.1 देखें।

ii) मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान दीर्घकालिक संविदा के कारण कंपनी को कोई बड़ी हानि नहीं हुई है। कंपनी के पास कोई भी व्युत्पन्न संविदा नहीं है।

iii) कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरण के लिए जरूरी राशियों के अंतरण में कोई विलंब नहीं हुआ है।

iv) क) कंपनी ने यह अभ्यावेदन किया है कि खातों में यथा प्रकटीकृत टिप्पणियों के अलावा, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के आधार पर कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओ (मध्यस्थों) सहित किसी अन्य व्यक्ति(यों) या संस्था(ओं) को इस समझौते, लिखित रूप में या अन्यथा, के साथ कोई भी निधि अग्रिम या ऋणस्वरूप नहीं दिया और न ही निदेशित किया है (न तो उधार ली गई निधि या शेयर प्रीमियम या अन्य स्रोतों या अन्य प्रकार की निधियों के रूप में भी) कि मध्यस्थ कंपनी द्वारा या कंपनी (अंतिम लाभार्थियों) की ओर से किसी भी रूप में चिन्हित अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः निधि उधार देगा या उनमें निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या समतुल्य मुहैया कराएगा।

ख) कंपनी ने यह अभ्यावेदन दिया है कि खातों मे यथा-प्रकटीकृत टिप्पणियों के अलावा, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के आधार पर कंपनी ने विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित किसी अन्य व्यक्ति(यों) या संस्था(ओं) से लिखित रूप में किसी समझौते या अन्यथा के जरिए कोई भी निधि प्राप्त नहीं किया है ताकि कंपनी प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः वित्त पोषक पक्षकार (अंतिम लाभार्थियों) की ओर से किसी भी रूप में चिन्हित अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को निधि उधार देगी या उनमें निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या समतुल्य मुहैया कराएगी।

ग) ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, जिन्हें हमने परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना है, हमारी जानकारी में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि उप-खण्ड (क) और (ख) के अन्तर्गत कोई तथ्यात्मक गलत बयान उल्लिखित है।

v) कंपनी ने लेखापरीक्षा के अधीन वर्ष के दौरान लाभांश की घोषणा नहीं की है, न ही लाभांश का भुगतान किया है।

9. अधिनियम की धारा 143(5) के अधीन भारत सरकार के नियंत्रक और लेखापरीक्षक के कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार हम निम्न अनुसार प्रतिवेदित करते हैं :-

i) लेखा पुस्तिकाओं के सत्यापन के आधार पर हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी टैली

ईआरपी-9 (शृंखला 6.4.3) का मुख्य लेखाकरण प्रणाली के रूप में उपयोग करती है तथा इसके पास एकल एकीकृत आईटी अनुप्रयोज्यता (एप्लिकेशन) नहीं है। अनुमोदनों की प्रक्रियाओं एवं प्राप्तियों के उद्देश्य के लिए संव्यवहारों को प्राप्त करने एवं अभिलेखित करने के लिए बहु-अनुप्रयोज्यताओं का उपयोग करती है। इन अनुप्रयोज्यताओं तथा टैली ईआरपी के बीच मैनुअल इंटरफेस होता है।

मैनुअल इंटरफेस का उपयोग करते हुए बहुविध आईटी एप्लिकेशन के उपयोग से लेखाकरण लेनदेन के प्रक्रमण के दौरान एक एप्लिकेशन से दूसरी एप्लिकेशन में डेटा के हस्तांतरण में त्रुटि का जोखिम हो सकता है जिसका परिणाम वित्तीय विवरणों में गलतबयानी के रूप में दिख सकता है। तथापि, इस जोखिम को कम करने के लिए कंपनी के पास प्रतिकर निवारक नियंत्रण का मैनुअल तरीका है।

ii) हमें दी गई जानकारी के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों के परीक्षण के आधार पर कोई भी ऋण पुनर्भुगतान के लिए बकाया नहीं है अतएव पुनः संरचना / परित्याग का सवाल उत्पन्न नहीं होता। किसी भी कर्ज़ को बट्टा खाते में नहीं डाला गया है।

वित्तीय वर्ष 2021-2022 में जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) ऋण का पुनर्भुगतान बकाया नहीं है। फिर भी, कंपनी ने जेआईसीए ऋण ब्याज के लिए पर्याप्त प्रावधान कर लिया है।

iii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा अभिलेखों के परीक्षण के आधार पर कंपनी के पास मुंबई मेट्रो लाइन-3 (कोलाबा-बान्द्रा-सीप्ज़) के निर्माण की केवल एक परियोजना (योजना) है। ऋण देने, निवेश करने वाली एजेंसियों से प्राप्त निधि का उक्त परियोजना के लिए उपयोग किया गया है और हमें इसमें कोई विचलन नजर नहीं आया है।

कृते
चंदाभॉय एंड जस्सोभॉय
सनदी लेखाकर
फर्म पंजीकरण संख्या 101647W

अंबेश दवे
पार्टनर
(सदस्यता संख्याः 049289)
यूडीआईएन : 22049289AOPKSZ3320

स्थानः मुंबई
दिनांकः 9 अगस्त, 2022

लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन का 'अनुबंध I'

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर **मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड** के सदस्यों के लिए हमारे लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुच्छेद 7 में संदर्भित अनुबंध देखें।

1. (क) (क) कंपनी द्वारा उसकी परिसंपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण के अभिलेख जिनमें उनके परिमाण और उनकी स्थिति से संबंधित पूरे विवरण शामिल हैं, सही तरीके से रखे गये हैं।

(ख) कंपनी द्वारा उसकी अचल आस्तियों के अभिलेख जिनमें उनके पूरे विवरण शामिल हैं, सही तरीके से रखे गये हैं।

(ख) कंपनी के पास उसकी परिसम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण (पी.पी.ई.) के प्रत्यक्ष सत्यापन हेतु एक कार्यक्रम है जिसके अन्तर्गत तीन वर्ष की अवधि में सभी पी.पी.ई. का चरणबद्ध तरीके से सत्यापन किया जाता है। हमारी राय में व्यय के हिसाब से इस प्रकार का प्रत्यक्ष सत्यापन कंपनी के आकार और इसकी आस्तियों के स्वरूप को देखते हुए उचित है। कार्यक्रम के अनुसार कुछ परिसम्पत्तियों, संयंत्रों तथा उपकरणों का इस वर्ष प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया था तथा इस सत्यापन के दौरान कोई महत्वपूर्ण विसंगतियां नहीं पाई गईं।

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा कंपनी के अभिलेखों का हमारे द्वारा किए गए परीक्षण के आधार पर सिर्फ संलग्नक-I में यथा उल्लिखित को छोड़कर, जैसा कि वित्तीय विवरणों में प्रकटित किया गया है, कंपनी के स्वामित्व वाली सभी अचल आस्तियों (उन परिसम्पत्तियों को छोड़कर जहां कंपनी पट्टेदार है तथा पट्टे के करारनामे पट्टेदार के पक्ष में विहित 14 में निष्पादित हैं) के अधिकार पत्र कंपनी के नाम पर पाए गए।

(घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा कंपनी के अभिलेखों का हमारे द्वारा किए गए परीक्षण के आधार पर बेनामी लेन-देन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) तथा इसके अधीन निर्मित नियमों के अन्तर्गत कंपनी के विरूद्ध कोई कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं हुई है अथवा न ही ऐसी कोई कार्रवाई लंबित है।

2. (क) कंपनी के पास किसी तरह की वस्तुसूची नहीं है, इसलिए अनुच्छेद 3 (ii) के प्रावधान लागू नहीं हैं।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा कंपनी के अभिलेखों का हमारे द्वारा किए गए परीक्षण के आधार पर कंपनी को बिना किसी सुरक्षा के कुल दो बैंकों से 300 करोड़ शुद्ध ऋण स्वीकृत किया गया है। इसे कंपनी ने लेखापरीक्षित वर्ष के दौरान उपयोग नहीं किया। उपर्युक्त के अलावा, कंपनी को वर्ष के किसी

भी समय के दौरान वर्तमान आस्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंक या वित्तीय संस्थाओ से कुल मिलकर रूपये पांच करोड़ से अधिक की कोई कार्यशील पूंजी से अनधिक्य स्वीकृत नहीं हुई।

3. (क) कंपनी ने वर्ष के दौरान या कंपनियों, फर्मों, देयता पार्टनरशिपों में कोई निवेश नहीं किया है, न ही कोई प्रत्याभूति या सुरक्षा प्रदान की है, न ही ऋण की प्रकृतियों में कोई अग्रिम प्रदान किया है।

3. (क) सिवाय नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित अन्य पक्षकारों को दिए गए ऋण या ऋण की प्रकृति में अग्रिम के कंपनी ने वर्ष के दौरान कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता वाले पार्टनरशिपों या किसी अन्य पक्षकारों में कोई निवेश नहीं किया है, न ही कोई प्रत्याभूति या सुरक्षा प्रदान की है, न ही ऋण अथवा ऋण की प्रकृति में कोई अग्रिम दिया है:

ऋण/ऋण की प्रकृति में अन्य पक्षकारों (कर्मचारियों) तो वर्ष के दौरान स्वीकृत की गई कुल राशि	रूपये 59.22 लाख
तुलन पत्र की तिथि को बकाया शेष राशि	रूपये 33.60 लाख

(ख) उपर्युक्त अनुच्छेद 3(क) में यथा उल्लिखित ऋणों तथा ऋण की प्रकृति में अग्रिमों के नियम व शर्तें कंपनी के हितों के पूर्वाग्रही नहीं हैं।

(ग) उपर्युक्त अनुच्छेद 3(क) में यथा उल्लिखित ऋणों तथा ऋण की प्रकृति में अग्रिमों के संबंध में मूलराशि के पुनर्भुगतान तथा ब्याज के भुगतान की अनुसूची निर्धारित की गई है और पुनर्भुगतान या रसीदें नियमित हैं।

(घ) जैसाकि अनुच्छेद 3(ग) में उल्लेख किया गया है, कंपनी मूल राशियों और ब्याज राशि की नियमित वसूली कर रही है तथा कोई भी राशि नब्बे दिनों से अधिक बकाया नहीं है।

(च) मौजूदा ऋणों का बकाया निपटान हेतु उसी वर्ष के दौरान कंपनी ने समान पक्षकारों को कोई ऋण नवीनीकृत या विस्तारित नहीं किया है, न ही स्वीकृत किया है।

(छ) कंपनी ने पुनर्भुगतान या मांग पर या पुनर्भुगतान के नियमों या अवधि निदिष्ट किये बिना कोई ऋण या ऋणों की प्रकृति में कोई अग्रिम स्वीकृत नहीं किया है।

4. हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा जांचे गए अभिलेखों के अनुसार कंपनी ने कोई ऋण नहीं दिया है, कोई निवेश नहीं किया है या नहीं, धारा 185 और 186 के अन्तर्गत कवर पक्षकारों को कोई गारंटी या प्रतिभूति प्रदान की है। अत: आदेश के खंड 3(iv) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

5. हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने आम जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है। अतः भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश तथा खंड 73 से 76 के प्रावधान या इसके अंतर्गत बने नियम और अधिनियम के अन्य संबंधित प्रावधान लागू नहीं हैं।

6. हमारी राय तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम की धारा 148 को उप धारा (1) के अंतर्गत लागत रिकॉर्ड के रखरखाव को निर्दिष्ट नहीं किया है।

7. क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा जांच किए गए रिकॉर्ड के अनुसार कंपनी आमतौर पर भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आय कर, विक्रय कर, सेवा कर, वस्तु और सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर (वैट) उपकर या उचित प्राधिकारियों को देय वैधानिक बकाया सहित किसी अन्य अविवादित वैधानिक बकाया नियमित रूप से जमा करती है, तथा 31 मार्च, 2022 तक कोई भी अविवादित बकाया अदायगी की तारीख से 6 महीने से अधिक के लिए बकाया नहीं है।

ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार ऐसा कोई भी आयकर, विक्रय कर, सेवा कर, वस्तु और सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर बकाया नहीं है, जिसे विवाद के कारण जमा नहीं किया गया हो, सिर्फ एक सम्पत्ति कर को छोड़कर जो विवाद के कारण 31 मार्च, 2022 तक जमा नहीं किया गया है जिस की जानकारी नीचे दी जा रही है –

नाम संविधि	बकाया की प्रकृति	आय (रुपए लाख में)	राशि की अवधि	फोरम जहां विवाद लंबित है	टिप्पणी (यदि कोई है)
मुंबई महानगरपालिका अधिनियम 1888	सम्पत्ति कर	3,155.51	2015-16 से 2021-22	सहायक कर निर्धारक और समाहर्ता (संबंधित वॉर्ड)	मांग को निरस्त/ परित्याग के लिए पत्र लिखा गया है।

8. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा जांचे गए कंपनी के अभिलेखों के अनुसार आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अन्तर्गत लेखा पुस्तिकाओं में ऐसा कोई भी लेन-देन दर्ज नहीं किया गया है जो वर्ष के दौरान आकलन आय के रूप में अभ्यर्पित या प्रकटित नहीं किया गया है।

9. (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमें उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों के आधार पर भारत सरकार तथा महाराष्ट्र सरकार से लिए ग़ए आश्रित ऋण तथा जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) से पास थ्रू असिस्टेंस के आधार पर प्राप्त ऋण, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

(एमओएचयूए) के पास बकाया नहीं है। अत: कोई चूक होने की संभावना नहीं है। भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार से लिया गया आश्रित ऋण ब्याज मुक्त है। कंपनी के पास किसी देनदार का कोई ऋण या उधारी नहीं है।

ख) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा हमें उपलब्ध कराए गए कागजातों और अभिलेखों के आधार पर कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा इरादतन चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

ग) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों का हमारे द्वारा किए गए परीक्षण के आधार पर कंपनी ने कोई सावधि ऋण नहीं लिया है।

घ) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों का हमारे द्वारा किए गए परीक्षण के आधार पर कंपनी ने लघु अवधि के आधार पर कोई निधि नहीं जुटाई है।

च) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों का हमारे द्वारा किए गए परीक्षण के आधार पर कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनियों के लिए अथवा उनके दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी भी संस्था या व्यक्ति से कोई निधि नहीं जुटाई है।

छ) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों तथा कंपनी के अभिलेखों का हमारे द्वारा किए गए परीक्षण के आधार पर कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनियों में धारित प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर वर्ष के दौरान कोई ऋण नहीं लिया है।

10. क) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों तथा कंपनी के अभिलेखों का हमारे द्वारा किए गए परीक्षण के आधार पर कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारम्भिक सार्वजनिक निर्गम या बाद के सार्वजनिक निर्गम (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से कोई राशि नहीं जुटाई है। अत: आदेश के अनुच्छेद 3(एक्स)(क) के प्रावधान लागू नहीं हैं।

ख) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों तथा कंपनी के अभिलेखों का हमारे द्वारा किए गए परीक्षण के आधार पर कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान शेयरों या डिबेंचरों (पूर्णत: अंशत: या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय) का अधिमानी आबंटन या निजी स्थानन नहीं किया है। तदनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 के खण्ड 42 और खण्ड 62 की अनिवार्यताएं तथा आदेश के उपबंध 3(एक्स),(ख) लागू नहीं हैं।

11. क) कंपनी की लेखा पुस्तिकाओं तथा अभिलेखों के परीक्षण के दौरान तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा प्रबंधन द्वारा किए गए अभ्यावेदन के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा या कंपनी के साथ हुई किसी

धोखाधड़ी की जानकारी नहीं मिली। अत: यहां रिपोर्ट नहीं की गई है।

ख) कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के अन्तर्गत लेखापरीक्षकों के द्वारा केंद्र सरकार के लिए लागू कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के अन्तर्गत नियम 13 में यथा विहित प्रपत्र एडीटी-4 में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है।

ग) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी को वर्ष के दौरान कोई व्हिसलब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

12. हमारे मत में तथा कंपनी द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार यह कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है जैसाकि अधिनियम की धारा-406 में विहित है। तदनुसार आदेश के अनुच्छेद 3(XII) लागू नहीं है।

13. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों का हमारे द्वारा किए गए परीक्षण के आधार पर संबंधित पक्षकारों के बीच हुआ लेन-देन अधिनियम की धारा-177 और 178 जहां कहीं भी लागू हो, के अनुसार हुआ है, तथा इसकी विस्तृत जानकारी वित्तीय विवरणों में दी गई है जैसाकि भारतीय लेखाकरण माणकों के अनुसार आवश्यक होता है।

14. क) हमारे मत में तथा हमारे द्वारा जांचे गए अभिलेखों के आधार पर कंपनी के व्यापार की प्रकृति एवं आकार के अनुरूप कंपनी के पास आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली मौजूद है।

ख) कंपनी के वित्तीय विवरणों पर अपना मत निर्धारित करने के दौरान हमने लेखापरीक्षा के अन्तर्गत अवधि के लिए आंतरिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों पर हमने विचार किया है।

15. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों का हमारे द्वारा किए गए परीक्षण के आधार पर कंपनी ने कंपनी से जुड़े निदेशकों या व्यक्तियों से कोई गैर नकदी लेन-देन नहीं किया है। अत: अधिनियम की धारा 192 के प्रावधान तथा आदेश का उपबंध 3(XV) लागू नहीं हैं।

16. क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA के अन्तर्गत कंपनी का पंजीकरण किया जाना अनिवार्य नहीं है।

ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय या आवासन वित्तीय गतिविधियां संचालित नहीं किया है। अत: आदेश का उपंबध 3(XVI)(ख) कंपनी के लिए लागू नहीं है।

ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए विनियमों में वर्णित अनुसार एक कोर निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है।

घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी के पास समूह के एक भागीदार के रूप में कोई सीआईसी नहीं है।

16. क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों का हमारे द्वारा किए गए परीक्षण के आधार पर कंपनी ने तुरंत बीते वित्तीय वर्ष में रूपये 1,070,68 लाख की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष में रूपये 1,449.08 लाख की हानि दर्ज की है।

ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय या आवासन वित्तीय गतिविधियां संचालित नहीं किया है। अत: आदेश का उपबंध 3(xvi)(ख) कंपनी के लिए लागू नहीं है।

ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए विनियमों में वर्णित अनुसार एक कोर निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है।

घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी के पास समूह के एक भागीदार के रूप में कोई सीआईसी नहीं है।

17. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों का हमारे द्वारा किए गए परीक्षण के आधार पर कंपनी ने तुरंत बीते वित्तीय वर्ष में रूपये 1,070.68 लाख की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष में रूपये 1,449.08 लाख की हानि दर्ज की है।

18. वर्ष के दौरान किसी भी सांविधिक लेखापरीक्षक ने त्याग-पत्र नहीं दिया है।

19. हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा वित्तीय अनुपातों, वित्तीय आस्तियों की आयुर्वृद्धि एवं उनकी वसूली की अपेक्षित तारीखों ओर वित्तीय देनदारियों के भुगतान, वित्तीय विवरणों सहित अन्य जानकारी, निदेशक मंडल एवं प्रबंधन की योजनाओं के बारे में हमारी जानकारी तथा कंपनी के अभिलेखों का हमारे द्वारा किए गए पुन:परीक्षण के आधार पर कोई जानकारी हमारे समक्ष नहीं आई है जिससे कि हमें यकीन हो कि लेखापरीक्षा की तिथि को कोई सामग्री अनिश्चितता मौजूद है जिसके कारण कंपनी शेष संतुलन की तारीख को तथा शेष संतुलन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर मौजूदा देनदारियों को पूरा कर पाने में सक्षम है।

फिर भी, हमारा कथन है कि यह कंपनी की भविष्यगत व्यवहार्यता के प्रति कोई आश्वासन नहीं है। हम पुन: यह

उल्लिखित करते हैं कि हमारा प्रतिवेदन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है तथा हम न तो इस बात की कोई गारंटी या आश्वासन देते हैं कि शेष संतुलन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर आने वाली सभी देनदारियों का जब कभी वे देय हों, कंपनी द्वारा निपटान कर दिया जाएगा।

20. क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा हमारे द्वारा जांचे गए अभिलेखों के आधार पर कंपनी के पास चल रही परियोजना के अतिरिक्त अन्य कोई परियोजना नहीं है तथा कंपनी अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (5) के द्वितीय परंतु के अनुपालन के क्रम में वित्तीय वर्ष की समाप्त के छह महीने की अवधि के भीतर, कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट निधि में अव्ययित राशि को स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं है।

ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा हमारे द्वारा जांचे गए अभिलेखों के आधार पर कंपनी के पास कंपनी अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत किसी भी चल रही परियोजना के अनुसरण में अव्यतित कोई राशि नहीं है। अत: उक्त अधिनियम का धारा 135 की उप-धारा (6) के प्रावधान के अनुपालन में किसी भी राशि को विशेष खाते में स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं है।

21. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा हमारे द्वारा जांचे गए अभिलेखों के आधार पर कंपनी द्वारा समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। अत: आदेश का उपबंध 3(xxi) लागू नहीं है।

कृते
चंदाभॉय एंड जस्सोभॉय
सनदी लेखाकर
फर्म पंजीकरण संख्या 101647W

अंबेश दवे
पार्टनर
(सदस्यता संख्याः 049289)
यूडीआईएन : 22049289A0PKSZ3320

स्थानः मुंबई
दिनांकः 9 अगस्त, 2022

स्वतंत्र लेखापरीक्षक प्रतिवेदन का 'अनुबंध II'

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों के लिए हमारे स्वतंत्र लेखापरीक्षक प्रतिवेदन के अनुच्छेद 8(एफ) अन्य विधिक और नियामक अनिवार्यताओं पर प्रतिवेदन में संदर्भित।

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर प्रतिवेदन।

हमने, उक्त तारीख पर समाप्त वर्ष के लिए मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अपनी लेखापरीक्षा के संयोजन में 31 मार्च 2022 तक कंपनी के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखापरीक्षण किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंटस् ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय प्रतिवेदन (मार्गदर्शी नोट) में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षण पर आंतरिक नियंत्रण के लिए अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय प्रतिवेदन मानक के अनुसार आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। उत्तरदायित्व में अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी आस्तियों का संरक्षण, धोखाधड़ी और त्रुटियों से बचाव और उनका पता लगाना, लेखा अभिलेखों की शुद्धता और उन्हें पूरा करना, विश्वसनीय जानकारी को समय से तैयार करना सहित पर्याप्त वित्तीय नियंत्रण का डिज़ाइन, उनका कार्यान्वयन तथा उसे बनाए रखना जो कि व्यवसाय के दक्षता के साथ सही तरीके से चल रहे होते हैं, शामिल होता है।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा यह उत्तरदायित्व होता है कि हम अपने लेखापरीक्षण के आधार पर वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के बारे में अपनी राय अभिव्यक्त करें। हमने अपना लेखापरीक्षण आईसीएआई द्वारा मानक लेखाकरण पर जारी तथा अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत विहित मार्गदर्शी नोट, जो कि आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षण पर एक सीमा तक लागू हो तथा जो दोनों ही, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों तथा आईसीएआई द्वारा जारी आंतरिक वित्तीय लेखापरीक्षण पर लागू होते हैं, के अनुसार किया है। उन सभी मानक और मार्गनिर्देशी टिप्पणी की यह आवश्यकता होती है, कि हम अपने लेखापरीक्षण को इस तरह आयोजित और निष्पादित करें ताकि हमें पर्याप्त आश्वासन मिल सके कि वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की व्यवस्था है और इसका पालन किया जाता है तथा क्या इन नियंत्रणों का दक्षतापूर्वक अनुपालन होता है।

हमारे लेखापरीक्षण में निष्पादन प्रक्रिया शामिल होती है ताकि वित्तीय विवरणों और उनकी परिचालन दक्षता के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखापरीक्षण साक्ष्य प्राप्त किया जा सके।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का हमारा लेखापरीक्षण, जो उसमें शामिल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में होता है, का उद्देश्य वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को समझने, जोखिम का आकलन ताकि कोई तथ्यात्मक चूक न विद्यमान हो, तथा आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की परिचालन दक्षता के डिज़ाइन और उनकी जांच के आकलन के लिए होता है। चयनित प्रक्रिया, वित्तीय विवरण में महत्वपूर्ण गलतबयानी के जोखिम के आकलन की यह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुई है, पर निर्भर करती है।

हमें विश्वास है कि हमने जो लेखापरीक्षण साक्ष्य प्राप्त किया है वह वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखापरीक्षण अभिमत के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

वित्तीय विवरण के संदर्भ में किसी कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का संबंध एक प्रक्रिया से होता है, जो सामान्यतः स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी तथा वित्तीय प्रतिवेदन की विश्वसनीयता के संबंध में पर्याप्त आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन की जाती है। वित्तीय विवरण के संदर्भ में एक कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वैसी नीतियां और प्रक्रिया शामिल होती हैं जो (1) उपयुक्त विवरण के साथ कंपनी के आस्तियों का वितरण तथा लेन-देन के अभिलेख को सही तरीके और शुद्धता से रखे जाने से संबंधित होती हैं। (2) इस आशय का उपयुक्त आश्वासन देती है कि लेन-देन को इस तरह रिकॉर्ड किया जाता है कि सामान्यतः स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने की अनुमति दी जा सके तथा कंपनी की प्राप्तियां और खर्चे कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों की अनुमति के बाद ही किए जाते हैं तथा (3) अप्राधिकृत अर्जन कंपनी की आस्तियों का उपयोग या वितरण जिनका वित्तीय विवरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता हो, के निवारण का समय से पता चल जाने के संबंध में उपयुक्त आश्वासन प्रदान करना। कंपनी की संपत्तियों का उपयोग या निपटान जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता हो, का उचित समय पर पता लगाने तथा करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान निवारण करे।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण मिलीभगत की संभावना या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की वजह से गलतबयानी तथा त्रुटि के कारण कोई गड़बड़ी का पता नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही, आगे की अवधि के लिए वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के मूल्यांकन के लिए कोई प्रक्षेपण इस जोखिम के अधीन होता है कि वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, स्थितियों में बदलाव

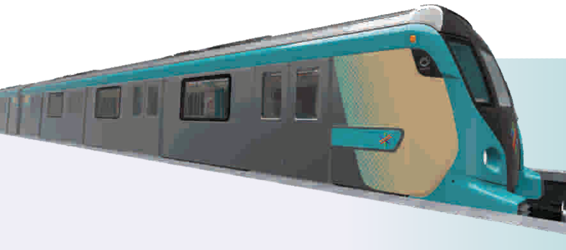

या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन में हुई कमी के कारण अपर्याप्त हो जाते हैं।

अभिमत

हमारी राय में कंपनी के पास, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंटस् ऑफ इंडिया द्वारा जारी "वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के"लेखापरीक्षा पर मार्गनिर्देशी टिप्पणी" में दिए अनुसार आंतरिक नियंत्रण के लिए आवश्यक कारकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय प्रतिवेदन मानक के आधार पर, वित्तीय विवरण के संदर्भ में ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है, जो 31 मार्च 2022 तक सही तरीकों से प्रचालित थी।

कृते
चंदाभॉय एंड जस्सोभॉय
सनदी लेखाकर
फर्म पंजीकरण संख्या 101647W

अंबेश दवे
पार्टनर
(सदस्यता संख्याः 049289)
यूडीआईएन : 22049289A0PKSZ3320

स्थानः मुंबई
दिनांकः 9 अगस्त, 2022

परिशिष्ट 1

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों के लिए निर्दिष्ट तारीख पर लेखापरिक्षकों की रिपोर्ट के परिशिष्ट 1 के अनुच्छेद (ग) का संदर्भ लें।

क्रम सं.	संपत्ति	सकल वहन मूल्य*	हक विलेख के नाम पर धारित	प्रमोटर, निदेशक या उनके सम्बन्धी या कर्मचारी	धारित अवधि रेंज को दर्शाती है जहाँ उपयुक्त हो	कंपनी के नाम पर धारण का कारण (यदि कोई विवाद हो तो दर्शाएं)
1	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	24,78,900	महाराष्ट्र सरकार	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	22-अगस्त-2014	हस्तान्तरण की प्रक्रिया में
2	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	854	महाराष्ट्र सरकार	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	05-अक्टूबर-15	हस्तान्तरण की प्रक्रिया में
3	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	505	महाराष्ट्र सरकार	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	10-दिसंबर-15	हस्तान्तरण की प्रक्रिया में
4	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	64,77,714	पुलिस आयुक्त मुंबई के माध्यम से एमआईडीसी, महाराष्ट्र सरकार	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	20-अप्रैल-16	हस्तान्तरण की प्रक्रिया में
5	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	196	महाराष्ट्र सरकार	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	25-मई-16	हस्तान्तरण की प्रक्रिया में
6	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	370	होमगार्ड और निदेश सुरक्षा	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	14-जुलाई-16	हस्तान्तरण की प्रक्रिया में
7	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	195	सीप्ज विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण के माध्यम से	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	28-जुलाई-16	हस्तान्तरण की प्रक्रिया में
8	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	1,93,038	बृहनमुंबई महानगर पालिका	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	02-सितंबर-16	हस्तान्तरण की प्रक्रिया में
9	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	30,000	महाराष्ट्र सरकार	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	03-सितंबर-16	हस्तान्तरण की प्रक्रिया में
10	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	718	महाराष्ट्र सरकार	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	23-सितंबर-16	हस्तान्तरण की प्रक्रिया में
11	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	5,030	बृहनमुंबई महानगर पालिका	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	07-दिसंबर-16	हस्तान्तरण की प्रक्रिया में
12	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	61	बृहन मुंबई महानगर पालिका	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	08-दिसंबर-16	हस्तान्तरण की प्रक्रिया में
13	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	430	बृहनमुंबई महानगर पालिका	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	16-दिसंबर-16	हस्तान्तरण की प्रक्रिया में
14	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	2,572	बृहनमुंबई महानगर पालिका	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	24-दिसंबर-16	हस्तान्तरण की प्रक्रिया में

15	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	2,302	बृहनमुंबई महानगर पालिका	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	24-दिसंबर-16	हस्तान्तरण की प्रक्रिया में
16	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	151	बृहनमुंबई महानगर पालिका	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	02-जनवरी-17	हस्तान्तरण की प्रक्रिया में
17	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	60	बृहनमुंबई महानगर पालिका	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	02-जनवरी-17	हस्तान्तरण की प्रक्रिया में
18	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	382	बृहनमुंबई महानगर पालिका	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	02-जनवरी-17	हस्तान्तरण की प्रक्रिया में
19	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	53	बृहनमुंबई महानगर पालिका	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	02-जनवरी-17	हस्तान्तरण की प्रक्रिया में
20	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	66,210	बृहनमुंबई महानगर पालिका	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	18-जनवरी-17	हस्तान्तरण की प्रक्रिया में
21	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	4,64,825	महाराष्ट्र सरकार	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	18-जनवरी-17	हस्तान्तरण की प्रक्रिया में
22	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	8,853	बृहनमुंबई महानगर पालिका	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	17-फरवरी-17	हस्तान्तरण की प्रक्रिया में
23	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	246	महाराष्ट्र राज्य पथ परिवहन निगम	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	23-फरवरी-17	हस्तान्तरण की प्रक्रिया में
24	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	4,108	महाराष्ट्र सरकार	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	04-मई-17	हस्तान्तरण की प्रक्रिया में
25	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	1,001	कर्मचारी राज्य बीमा निगम	हाँ, भारत सरकार	16-मई-17	हस्तान्तरण की प्रक्रिया में
26	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	214	बृहनमुंबई महानगर पालिका	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	18-मई-17	हस्तान्तरण की प्रक्रिया में
27	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	27,375	नायर अस्पताल, एमसीजीएम	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	20-मई-17	हस्तान्तरण की प्रक्रिया में
28	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	214	बृहनमुंबई महानगर पालिका	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	22-जून-17	हस्तान्तरण की प्रक्रिया में
29	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	161	लोक कार्य विभाग	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	20-जुलाई-17	हस्तान्तरण की प्रक्रिया में
30	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	969	महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगर	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	28-अगस्त-17	हस्तान्तरण की प्रक्रिया में
31	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	880	बृहनमुंबई महानगर पालिका	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	04-सितंबर-17	हस्तान्तरण की प्रक्रिया में
32	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	29,042	बृहनमुंबई महानगर पालिका	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	19-सितंबर-17	हस्तान्तरण की प्रक्रिया में
33	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	33,914	बृहनमुंबई महानगर पालिका	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	19-सितंबर-17	हस्तान्तरण की प्रक्रिया में

34	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	7,200	महाराष्ट्र सरकार	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	22-सितंबर-17	हस्तान्तरण की प्रक्रिया में
35	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	2,21,325	मे. सहार गार्डन होटल प्रा.लि.	नहीं	03-नवंबर-17	हस्तान्तरण की प्रक्रिया में
36	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	2,305	महाराष्ट्र सरकार	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	02-दिसंबर-17	हस्तान्तरण की प्रक्रिया में
37	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	885	महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	07-दिसंबर-17	हस्तान्तरण की प्रक्रिया में
38	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	405	लोक कार्य विभाग	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	13-दिसंबर-17	हस्तान्तरण की प्रक्रिया में
39	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	626	बृहनमुंबई महानगर पालिका	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	03-अप्रैल-18	हस्तान्तरण की प्रक्रिया में
40	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	2,100	महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	21-मई-18	हस्तान्तरण की प्रक्रिया में
41	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	809	महाराष्ट्र सरकार	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	22-मई-18	हस्तान्तरण की प्रक्रिया में
42	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	373	महाराष्ट्र सरकार	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	22-मई-18	हस्तान्तरण की प्रक्रिया में
43	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	1,636	महाराष्ट्र सरकार	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	29-अगस्त-18	हस्तान्तरण की प्रक्रिया में
44	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	183	मुंबई गृहनिर्माण और क्षेत्रविकास प्राधिकरण	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	16-अक्तूबर-18	हस्तान्तरण की प्रक्रिया में
45	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	66	नियंत्रक और लेखा परीक्षक, भारत सरकार	हाँ, भारत सरकार	31-जनवरी-19	हस्तान्तरण की प्रक्रिया में
46	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	11,54,17,641	बृहनमुंबई महानगर पालिका	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	31-जुलाई-19	हस्तान्तरण की प्रक्रिया में
47	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	12,79,352	आयेशा बाई खान	नहीं	03-फरवरी-21	हस्तान्तरण की प्रक्रिया में
48	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	1,19,72,042	परेरा और अन्य (मरोल)	नहीं	31-मार्च-21	हस्तान्तरण की प्रक्रिया में
49	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	72,22,500	नेशनल इन्श्योरेन्स	नहीं	31-मार्च-21	हस्तान्तरण की प्रक्रिया में
50	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	57,78,000	रविन्द्र मेंशन	नहीं	02-अगस्त-21	हस्तान्तरण की प्रक्रिया में
51	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	2,53,65,780	ग्लैक्सो स्मिथ लाईन फार्मास्यूटिकल लि.	नहीं	01-नवंबर-21	हस्तान्तरण की प्रक्रिया में
	कुल	**17,71,04,771**				

* चूंकि कुछ आंकड़े नाममात्र की राशि के हैं, पूर्ण आंकड़े बताए गए हैं।

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड 31 मार्च 2022 तक का तुलन पत्र

(रुपए लाख में)

विवरण	नोट	31 मार्च, 2022 तक	मार्च 31, 2021 तक
ए. आस्तियां			
गैर-चालू आस्तियां			
क) सम्पत्ति संयंत्र और उपकरण	2(क)	47,420.76	47,440.51
ख) पूंजी कार्य प्रगति पर	3(क)	1,964,170.37	1,603,311.56
ग) उपयोग का अधिकार आस्तियां	4	4,561.17	4,148.33
घ) अन्य अमूर्त आस्तियां	2(ख)	73.36	147.83
च) विकास के क्रम में अमूर्त आस्तियां	3(ख)	667.42	357.23
छ) वित्तीय आस्तियां			
i) ऋण	5	8.34	-
ii) अन्य वित्तीय आस्तियां	6	285.02	1,134.59
ज) आस्थगित कर आस्तियां (निवल)	21(क)	374.55	279.76
झ) आयकर आस्तियां (निवल)	21(च)	1,226.51	1,553.28
त) अन्य गैर-चालू आस्तियां	7	76,713.22	103,518.95
कुल गैर-चालू आस्तियां		**2,095,500.72**	**1,761,892.04**
चालू आस्तियां			
क) वित्तीय आस्तियां			
i) नकद और नकद समतुल्य	8(क)	33,205.33	28,065.50
ii) ऊपर (i) के अतिरिक्त बैंक शेष	8(ख)	2,801.09	3,131.99
iii) ऋण	5	4.11	-
iv) अन्य वित्तीय आस्तियां	6	15,920.92	22,832.69
ख) अन्य चालू आस्तियां	7	32,207.54	31,474.29
कुल चालू आस्तियां		**84,138.99**	**85,504.47**
कुल आस्तियां		**2,179,639.71**	**1,847,396.51**
बी. इक्विटी और देयता			
इक्विटी			
क) इक्विटी शेयर पूंजी	9	440,720.00	381,520.00
ख) अन्य इक्विटी	10	(9,349.30)	(7,382.64)
कुल इक्विटी		**431,370.70**	**374,137.36**
देयताएं			
गैर-चालू देयतायें			
क) वित्तीय देयतायें			
i) उधार राशि	11	1,343,234.72	1,130,984.88
ii) पट्टा देयतायें	4	2,511.27	1,248.21
iii) अन्य वित्तीय देयतायें	12	348.69	35.84
ख) अन्य गैर-चालू देयतायें	13	275,122.02	213,439.52
ग) प्रावधान	14	486.38	309.51
कुल गैर-चालू देयतायें		**1,621,703.08**	**1,346,017.96**
चालू देयतायें			
क) वित्तीय देयतायें			
i) पट्टा देयतायें	4	1,463.79	2,549.87
ii) अन्य वित्तीय देयतायें	12	118,607.72	117,670.64
ख) अन्य चालू देयतायें	13	6,076.71	6,688.26
ग) प्रावधान	14	417.71	332.42
कुल चालू देयतायें		**126,565.93**	**127,241.19**
कुल देयतायें		**1,748,269.01**	**1,473,259.15**
कुल इक्विटी और देयतायें		**2,179,639.71**	**1,847,396.51**
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	1		

संलग्न नोट 1-35 वित्तीय विवरणों का महत्वपूर्ण भाग है।

निर्दिष्ट तारीख के हमारे प्रतिवेदन के अनुसार
चंदाभॉय एंड जस्सोभॉय
सनदी लेखाकार - फर्म पंजीकरण संख्या 101647W

अंबेश ए. दवे
पार्टनर
सदस्यता संख्या 049289

स्थान: मुंबई
दिनांक: 09 अगस्त, 2022

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से हस्ताक्षर किए गए
सीआईएन : U60100MH2008SGC181770

ऋतु देब
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या: एफ6754

अबोध खंडेलवाल
निदेशक - वित्त
डीआईएन:07807394

अश्विनी भिडे
प्रबंध निदेशक अतिरिक्त प्रभार पर
डीआईएन : 02861008

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

(रुपए लाख में)

विवरण	नोट	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
आय			
प्रचालनों से राजस्व		–	–
अन्य आय	15	878.77	1,087.13
कुल आय		878.77	**1,087.13**
व्यय			
कर्मचारी सुविधाओं पर व्यय	16	1,249.27	1,058.38
वित्त लागत	17	32.75	57.17
मूल्यऱ्हास और परिशोधन व्यय	2 व 4(च)	1,020.73	997.34
अन्य व्यय	18	1,045.83	1,042.26
कुल व्यय		3,348.58	**3,155.15**
वर्ष के लिए कर पूर्व (हानि)		(2,469.81)	**(2,068.02)**
कर व्यय			
चालू कर	21(ख)	–	–
गत वर्ष	21(ख)	(431.79)	
आस्थगित कर	21(क)	(88.70)	71.46
कुल कर व्यय		(520.49)	**71.46**
वर्ष के लिए (हानि)		(1,949.32)	**(2,139.48)**
अन्य व्यापक आय			
मदें जो लाभ और हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं होंगी			
परिभाषित सुविधा योजनाओं का पुनर्मापन		(23.43)	(17.09)
उक्त से संबद्ध आयकर	21(ग)	6.09	4.44
अन्य व्यापक आय/(हानि)		(17.34)	**(12.65)**
वर्ष के लिए (हानि)		(1,966.66)	**(2,152.13)**
प्रति शेयर अर्जन-अंकित मूल्य 100 रूपये प्रति शेयर	19		
मूल (रूपये में)		(0.49)	(0.60)
डाइल्यूटेड (रूपये में)		(0.49)	(0.60)
महत्त्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	1		

आकड़े पुनःकथित हैं। नोट 29 देखें।
संलग्न नोट 1- 32 वित्तीय विवरणों का महत्वपूर्ण भाग है।

निर्दिष्ट तारीख के हमारे प्रतिवेदन के अनुसार
चंदाभॉय एंड जस्सोभॉय
सनदी लेखाकार - फर्म पंजीकरण संख्या 101647W

अंबेश ए. दवे
पार्टनर
सदस्यता संख्या 049289

स्थानः मुंबई
दिनांकः 09 अगस्त, 2022

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से हस्ताक्षर किए गए
सीआईएन : U60100MH2008SGC181770

ऋतु देब
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्याः एफ6754

अबोध खंडेलवाल
निदेशक - वित्त
डीआईएनः07807394

अश्विनी भिडे
प्रबंध निदेशक अतिरिक्त प्रभार पर
डीआईएन : 02861008

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाहों का विवरण:

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
क) प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
कर पूर्व (हानि)	(2,469.81)	(2,068.02)
मूल्य ह्रास और परिशोधन खर्च के लिए समायोजन	1,020.73	997.34
वित्त लागत	32.75	57.17
संयंत्र और उपकरण के विक्रय से (लाभ)/हानि	0.59	(0.56)
ब्याज से आय	(558.86)	(999.18)
परिभाषित सुविधा योजना का पुनर्मापन	(23.43)	(17.09)
कार्यशील पूंजी बदलाव के पूर्व परिचालन लाभ/ (हानि)	**(1,998.03)**	**(2,030.34)**
के लिए समायोजन		
अन्य वित्तीय आस्तियों में कमी/वृद्धि	(253.72)	(3,751.32)
गैर वित्तीय आस्तियों में कमी/वृद्धि	10.58	(752.37)
अन्य वित्तीय देयताओं में कमी/वृद्धि	(808.38)	821.45
गैर वित्तीय देयताओं में कमी/वृद्धि	(639.98)	2.61
प्रावधानों में कमी/वृद्धि	77.54	3.00
प्रचालनों से अर्जित नकदी	**(3,611.99)**	**(5,706.97)**
आयकर (प्रदत्त)/वसूली	**758.56**	**732.00**
परिचालन गतिविधियों (क) से निवल नकदी प्रवाह	**(2,853.43)**	**(4,974.97)**
ख) निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
सम्पत्ति संयंत्र और उपकरण तथा कार्य में लगी पूंजी का क्रय	(331,820.45)	**(329,039.04)**
सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण के विक्रय से प्राप्त आगम	1.83	**19.19**
अन्य अमूर्त आस्तियों तथा विकास के क्रम में अमूर्त आस्तियों का क्रय	(310.15)	**16.57**
मियादी जमा/निवल (विनियोग में) की परिपक्वता	1,066.15	**37,423.62**
ऋण में कमी/(वृद्धि)	(12.45)	**–**
प्राप्त ब्याज	1,663.36	**2,932.46**
उपपट्टे से विनियोग से आगम (ब्याज सहित)	270.15	**334.00**
विनियोग गतिविधियों (ख) से निवल नकदी प्रवाह	**(329,141.56)**	**(288,313.20)**
ग) वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
उधार राशि से आगम	59,200.00	40,000.00
पट्टा देयता का भुगतान (ब्याज सहित)	271,609.00	207,500.00
मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (एमआईएएल) से अंशदान	8,737.50	900.00
पट्टा देयता का भुगतान देयता (ब्याज सहित)	(2,411.68)	(3,178.15)
वित्तीय गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ग)	**337,134.82**	**245,221.85**
नकद और नकद समतुल्य में निवल वृद्धि (क+ख+ग)	**5,139.83**	**(48,066.32)**
वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में नकद और नकद समतुल्य	**28,065.50**	**76,131.82**
वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर नकद और नकद समतुल्य नोट-8(क)	**33,205.33**	**28,065.50**

नोट:

क) उपर्युक्त नकदी प्रवाह कंपनी (लेखा) नियम 2015 यथा संशोधित के अन्तर्गत अधिसूचित नकदी प्रवाह विवरण पर इंड एएस 7 में दिए गए 'अप्रत्यक्ष विधि' से तैयार किया गया है।

ख) नकद और नकद समतुल्य में निम्न शामिल होता है: **(रुपए लाख में)**

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
बैंक के पास शेष	55.33	365.50
बैंक के पास मियादी जमा जिनकी मूल परिपक्वता 3 महीने या कम हो	33,150.00	27,700.00
वर्ष के अंत में नकद या नकदी समतुल्य	**33,205.33**	**28,065.50**

ग) इंड एएस 7 के अनुसार उधारी में संचलन.

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021 को	नकदी प्रवाह	गैर नकद बदलाव	31 मार्च 2022 को
दीर्घावधि उधारी	1,130,984.88	271,609.00	(59,359.16)	1,343,234.72
कुल उधारी	**1,130,984.88**	**271,609.00**	**(59,359.16)**	**1,343,234.72**

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	नकद प्रवाह	गैर नकद बदलाव	31 मार्च 2021 को
दीर्घावधि उधारी	993,311.75	207,500.00	(69,826.87)	1,130,984.88
कुल उधारी	**993,311.75**	**207,500.00**	**(69,826.87)**	**1,130,984.88**

घ) पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां कहीं भी लागू हो, एक समूह में पुनःवर्गीकृत कर दिया गया है।

निर्दिष्ट तारीख के हमारे प्रतिवेदन के अनुसार
चंदाभॉय एंड जस्सोभॉय
सनदी लेखाकर – फर्म पंजीकरण संख्या 101647W

अंबेश ए. दवे
पार्टनर
सदस्यता संख्या 049289

स्थान: मुंबई
दिनांक: 09 अगस्त, 2022

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से हस्ताक्षर किए गए
सीआईएन : U60100MH2008SGC181770

ऋतु देब
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या: एफ6754

अबोध खंडेलवाल
निदेशक – वित्त
डीआईएन:07807394

अश्विनी भिडे
प्रबंध निदेशक अतिरिक्त प्रभार पर
डीआईएन : 02861008

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में बदलाव का विवरण

क) इक्विटी शेयर पूंजी **(रुपए लाख में)**

विवरण	राशि
31 मार्च 2020 को शेष	321,520.00
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में बदलाव	60,000.00
31 मार्च 2021 को शेष	381,520.00
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में बदलाव	59,200.00
31 मार्च 2022 को शेष	440,720.00

ख) अन्य इक्विटी **(रुपए लाख में)**

विवरण	शेयर आवेदन मुद्रा लंबित आबंटन	रिजर्व और अधिशेष – प्रतिधारित कमाई	कुल अन्य इक्विटी
31 मार्च, 2020 को शेष	**20,000.00**	**(5,230.51)**	**14,769.49**
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	-	(2,139.48)	(2,139.48)
अन्य व्यापक आय (कर का निवल)	-	(12.65)	(12.65)
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	**-**	**(2,152.13)**	**(2,152.13)**
इक्विटी शेयरों के निर्गम से मुद्रा प्राप्त	(20,000.00)	-	(20,000.00)
31 मार्च, 2021 को शेष	**-**	**(7,382.64)**	**(7,382.64)**
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	-	(1,949.32)	**(1,949.32)**
अन्य व्यापक आय (कर का निवल)	-	(17.34)	**(17.34)**
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	**-**	**(1,966.66)**	**(1,966.66)**
31 मार्च 2022 को शेष	**-**	**(9,349.30)**	**(9,349.30)**

नोट:- प्रतिधारित आय में शेष समय के साथ जमा हुए लाभ/(हानि) को दर्शाता है। इसके अलावा, कंपनी को वर्ष के दौरान कोई प्रतिभूति प्रीमियम प्राप्त नहीं हुआ है।

संलग्न नोट 1-35 वित्तीय विवरणों का महत्वपूर्ण भाग है।

निर्दिष्ट तारीख के हमारे प्रतिवेदन के अनुसार
चंदाभॉय एंड जस्सोभॉय
सनदी लेखाकर - फर्म पंजीकरण संख्या 101647W

अंबेश ए. दवे
पार्टनर
सदस्यता संख्या 049289

स्थान: मुंबई
दिनांक: 09 अगस्त, 2022

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से
सीआईएन : U60100MH2008SGC181770

ऋतु देब
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या: एफ6754

अबोध खंडेलवाल
निदेशक - वित्त
डीआईएन:07807394

अश्विनी भिडे
प्रबंध निदेशक अतिरिक्त प्रभार पर
डीआईएन : 02861008

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

वित्तीय विवरणों के एक भाग के रूप में टिप्पणियां

कॉर्पोरेट सूचना

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन कंपनी लिमिटेड (कंपनी या एमएमआरसीएल) सीआईएन U60100MH20085GC181770 को भारत में लागू कंपनी अधिनियम, के प्रावधानों के अंतर्गत निर्मित किया गया था। यह कंपनी 50:50 आधार पर भारत सरकार (जी.ओ.आई.) और महाराष्ट्र सरकार (जी.ओ.एम.) की एक संयुक्त इकाई है। इस कंपनी का मुख्य उद्देश्य मेट्रो प्रणाली को 500 मीटर से 1 किलोमीटर की पहुंच के बीच लाना तथा वैसे लोगों के लिए एक रेल आधारित शीघ्र पारगमन सुविधा प्रदान करना है, जो उन स्थानों पर रहते हैं जो मुंबई उपनगरीय रेल प्रणाली से जुड़े हुए नहीं हैं।

कंपनी का मुख्यालय मुंबई में है।

31 मार्च, 2022 से समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण 09 अगस्त, 2022 को निदेशक मंडल द्वारा जारी करने के लिए प्राधिकृत और अनुमोदित है।

1. महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

1.1 वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

कंपनी के इन वित्तीय विवरणों को भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 जिसे भारत में आम तौर पर स्वीकार्य अन्य लेखाकरण सिद्धांतों तथा अधिनियम के अन्य यथा संशोधित संबंधित प्रावधान जिसे कंपनियों (भारतीय लेखा करण मानक) नियम 2015 के नियम 3 के साथ पढ़ा जाता है, से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का अनुपालन करते हुए तैयार किया गया है। आगे, कंपनी द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया (आई.सी.ए.आई.) द्वारा जारी मार्गदर्शी टिप्पणियों/ घोषणाओं जहां कहीं लागू हो, को स्वीकार किया गया है। कंपनी में दी गई अवधि के दौरान लेखाकरण नीतियों का एक समान रूप से पालन किया है।

1.2 मापन का आधार

वित्तीय विवरणों को उन कतिपय वित्तीय प्रपत्रों तथा आस्तियों को छोड़कर जिन्हें इंड एएस के अनुसार उचित मूल्य पर मापा जाता है, लेखाकरण के प्रतिवेदन और मौजूदा मामले के आधार पर ऐतिहासिक लागत कन्वेंशन के अंतर्गत तैयार किया गया है।

1.3 आकलनों और प्रबंधन के निर्णयों का उपयोग

इंड एएस की अनुरूपता के अनुसार वित्तीय विवरण को तैयार करने में प्रबंधन के लिए यह जरूरी होता है कि वह प्रतिवेदन के तारीख पर राजस्व और खर्चे, आस्ति और देयता तथा प्रासंगिक देयता के प्रकटन से प्रतिवेदित राशि को प्रभावित करनेवाले आकलन और पूर्व धारणाओं पर निर्णय दे। प्रबंधन यह मानता है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में दिया गया आकलन विवेकपूर्ण और उपयुक्त है। भविष्य की घटनाओं से अपेक्षाओं जिन्हें उपयुक्त माना जाता है, सहित ऐतिहासिक अनुभव और अन्य घटकों के आधार पर आकलन और निर्णय का नियमित मूल्यांकन किया गया है। लेखाकरण आकलनों में संशोधन भविष्यलक्षी प्रभाव से मान्य किए जाते हैं। लेखा करण नीतियों में लागू विवेचनात्मक निर्णय के बारे में जानकारी साथ ही, आस्तियों तथा देयताओं को वहन की जाने वाली राशियों, महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाले आंकड़ों और पूर्व धारणाओं को निम्न टिप्पणियों में शामिल किया गया है। हालांकि इन आकलनों के बारे में अनिश्चतता के परिणामस्वरूप प्राप्त परिणामों के लिए भविष्य की अवधियों में प्रभावित होने वाली आस्ति या देयता की अग्रेणीत राशि के वास्तविक समायोजन की आवश्यकता होती है।

आकलनों एवं अंतर्निहित अवधारणाओं की समीक्षा प्रत्येक प्रतिवेदन तिथि को की जाती है। लेखाकरण आकलनों एवं अवधारणाओं में किसी भी संशोधन की मान्यता भविष्यलक्षी प्रभाव से दी जाती है यथा, जिस अवधि में आकलन में संशोधन होता है तथा भविष्यलक्षी अवधियां प्रभावित होती हैं, उसी अवधि में मान्यता दी जाती है।

1.4 चालू और गैर–चालू वर्गीकरण

इंड एएस की अनिवार्यताओं के अनुसार कंपनी चालू/गैर–चालू वर्गीकरण के अनुसार तुलन पत्र में आस्तियों और देयताओं को वित्तीय विवरणों पर 'प्रस्तुति' के अंतर्गत प्रस्तुत करती है।

आस्थगित कर आस्तियों तथा देयताओं को गैर–चालू आस्तियों तथा देयताओं में वर्गीकृत किया गया है।

सार्वजनिक अवसंरचना, परियोजनाओं के निर्माण से संबंधित प्रचालनों के संबंध में कंपनी का सामान्य प्रचालन चक्र, परियोजना के आकार, विकास के प्रकार, परियोजना की जटिलताओं तथा संबंधित अनुमोदनों के आधार पर परियोजना–दर–परियोजना अलग–अलग हो सकता है। सभी पूरी हो चुकी परियोजनाओं के लिए प्रचालन चक्र तथा प्रचालन व्यवसाय 12 महीनों की अवधि पर आधारित होता है। आस्तियों और देयताओं को उनके संबंधित प्रचालन चक्र के आधार पर चालू और गैर–चालू में वर्गीकृत किया गया है।

1.5 कार्यमूलक और प्रस्तुति मुद्रा

इन वित्तीय विवरणों को भारतीय रुपयों में तैयार किया गया है जो कि कंपनी की कार्यमूलक मुद्रा है तथा अन्य सभी मूल्यों को सिर्फ (अन्यथा निर्दिष्ट को छोड़कर) नजदीकी 'लाख' में पूर्णांकित किया गया है।

1.6 सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण

पहचान और प्राथमिक मापन

- सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण के बारे में जानकारी अर्जन-निर्माण की लागत घटाव संचित मूल्य, ह्रास/परिशोधन और क्षति, यदि कोई हो, के अनुसार दी जाती है। लागत में क्रय मूल्य तथा आस्ति को उसके वर्तमान स्थान तक लाने में आरोपित और आबंटन योग्य लागत तथा उसे निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए चालू करने की स्थिति तक से जुड़ी लागत शामिल होती है। लागत में प्रत्यक्ष लागत तथा अन्य संबंधित प्रासंगिक खर्चे भी शामिल होते हैं। आस्तियों के परीक्षण हेतु चलाए जाने के दौरान अर्जित राजस्व, यदि कोई हो, को आस्ति की लागत के समक्ष समायोजित किया जाता है। लागत में संयंत्र के पुर्जे और उपकरण के प्रतिस्थापित करने की लागत भी शामिल होती है। पीपीई के उपार्जन/निर्माण/विकास से संबंधित उधारी राशि लागत जिसके निर्दिष्ट उपयोग के लिए प्रारंभ होने में पर्याप्त समय लगता है, को अवधि तक विस्तार में शामिल कर लिया जाता है, जब तक ऐसी आस्तियां निर्दिष्ट उपयोग के लिए तैयार नहीं हो जातीं।
- संयंत्र, सम्पत्ति और उपकरण जो तुलन पत्र की तारीख तक निर्दिष्ट उपयोग के लिए तैयार नहीं हो पाते, को कार्यशील पूंजी के रूप में प्रकट किया जाता है।
- जमा कार्य/संविदाओं के पूरा होने पर इन्हें निष्पादन एजेंसियों से प्राप्त लेखा विवरण के आधार पर और इसके अभाव में निष्पादित कार्य के तकनीकी आकलन के आधार पर पूंजीकृत किया जाता है। लागत में निर्दिष्ट उपयोग के लिए तैयार हो जाने की तारीख तक चल, अचल आस्तियों के अर्जन से आरोपित उधारी राशि पर ब्याज तथा स्थल पर मद, यदि कोई हो, को विखंडित करने, हटाने तथा पुनः स्थापित करने में आई प्राथमिक लागत तथा मद नाम से संबंधित कोई छूट और प्रासंगिक निवल खर्चे शामिल होते हैं।
- ऐसे मामले में, जहां आस्ति निर्दिष्ट उपयोग के लिए तैयार होती है परंतु ठेकेदार के अंतिम बिल का भुगतान बाकी होता है, पूंजीकरण अंतिम आधार पर अंतिम निपटान के वर्ष में आवश्यक समायोजन के अधीन किया जाता है।

अनुवर्ती मापन (मूल्यह्रास और उपयोग में बने रहने की अवधि)

- मूल्यह्रास नीचे दी गई तालिका को छोड़कर कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II भाग-ग के अंतर्गत विहित अनुमानित उपयोग की अवधि पर तथा उनके अवशिष्ट मूल्य के निवल उनके लागत का आबंटन करने के लिए स्ट्रेटलाइन (स्पष्ट) तरीके से प्रदान किया जाता है।

आस्तियों के नाम	जीवन अवधि	विचार किए गए मदों की प्रकृति
भवन	5 वर्ष	ट्रांजिट कार्यालय भवन, सोलर संयंत्र
कम्प्यूटर और जुड़े उपकरण	3 वर्ष	सर्वर और नेटवर्क उपकरण
फर्नीचर और फिक्सचर	5 वर्ष	वर्कस्टेशन, सोफा
कार्यालय उपकरण	3 वर्ष	यूपीएस, मोबाइल, कैमरा आदि

जहां उपयोग में आने वाली जीवन अवधि अनुसूची II में विहित से अलग होती हैं वहां वे आंतरिक तकनीकी मूल्यांकन पर आधारित होती है। आकलित उपयोग में आने वाली जीवन अवधि, अवशिष्ट मूल्य तथा मूल्यह्रास तरीकों की समीक्षा प्रबंधन द्वारा प्रत्येक प्रतिवेदन तारीख पर की जाती है और उपयुक्त होने पर उन्हें समायोजित किया जाता है।

- सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण का अवशिष्ट मूल्य उपयोग में आनेवाली जीवन अवधि तथा मूल्यह्रास के तरीके की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर की जाती है तथा उसके उपयुक्त होने पर उसे समायोजित कर लिया जाता है।
- पट्टाकृत भूमि में सुधारों को अवधि तथा उपयोग की शर्तों के आधार पर परिशोधित कर लिया जाता है।
- जिन आस्तियों की लागत एकल आधार पर रु. 5000 से कम होती है उन्हें क्रय वर्ष में पूरी तरह मूल्यह्रासित/परिशोधित कर दिया जाता है।
- मूल्यह्रास की गणना यथानुपात आधार पर की जाती है।
- विभिन्न जीवन उपयोग अवधि वाले महत्वपूर्ण घटकों का लेखाकरण अलग से किया जाता है और तदनुसार उनका मूल्यह्रास भी तय किया जाता है।

अस्वीकरण

- सेवानिवृत्ति या सम्पत्ति के निपटान, संयंत्र और उपकरण से उपगत लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

भूमि

विभिन्न सरकारी निकायों और विभागों सहित भूमि स्वामियों द्वारा भूमि के टुकड़ों को सौंपने तथा कंपनी द्वारा उनके

अधिग्रहण और उसका कब्जा लेने या भुगतान करते समय जो भी पहले हो, उसकी पहचान की जाती है।

बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति, यदि कोई हो, को भुगतान के नियत होते ही बुक कर दिया जाता है।

पुनःस्थापना और पुनर्वसन की लागत को भूमि की लागत में जोड़ दिया जाता है।

अधिग्रहण में पट्टाकृत भूमि सहित भूमि की लागत या क्षतिपूर्ति से संबंधित बाध्यता के तदनुरूप प्रभाव/के क्रम में किए गए अनंतिम भुगतान, संरचना के अर्जन की लागत घटाव ऐसी ध्वस्त की गई संरचनाओं से प्राप्त विक्रय आगम को भूमि या पट्टाकृत भूमि की लागत समझा जाता है।

अनंतिम रूप से किए गए भुगतान स्थाई आधार पर अर्जित भूमि के संबंध में बाध्यता के तदनुरूप प्रभाव को भूमि के अधिग्रहण अवधि पर परिशोधित किया जाता है।

सरकारी भूमि:

राज्य सरकार के विभिन्न निकायों विभागों से मुफ्त में प्राप्त/अर्जित भूमि के टुकड़े, जिसका नियंत्रण/स्वामित्व कंपनी के पास रहता है, को नाममात्र मूल्य पर स्वीकार किया जाता है।

अन्य भूमि जिसमें निज़ी पक्ष सम्मिलित हैं

परियोजना के निष्पादन के लिए आवश्यक भूमि के टुकड़े, जिन्हें सरेखण के दौरान पहचाना और उनका अन्य एजेंसियों, निजी संस्थाओं से अधिग्रहण किया गया हो, का लेखाकरण अधिग्रहण लागत पर किया जाता है।

1.7 अमूर्त आस्तियां

मान्यता और प्राथमिक मापन

- अलग से अर्जित की गई अमूर्त आस्तियों को प्राथमिक स्तर पर लागत पर मापा जाता है। तत्पश्चात अमूर्त आस्तियों को लागत घटाव संचयी परिशोधन और संचयी क्षति/हानियां, यदि कोई हो, पर वहन किया जाता है।

- लागत में अर्जन मूल्य, विकास लागत तथा निर्दिष्ट उपयोग के लिए आस्ति को कार्य करने की स्थिति में लाने में हुआ आरोपित/नियतनीय प्रासंगिक खर्च शामिल होता है।

- भूमि के अस्थाई उपयोग का अमूर्त आस्ति अनुमति के रूप में लेखाकरण किया जाता है। इन अधिकारों का

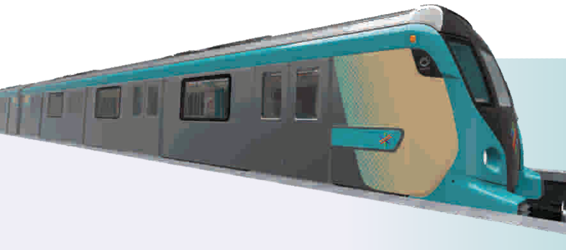

परिकलन नाममात्र मूल्य पर किया जाता है।

- अनुवर्ती खर्च को तभी पूंजीकृत किया जाता है, जब इस बात की संभावना हो कि खर्च से संबंधित भविष्य में होने वाले आर्थिक लाभ का प्रवाह कंपनी को होगा।
- विकास के अंतर्गत आस्ति पर उप गत लागत को विकास के अंतर्गत अमूर्त आस्ति के रूप में प्रकट किया जाता है तथा इसका मूल्य ह्रास तब तक नहीं होगा जब तक आस्ति उपयोग के लिए तैयार नहीं हो जाती।

परिशोधन

निश्चित जीवन अवधि वाले सभी अमूर्त आस्तियों का आकलन जीवन अवधि पर परिशोधन स्ट्रेट लाइन आधार पर किया जाता है। सॉफ्टवेयर सहित अमूर्त आस्तियां जो संबंधित हार्डवेयर का महत्वपूर्ण भाग नहीं होतीं, का परिशोधन उपयोग करने के अधिकार की विधिक अवधि या 5 वर्ष, जो भी कम हो, पर स्ट्रेट लाइन पद्धति से किया जाता है।

यदि उपयुक्त हो तो अमूर्त आस्तियों के अवशिष्ट मूल्यों, उपयोग में बने रहने की अवधि तथा परिशोधन की विधि की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर की जाती है एवं भविष्यलक्षी समायोजन किया जाता है।

1.8 चालू पूंजीगत कार्य

प्रगति में कार्यरत पूंजी को लागत, घटाव, क्षति/हानियां, यदि कोई हो, के रूप में स्पष्ट किया जाता है। लागत में निर्माण से संबंधित सभी प्रत्यक्ष तथा आरोपित अप्रत्यक्ष खर्च (हर एक पीपीई को अर्जित करने या निर्मित करने के लिए ली गई उधार राशि से संबंधित निधि से जुड़ी वित्तीय लागत सहित) जो कंपनी की परियोजना के कार्यान्वयन की अवधि के दौरान उपगत होते हैं, शामिल होते हैं। ऐसे खर्च को प्रगति पर कार्यरत पूंजी तब तक समझा जाता है, जब तक कि निर्धारित परियोजना फेज़ पूरा नहीं हो जाता और उसके बाद उसे पहचाने जाने योग्य पीपीई को हस्तांतरित/ आबंटित कर दिया जाता है। पूंजीकृत किए जाने से पहले ऐसी पूंजी परियोजना से अर्जित राजस्व, यदि कोई हो, को कार्यरत पूंजी के मूल्य के समक्ष समायोजित किया जाता है। परिनिर्धारित क्षतियों का लेखाकरण अंतिम बिल के निपटान पर किया जाता है। दावों सहित मूल्य परिवर्तनों का लेखाकरण स्वीकृति के पश्चात किया जाता है। प्रशासनिक और सामान्य ऊपरी प्रभार जो परियोजना के तकनीकी भाग से प्रत्यक्ष रूप से आरोपित होते हैं, को कुल सीडब्ल्यूआइपी के एक भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है।

जेआईसीए से ब्याज वाले ऋण के समक्ष पास थ्रू असिस्टेंस (पीटीए) पर अर्जित ब्याज तथा ठेकेदारों को उपलब्ध कराए गए ब्याज वाले अग्रिम आदि जो परियोजना से जुड़े होते हैं को सीडब्ल्यूआइपी के अंतर्गत निर्माण के दौरान

ब्याज (आईडीसी) के रूप में समायोजित किया जाता है।

निर्माण के दौरान ब्याज का आबंटन

वर्ष के दौरान कमीशन किए गए अमूर्त आस्तियों के संबंध में निर्माण अवधि के दौरान ब्याज (आईडीसी) को उस अनुपात में आबंटित किया जाता है जिसमें कमीशन की गई आस्ति का मूल्य कमीशन किए गए माह के अंत में अहर्त कार्यरत पूंजी को वहन करता है।

1.9 संपत्ति–सूची और पुर्जे

पुर्जे जिनकी प्रत्येक मामले में उपयोग जीवन अवधि 1 वर्ष से अधिक और मूल्य 10 लाख रूपए या अधिक होता है, को संबंधित शीर्ष के अंतर्गत अलग से पूंजीकृत किया जाता है।

संपत्ति–सूची जिसमें फुटकर औजार सम्मिलित हैं, का मूल्यांकन भारित औसत आधार तथा निवल प्राप्ति मूल्य में जो निम्न हो, पर किया जाता है।

1.10 गैर–वित्तीय आस्तियों की क्षति

गैर–वित्तीय आस्तियों की वहन राशियों की समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर की जाती है ताकि इस तथ्य का आकलन किया जा सके कि क्या किसी आंतरिक/बाहरी घटकों के आधार पर क्षति का संकेत नजर आता है। ऐसे आकलन पर क्षति, हानि की पहचान तब होगी जब किसी आस्ति की वह राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक होती है। आस्ति की वसूली योग्य राशि, निवल विक्रय मूल्य या उपयोग मूल्य जो भी अधिक हो, होगी। जब उपयोग मूल्य का आकलन किया जाता है तो अनुमानित भविष्य नकदी प्रवाह को भारित औसत पूंजी लागत का उपयोग करते हुए वर्तमान मूल्य पर बट्टाकृत किया जाता है।

पूर्व में पहचानी गई क्षति; हानि की परिस्थितियों में बदलाव उस विस्तार तक उस राशि से अधिक नहीं होगा यदि यह निर्धारित कर लिया जाता है कि पूर्व में किसी क्षति, हानि की पहचान की गई है, को आगे उपबंधित या उत्क्रमित नहीं किया जाता है।

1.11 विदेशी मुद्रा

प्राथमिक पहचान

विदेशी मुद्रा लेनदेन को लेनदेन की तारीख पर कार्यमूलक मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच के विनिमय दर तथा विदेशी

मुद्रा राशि पर कार्यमूलक राशि (भारतीय रुपए) को लागू करते हुए अभिलिखित किया जाता है।

बदलाव

वर्ष अंत पर बकाया सभी मौद्रिक मदों, जो विदेशी मुद्रा में होती हैं, को प्रतिवेदन की तारीख पर विनिमय दर से बदल दिया जाता है।

गैर मौद्रिक मदें, जिन्हें ऐतिहासिक लागत मदों के रूप में विदेशी मुद्रा में मापा जाता है, लेन-देन की तारीख पर विनिमय दर का उपयोग करते हुए, प्रतिवेदित की जाती है, तथा गैर-मौद्रिक मदें जो उचित मूल्य या विदेशी मुद्रा में अन्य वैसा ही मूल्यांकन धारित करती हैं, मूल्य निर्धारण पर विद्यमान दरों का उपयोग करते हुए प्रतिवेदित की जाती है।

विनिमय अंतर

ऐसे बदलाव तथा लेनदेन के निपटान पर उपगत विनिमय अंतर को आस्तियों के निर्दिष्ट उद्देश्य हेतु तैयार होने तक पूंजीकृत कर लिया जाता है तथा इसके पश्चात उसे लाभ और हानि के विवरण में दर्शाया जाता है।

1.12 राजस्व की पहचान

राजस्व

इंड एएस 115 (ग्राहकों के साथ संविदा से प्राप्त राजस्व) के अनुसार ग्राहकों के साथ संविदा से प्राप्त राजस्व को एक राशि पर जो उस प्रतिफल को दर्शाता है जिस पर कंपनी से ऐसी वस्तुएं या सेवाओं के विनिमय हेतु पात्रता अपेक्षित होती है, ग्राहकों को वचनबद्ध वस्तुओं, सेवाओं के नियंत्रण के हस्तांतरण के रूप में दर्शाया जाता है। निष्पादन बाध्यता की संतुष्टि से राजस्व को निष्पादन बाध्यता को आबंटित परिवर्ती प्रतिफल के निवल विनिमय मूल्य की राशि पर मापा जाता है। भेजी गई वस्तुओं और दी गई सेवाओं का विनिमय मूल्य संविदा के एक भाग के रूप में कंपनी द्वारा दी गई योजनाओं और विभिन्न छूटों के कारण परिवर्ती प्रतिफल के निवल होता है। परिवर्ती प्रतिफल का आकलन प्रवाह के अपेक्षित मूल्य पर आधारित होता है। राजस्व परिवर्ती प्रतिफल के निवल को मान्यता उसी विस्तार तक मिलती है जब इस बात की पूरी संभावना हो कि यह राशि महत्वपूर्ण उत्क्रम के अधीन नहीं होगी जब इसकी मान्यता से जुड़ी अनिश्चितता विलोपित हो जाती है।

नियत मूल्य संविदा के अंतर्गत राजस्व की पहचान प्रतिशत पूर्णता तरीके का उपयोग करते हुए कुल लागत तथा आनुपातिक मार्जिन को जोड़ते हुए की जाती है। पूर्णता के प्रतिशत का निर्धारण उक्त तारीख पर कुल अनुमानित

संविदा लागत में आनुपातिक उपगत लागत के निर्धारण से किया जाता है। राजस्व की पहचान ग्राहकों को सेवाओं के हस्तांतरण के बाद उस राशि से होती है जो उस प्रतिफल को दर्शाता है जिसकी अपेक्षा इन सेवाओं के बदले हमें प्राप्त करनी होती है।

अन्य गैर–प्रचालन आय

किराया आय से होने वाली आय, यदि कोई हो, जो निर्माण कार्य के संबंध में ठेकेदारों से प्राप्त योग्य हो, उसे सी.डब्ल्यू.आइ.पी. से कम कर दिया जाता है।

अन्य गैर परिचालन आय को समाशोधन आधार पर प्रतिवेदित किया जाता है।

ब्याज आय

कंपनी के इक्विटी अंशदान से उपलब्ध निधि के मियादी जमा से हुई ब्याज आय को लाभ हानि के विवरण में उसके प्रोद्भूत होने के अनुसार दर्शाया जाता है।

ठेकेदारों से प्राप्त योग्य ब्याज को लाभ हानि के विवरण में आय के रूप में प्रोद्भूत आधार पर दर्शाया जाता है बशर्ते इसके समाशोधन में कोई अनिश्चितता नहीं हो।

1.13 उधार–राशि लागत

उधार–राशि जो एक अर्हक आस्ति के अधिग्रहण निर्माण और प्रस्तुति से सीधे जुड़ी होती है, को उस समय के दौरान पूंजीकृत किया जाता है जिस दौरान आस्ति को निर्दिष्ट उपयोग या विक्रय के लिए पूरा किया जाना होता है।

अर्हक आस्तियां वह आस्तियां होती हैं जिनके निर्दिष्ट उपयोग या विक्रय के लिए तैयार होने में पर्याप्त समय लगता है। अर्हक आस्तियों पर लंबित विशिष्ट उधारी–राशि के स्थाई निवेश से औसत अर्जित निवेश आय पूंजीकृत होने के लिए पात्र उधारी लागत से काट ली जाती है। अन्य उधारी लागत को उस अवधि में खर्च किया जाता है जिसमें वह उपगत होती हैं।

1.14 कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के पश्चात लाभ

परिभाषित अंशदान योजना

कर्मचारियों की भविष्य निधि और पेंशन निधि में अंशदान के रूप में सेवानिवृत्ति लाभ को लाभ और हानि लेखा में प्रभारित किया जाता है।

परिभाषित लाभ योजना

उपदान परिभाषित लाभ योजना के रूप में माना जाता है।

उपदान के लिए प्रावधान की गणना प्रतिवेदन की तारीख पर बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर की जाती है इसे लाभ और हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है। बीमांकिक मूल्यांकन को प्रक्षेपित इकाई क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए परिकलित किया जाता है।

निवल परिभाषित सुविधा देयता पर निवल ब्याज रहित राशियों को छोड़कर आस्ति की अधिकृत सीमा का प्रभाव तथा बीमांकिक लाभ सहित पुनर्मापन को योजना अस्ति पर रिटर्न (निवल परिभाषित सुविधा देयता पर निवल ब्याज में शामिल राशियों को छोड़कर) को तुलन पत्र में उस अवधि में उपगत होनेवाले अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के माध्यम से प्रति धारित अर्जन के डेबिट/क्रेडिट के तदनुरूप अविलंब दर्शाया जाता है। पुनर्मापन को अनुवर्ती अवधियों में लाभ और हानि से पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाता है।

अन्य कर्मचारी सुविधाएं – अर्जित छुट्टी

छुट्टी के नगदीकरण को लाभ और हानि खाते के विवरण में जब कभी प्रोद्भूत होते हैं, एक खर्च के रूप में दर्शाया जाता है। कंपनी द्वारा देयता का निर्धारण प्रक्षेपित इकाई क्रेडिट पद्धति से तुलन पत्र की तारीख को किए गए बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। पुनर्मापन लाभ और हानियों को अन्य व्यापक आय के विवरण में दर्शाया जाता है।

प्रतिनियुक्ति पर आने वाले कर्मचारियों को नियोजन पश्चात सुविधाएं

भारत सरकार/महाराष्ट्र सरकार/अन्य सरकारी विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों से प्रतिनियुक्ति पर आनेवाले कर्मचारियों को नियोजन पश्चात सुविधाओं का भुगतान उनके निर्देशों पर उनके संबंधित संगठनों/नियोजकों को कर दिया जाता है। ऐसी देय सुविधाओं के लिए आवश्यक प्रावधान वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर आकलन कर किया जाता है।

1.15 आयकर

चालू आयकर

प्रतिवेदन की तारीख पर लागू कर दरों और कर नियमों का उपयोग करते हुए चालू आयकर की गणना अपेक्षित राशि पर कर ली जाती है तथा उसका भुगतान कराधान अधिकारियों को किया जाता है।

लाभ और हानि विवरण से अलग आने वाली मदों से संबंधित चालू आयकर को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) या इक्विटी में दर्शाया जाता है। चालू कर मदों को या तो ओसीआई में या सीधे इक्विटी में आधारभूत लेनदेन के पारस्परिक संबंध में दर्शाया जाता है।

कंपनी चालू कर आस्तियों और चालू कर देयताओं का प्रतिकरण करती है जहां उसके पास विधिक रुप से तय की गई राशि को सेट ऑफ करने का अधिकार होता है और जहां वह उसे या तो निवल आधार पर निपटाना चाहती है या आस्तियों को समायोजित करके देयता को साथ-ही-साथ निपटाना चाहती है।

आस्थगित कर

आस्थगित कर प्रतिवेदन की तारीख पर वित्तीय प्रतिवेदन के उद्देश्य से आस्तियों के कर आधार और देयताओं के बीच के स्थाई अंतर और वहन की जाने वाली राशि पर देयता पद्धति के उपयोग से निकाला जाता है।

आस्थगित कर आस्तियों को उस विस्तार तक दर्शाया जाता है कि यह संभावना होती है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके विरुद्ध कटौती योग्य अस्थाई अंतर तथा अग्रेणित कर क्रेडिट और अनुपयुक्त कर हानियों का उपयोग किया जा सकता है।

आस्थगित कर आस्तियों की वहन की जाने वाली राशि की प्रत्येक प्रतिवेदन की तारीख पर समीक्षा की जाती है तथा उस विस्तार तक घटाया जाता है कि इस बात की संभावना नहीं रहे कि पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध हो सके ताकि आस्थगित कर आस्ति का एक भाग या पूरे का उपयोग किया जा सके।

आस्थगित कर आस्तियों तथा देयताओं का प्रतिकरण कर दिया जाता है जब वे उसी कराधान प्राधिकारियों द्वारा लगाए गए आयकर से संबंधित होती हैं तथा संबंधित इकाई अपनी चालू कर आस्तियों और देयताओं को निवल आधार पर निपटाना चाहती हैं। लाभ और हानि के विवरण से बाहर दर्शाई गई मदों पर आस्थगित कर को लाभ और हानि विवरण के बाहर दर्शाया जाता है।

ऐसे आस्थगित कर मदों को या तो अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में आधारभूत लेन-देन के पारस्परिक संबंध में दर्शाया जाता है।

आस्थगित कर आस्तियों तथा देयताओं का मापन वास्तविक विधिक कर दरों का उपयोग करते हुए किया जाता है जिनका उन वर्षों में कर योग्य आय पर कर दरों को लागू करना अपेक्षित होता है/जहां अस्थाई अंतरों को प्राप्त या निपटाया जाना होता है।

1.16 पट्टा

एक पट्टेदार के रूप में कंपनी

कंपनी ने 01 अप्रैल, 2019 से प्रभावी संशोधित पूर्वव्यापी तरीके इंड एएस 116 पट्टा को अपनाया है। तदनुसार पूर्व वर्ष की जानकारी को पुनःकथित नहीं किया गया है। प्राथमिक आवेदन की तारीख पर इन मानक के प्रयोग का संचयी प्रभाव सीडब्ल्यूआइपी में दर्शाया गया है। कंपनी की पट्टा आस्तियों में मुख्य रूप से भूमि और इमारत शामिल हैं। संयुक्त पट्टा करार के अंतर्गत भूमि और इमारत का आकलन एकल रूप में किया जाता है। कंपनी यह आकलन करती है कि क्या संविदा के प्रारंभ से ही संविदा पट्टे पर है। एक संविदा पट्टे पर तब होती है यदि संविदा के अनुसार एक समय अवधि के लिए एक आस्ति के उपयोग के नियंत्रण का अधिकार प्रतिफल के लिए बदला जा सकता है। यह आकलन करने के लिए कि क्या किसी संविदा में चिन्हित आस्ति के उपयोग के नियंत्रण का अधिकार संप्रेषित है, कंपनी निम्न का आकलन करती है:

i) संविदा में किसी चिन्हित आस्ति का उपयोग शामिल है।

ii) क्या कंपनी को पट्टे की अवधि के दौरान उक्त आस्ति के उपयोग से आर्थिक लाभ है।

iii) कंपनी के पास उक्त आस्ति के उपयोग को निर्देशित करने का अधिकार है।

क्या कंपनी पट्टे के प्रारंभ होने की तारीख पर आस्ति के उपयोग का अधिकार आरओयू तथा सभी पट्टा व्यवस्थाओं के लिए समरूप पट्टा देयता को चिन्हित कर पाती है जिसमें वह पट्टेदार हो तथा सिर्फ उन पट्टों को छोड़कर जहां 12 महीनों या कम अल्पावधि पट्टा तथा निम्न मूल्य आस्तियों का पट्टा हो।

आरओयू आस्तियां प्राथमिक रूप से लागत पर दर्शाई जाती हैं जिनमें पट्टा देयता की प्राथमिक राशि सम्मिलित होती है जिसे पट्टे की प्रारंभ होने की तारीख पर या उससे पूर्व जोड़ कोई प्राथमिक प्रत्यक्ष लागत घटाव – कोई पट्टा प्रोत्साहन से समायोजित किया गया हो।

आरओयू आस्तियों को इसके अनुवर्ती लागत – संचयी मूल्यह्रास तथा क्षति, हानियां, यदि कोई हो, से मापा जाता है। आरओयू आस्तियों का आधारभूत आस्ति के उपयोगी जीवन अवधि तथा पट्टा शर्त के अल्पावधि होने पर स्ट्रेट लाइन आधार पर प्रारंभ होने की तारीख से मूल्यह्रास किया जाता है।

उपयोग का आधार आस्ति तथा पट्टा देयता को इस तरह भी समायोजित किया जाता है कि वह किसी पट्टा संशोधन या संशोधित मियादी पट्टा भुगतान को दर्शा सके।

पट्टा देयता को प्राथमिक रूप से भविष्य पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य से मापा जाता है। पट्टा भुगतानों को पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करते हुए या यदि वह उपलब्ध नहीं हो तो प्रभावी ब्याज दर (इ आई आर) का उपयोग करते हुए छूट दी जाती है। पट्टा देयता को इसके पश्चात वह राशि को बढ़ाकर पुनः मापा जाता है ताकि पट्टा देयता पर ब्याज को दर्शाया जा सके तथा वहन राशि को कम करके ताकि लिए गए पट्टा भुगतान को दर्शाया जा सके।

पट्टा देयता को कतिपय घटनाओं जैसे पट्टा शर्त में बदलाव या टैन इंडेक्स में या पट्टा भुगतान के निर्धारण के लिए उपयोग में आई दर में बदलाव के बाद पुनः मापा जाता है। आमतौर पर पुनः मापन से पट्टा आस्ति का समायोजन हो जाता है।

पूर्ण प्रतिफल भुगतान के द्वारा पट्टे पर अधिग्रहित आस्तियों के संबंध में संव्यह्यत राशि के रूप में ऐसी आस्तियों को शून्य पर सदृश देयता के साथ संव्यह्यत मूल्य पर आरओयू आस्तियों के अधीन मान्यता दी गई है।

कंपनी एक पट्टाकर्ता के रूप में

वैसे पट्टों में जहां कंपनी आस्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और लाभों का पूरा हस्तांतरण नहीं करती, वहां पट्टों को परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। परिचालन पट्टे से होने वाली किराया आय (निर्माण उद्देश्य से, अन्यथा) यदि कोई हो, को संबंधित पट्टे के शर्त पर सिर्फ उन मामलों को छोड़कर जहां बढ़ा हुआ पट्टा मूल्यवृद्धि प्रभाव को स्ट्रेट लाइन आधार पर दिखलाता है, दर्शाया जाता है, और पट्टा खर्चों को ऐसे मामलों में उक्त अवधि के लिए वास्तविक किराया के रूप में लेखाकरण किया जाता है।

वैसे पट्टों को वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब पर्याप्त रूप से स्वामित्व के सभी जोखिमों और प्रतिफलों को कंपनी से पट्टेदार को हस्तांतरित कर दिया जाता है। वित्त पट्टे के अंतर्गत पट्टेदार से देय राशि को पट्टे में कंपनी के निवल निवेश पर स्वीकार्य रूप में दर्ज किया जाता है। वित्त पट्टा आय को एक लेखाकरण अवधि में आवंटित किया जाता है ताकि उसे पट्टे के संबंध में निवल निवेश बकाया पर नियमित आविधिक रिटर्न दर के रूप में दर्शाया जा सके।

1.17प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस)

प्रति शेयर अर्जन की गणना वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा (प्रिफ्रेंस डिबेंचर और उन पर लगे करों को काटकर) इक्विटी शेयर धारकों पर आरोपित वर्ष के लिए निवल लाभ हानि को विभाजित करके की जाती है। प्रति शेयर डाइल्यूटेड अर्जन की गणना के लिए वर्ष हेतु आरोपित इक्विटी शेयर धारकों तथा वर्ष के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या को सभी डाइल्यूटिव संभाव्य इक्विटी शेयरों के प्रभावों से समायोजित किया जाता है।

1.18 नगद और नगदी समतुल्य

तुलन पत्र में नगद और नगदी समतुल्य में बैंक और हाथ में नगद, मांग, जमा, तथा अल्पावधि जमा शामिल होता है जो मूल्य में बदलाव के एक अमहत्वपूर्ण जोखिम के अधीन के होता है।

इंड एएस 7 में संशोधन के अनुसार इकाइयों को नगद प्रवाह और गैर नकद बदलाव जैसे विदेशी विनिमय लाभ या हानि या दोनों से हुए बदलावों सहित वित्तीय गतिविधियों से उपकृत उनकी देयताओं को प्रकट करना आवश्यक होता है। कंपनी ने चालू और तुलनात्मक अवधि दोनों के लिए नकद प्रवाह विवरण में जानकारी दी है।

1.19 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां

किसी प्रावधान को मान्यता तब मिलती है जब

- कंपनी के पास पूर्व घटना के परिणामत: वर्तमान बाध्यता (विधिक और प्रलक्षित) हो
- इस बात की संभावना होती है कि संसाधनों का बहिप्रवाह जो आर्थिक लाभों को प्रस्तुत करता है, के लिए आवश्यक होगा कि वह बाध्यताओं का निपटान कर सके।
- बाध्यता की राशि के लिए एक विश्वसनीय आकलन किया जा सकता है।
- जब मुद्रा के समय मूल्य का प्रभाव महत्वपूर्ण होता है और प्रावधानों पर छूट चालू पूर्व कर दर का उपयोग करते हुए दी जाती है जो जोखिम विशिष्ट देयता को जब उपयुक्त हो, दर्शाती है तब छूट देने का उपयोग किया जाता है तो समय के बीत जाने के कारण प्रावधान में वृद्धि को वित्त लागत के रूप में दर्शाया जाता है।
- संदेहपूर्ण ऋणों/अग्रिमों के लिए प्रावधान तब किया जाता है, जब उसके बकाये की अवधि के निरपेक्षतः वसूली में अनिश्चितता हो तथा उसे बट्टे खाते में तब डाल दिया जाता है जब गैर वसूली स्थापित हो जाती है।
- आकस्मिक देयता के लिए प्रकटन तब किया जाता है जब एक संभाव्य बाध्यता हो या वर्तमान बाध्यता, जो हो सकती है, लेकिन शायद नहीं है, को संसाधनों के बहिर्गमन की जरूरत होती है। आकस्मिक देयता अतिवादी मामलों में भी उपगत हो सकती है जहां संभवतः ऐसी देयता होती है जिसे दर्शाया तो नहीं जा सकता क्योंकि उसे विश्वसनीय रूप से मापा नहीं जा सकता ।
- जहां संभाव्य बाध्यता या वर्तमान बाध्यता ऐसी हो जहां संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना बहुत कम हो, तो कोई प्रावधान या प्रकटन नहीं किया जाता।
- आकस्मिक देयता का प्रकटन प्रबंधन/स्वतंत्र विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर किया जाता है।

- प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर प्रावधानों तथा आकस्मिक देयताओं की समीक्षा की जाती है तथा उसे चालू आकलन निर्णय को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है।

1.20 सहायता अनुदान

आस्तियों के सृजन के लिए पूंजी खर्च के संबंध में सरकारी प्राधिकारियों से प्राप्त सहायता को प्राथमिक रूप से आस्थगित आय के रूप में दर्शाया जाता है। इन्हें इसके पश्चात संबंधित आस्तियों के जीवन अवधि पर प्रत्येक वर्ष की आय जो उन आस्तियों के मूल्य ह्रास के आनुपातिक होती है के रूप में दर्शाया जाता है। जहां कंपनी को सरकारी प्राधिकारियों से गैर मौद्रिक सहायता प्राप्त होती है, आस्ति और सहायता को नाम मात्र मूल्य पर रिकॉर्ड किया जाता है, तथा आधारभूत आस्ति के लाभ के लिए उपभोग के तरीके तथा अपेक्षित उपयोगी जीवन अवधि पर आय विवरण पर निर्मुक्त किया जाता है।

सरकारी प्राधिकारियों (उपऋण) से बाजार ब्याज दर से कम दर पर प्राप्त हुए ब्याज मुक्त ऋण को सरकारी अनुदान समझा जाता है जिसे आगम और ऋण के उचित मूल्य जोकि व्याप्त बाजार ब्याज के अंतर पर आधारित होता है, के रूप में मापा जाता है।

1.21 खंड प्रतिवेदन

कंपनी के पास केवल एक प्रतिवेदन योग्य परिचालन खंड है जो मुंबई में मेट्रो रेल प्रणाली को विकसित कर रहा है। तदनुसार वित्तीय विवरणों में दिखने वाली राशियां कंपनी के एकल व्यवसाय खंड से संबंधित हैं।

1.22 वित्तीय प्रपत्र

किसी भी संविदा में वित्तीय प्रपत्र एक इकाई की वित्तीय आस्ति को बढ़ाता है तथा दूसरी इकाई की वित्तीय देवता का इक्विटी प्रपत्र को बढ़ाता है।

प्रभावी ब्याज दर (इआईआर) वह दर होती है जो वित्तीय आस्ति या देयता की निवल राशि को वित्तीय प्रपत्र की अपेक्षित जीवन अवधि या अल्पावधि जो पर्याप्त हो, पर आकलित भविष्य में होने वाली प्राप्तियां या भुगतान पर निश्चित रूप से छूट देती है।

1.23 वित्तीय आस्तियां

प्राथमिक मापन

वित्तीय आस्तियों की पहचान तब होती है, जब कंपनी प्रपत्र के संविदात्मक प्रावधानों का एक पक्ष बन जाती है।

वित्तीय आस्तियों को सबसे पहले उचित मूल्य में मापा जाता है। लेन-देन लागत जो प्रत्यक्ष रूप से वित्तीय आस्तियों के अधिग्रहण या निर्गम से जुड़ी होती है (लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय आस्ति से अन्यथा) को उचित मूल्य से जोड़ा या कम किया जाता है जिसे वित्तीय आस्ति के प्राथमिक पहचान पर मापा जाता है।

अनुवर्ती मापन

वित्तीय आस्तियों को इसके पश्चात निम्न में वर्गीकृत या मापा जाता है:

- प्रभावी ब्याज दर (इआईआर) पद्धति से परिशोधन लागत
- अन्य व्यापक आय (एफवीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य
- लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल)

i) परिशोधित लागत पर वित्तीय आस्तियां

प्राथमिक मापन के बाद ऐसी वित्तीय आस्तियों को प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करते हुए परिशोधन लागत पर मापा जाता है। ई आई आर परिशोधन को लाभ और हानि विवरण के अन्य आय में शामिल किया जाता है। क्षति से हानि वाली हानियों को लाभ और हानि विवरण में दर्शाया जाता है।

ii) व्यापक आय (एफवीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय आस्तियां

उचित मूल्य गतिविधियों को अन्य व्यापक आय में दर्शाया जाता है। ऋण प्रपत्र संचयी लाभ या हानि की स्वीकृति पर जो पहले यह ओसीआई में स्वीकृत होती हैं, को इक्विटी से लाभ और हानि विवरण में पुनः वर्गीकृत किया जाता है।

iii) लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय आस्तियां (एफवीटीपीएल)

कोई भी वित्तीय आस्ति जो परिशोधन लागत या एफवीओसीआई के रूप में श्रेणीबद्ध किए जाने का पात्र नहीं होती, उन्हें एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। प्राप्ति और हानियों को लाभ और हानि के विवरण में दर्शाया जाता है।

अस्वीकरण

वित्तीय आस्तियों को तब अस्वीकृत कर दिया जाता है जब वित्तीय आस्तियों से नगदी प्रकट का संविदात्मक

अधिकार समाप्त हो जाता है या हस्तांतरित हो जाता है तथा हस्तांतरण अस्वीकार होने की अहर्ता प्राप्त कर लेता है।

वित्तीय आस्तियों को तब अस्वीकृत किया जाता है जब वित्तीय आस्तियों से नकदी प्रवाह समाप्त हो जाता है या जब वित्तीय स्थिति तथा खर्च पर्याप्त जोखिमों और प्रतिफलों का हस्तांतरण हो जाता है। एक वित्तीय देयता तब अस्वीकृत होती है जब यह समाप्त, उन्मुक्त, निरस्त या खत्म हो जाती है।

1.24 वित्तीय देयताएं

सभी वित्तीय देयताओं को प्राथमिक रूप से उचित मूल्य पर और ऋण और उधारी और भुगतान के मामले में लेनदेन लागत से प्रत्यक्ष तथा निवल पर स्वीकृत किया जाता है।

ऋण और उधार राशि

प्राथमिक स्वीकृति के बाद ब्याज वाले ऋण और उधारियों को इआईआर पद्धति का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जाता है। लाभ और हानियों को लाभ या हानि में दर्शाया जाता है जब देयताओं को अस्वीकृत कर दिया जाता है जो इआईआर परिशोधन प्रक्रिया से होता है।

परिशोधन लागत की गणना किसी छूट या अर्जन पर कोई प्रीमियम और शुल्क या लागत जो इआईआर का एक भाग होता है, को ध्यान में रखते हुए की जाती है। इआईआर परिशोधन को लाभ हानि विवरण में वित्तीय लागत के रूप में शामिल किया जाता है।

अनुवर्ती मापन

सिर्फ व्यापार के लिए रखी गई और एफवीटीपीएल पर नामित वित्तीय देयताओं को छोड़कर वित्तीय देयताओं का मापन प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करते हुए परिशोधन लागत पर होता है जिन्हे आगे लाभ और हानि में दर्शाया जाता है जो प्राप्ति या हानियों के साथ उचित मूल्य पर वहन किया जाता है।

अस्वीकरण

कंपनी के तुलन पत्र से वित्तीय देयता को तब अस्वीकृत कर दिया जाता है, जब देयता के अंतर्गत बाध्यता को उन्मुक्त या निरस्त या समाप्त कर दिया जाता है। जब विद्यमान वित्तीय देयता को उसी उधारदाता के दूसरे या बिल्कुल अलग शर्तों, जो पूरी तरह से संशोधित हो, से प्रतिस्थापित किया जाता है, तो क्षेत्र, बदलाव या संशोधन को मूल देयता की अस्वीकृति तथा नई देयता की स्वीकृति माना जाता है। संबंधित वहन राशियों में आए अंतर को लाभ

और हानि के विवरण में दर्शाया जाता है।

वित्तीय प्रपत्रों का प्रतिकरण

यदि स्वीकृत राशियों के प्रतिकरण का वर्तमान में चालू कोई विधिक अधिकार हो, तथा निवल आधार पर निपटान करने का इरादा हो, ताकि आस्तियों की वसूली तथा देयताओं का निपटान साथ साथ हो सके तो वित्तीय आस्तियों तथा वित्तीय देयताओं का प्रतिकरण कर दिया जाता है, तथा निवल राशि को तुलन पत्र में प्रतिवेदित किया जाता है।

1.25 उचित मूल्य देयता मापन

उचित मूल्य वह कीमत होती है, जो मापन की तारीख पर बाजार के भागीदारों के बीच एक उचित लेन-देन में आस्ति के विक्रय से या देयता के हस्तांतरण के भुगतान से प्राप्त होती है। उचित मूल्य का मापन इस पूर्व धारणा पर आधारित होता है कि आस्ति के विक्रय के लेन-देन या देयता का हस्तांतरण, इनमें से किसी के अनुसार होता है।

- आस्ति तथा देयता के लिए मुख्य बाजार में या
- मुख्य बाजार के अभाव में आस्ति या देयता के लिए सर्वाधिक लाभकारी बाजार में

किसी आस्ति या देयता के उचित मूल्य का मापन इस पूर्वधारणा का उपयोग करते हुए किया जाता है कि बाजार के भागीदार, यह मानते हुए कि वह सही आर्थिक हित का ध्यान रख रहे हैं, आस्ति या देयता के मूल्य निर्धारण के लिए इसका उपयोग करेंगे। एक गैर वित्तीय आस्ति के उचित मूल्य मापन बाजार के भागीदार की इस योग्यता को ध्यान में रखता है कि वह आस्ति के अधिकतम और सर्वोत्तम उपयोग से अधिक लाभ को उत्पन्न करेगा या ऐसे किसी दूसरे बाजार के भागीदार को बेच देगा जो इस आस्ति का अधिकतम और सर्वोत्तम उपयोग करेगा।

कंपनी उन मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करती है, जो उन परिस्थितियों में उपयुक्त होती है तथा जिसके लिए पर्याप्त डाटा उपलब्ध होता है, ताकि संबंधित परीक्षण योग्य इनपुट को अधिकतम करते हुए उचित मूल्य को मापा जा सके।

- स्तर 1 – इनपुट समान आस्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाजार में उद्धृत मूल्य (समायोजित) होता है।
- स्तर 2 – इनपुट स्तर-1 में शामिल से अन्यथा उद्धृत मूल्य होता है जिसे प्रत्यक्ष का मूल्य या अप्रत्यक्षत: (मूल्यों से निकले) आस्ति या देयता के लिए अवलोकित किया जा सकता है।
- स्तर 3 – इनपुट अवलोकनीय बाजार डेटा गैर अवलोकनीय इनपुट पर आधारित नहीं होता। उचित मूल्य का

निर्धारण समग्र रूप से या एक भाग के रूप से मूल्यांकन मॉडल का उपयोग करते हुए किया जाता है कि ना तो यह समान प्रपत्र में अवलोकनीय चालू बाजार लेनदेन के मूल्य से समर्थित होता है ना ही यह उपलब्ध बाजार डेटा पर आधारित होता है।

उन आस्तियों और देयताओं के लिए जिन्हें वित्तीय विवरणों में पुनरावृति आधार पर दर्शाया जाता है, कंपनी यह निर्धारित करती है, कि क्या हस्तांतरण प्रत्येक प्रतिवेदन अवधि की समाप्ति पर श्रेणीबद्धत्ता के पुर्नआकलन द्वारा (निम्न स्तर के इनपुट के आधार पर जो समग्र रूप से उचित मूल्य मापन में महत्वपूर्ण होता है) पदानुक्रम के स्तरों के बीच उपगत हुआ है।

उचित मूल्य प्रकटन के उद्देश्य से कंपनी ने आस्ति और देयता की प्रकृति लक्षण तथा जोखिमों तथा पूर्व वर्णित उचित मूल्य पदानुक्रम के आधार पर आस्ति और देयता की श्रेणियों का निर्धारण किया है।

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

नोट 2: सम्पत्ति संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त आस्तियां

(क) सम्पत्ति संयंत्र और उपकरण (रूपए लाख में)

विवरण	फ्री होल्ड भूमि	इमारत	कम्प्यूटर और सहायक उपकरण	फर्नीचर और फिक्सर	वाहन	कार्यालय उपकरण	कुल योग
विवरण							
1 अप्रैल 2020 को शेष	**45,898.31**	**2,303.24**	**295.51**	**234.53**	**60.25**	**254.63**	**49,046.47**
योग	87.68	–	24.06	0.60	–	8.99	121.33
समायोजन	(29.65)	–	–	–	–	–	(29.65)
निकालना/निपटान	–	–	6.68	28.17	–	7.69	42.54
31 मार्च 2021 को शेष	**45,956.34**	**2,303.24**	**312.89**	**206.96**	**60.25**	**255.93**	**49,095.61**
योग	389.70	–	93.36	1.68	–	45.53	530.27
निकालना/निपटान	–	–	12.09	–	–	2.90	14.99
31 मार्च 2022 को शेष	**46,346.04**	**2,303.24**	**394.16**	**208.64**	**60.25**	**298.56**	**49,610.89**
संचयित मूल्यऱ्हास							
1 अप्रैल 2020 को शेष	**–**	**692.99**	**249.63**	**51.23**	**39.00**	**110.29**	**1,143.14**
वर्ष के लिए मूल्यऱ्हास	–	437.62	23.06	23.58	5.24	46.35	535.85
निकालना/निपटान	–	–	5.66	10.93	–	7.30	23.89
31 मार्च 2021 को शेष	**–**	**1,130.61**	**267.03**	**63.88**	**44.24**	**149.34**	**1,655.10**
वर्ष के लिए मूल्यऱ्हास	–	436.20	34.12	23.59	5.22	48.48	547.61
निकालना/निपटान	–	–	10.28	–	–	2.30	12.58
31 मार्च 2022 को शेष	**–**	**1,566.81**	**290.87**	**87.47**	**49.46**	**195.52**	**2,190.13**
01.04.2020 को निवल ब्लॉक	**45,898.31**	**1,610.25**	**45.88**	**183.30**	**21.25**	**144.34**	**47,903.33**
31.03.2021 को निवल ब्लॉक	**45,956.34**	**1,172.63**	**45.86**	**143.08**	**16.01**	**106.59**	**47,440.51**
31.03.2022 को निवल ब्लॉक	**46,346.04**	**736.43**	**103.29**	**121.17**	**10.79**	**103.04**	**47,420.76**

नोट-1: बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) के अन्तर्गत किसी बेनामी संपत्ति को भारित नहीं करती।

नोट-2: कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी आस्तियों का पुर्न मूल्यांकन नहीं कराया है।

नोट-3: निम्न को छोड़कर, कंपनी के स्वामित्ववाली अचल संपत्तियों का विलेख कंपनी के नाम पर है,

तुलन पत्र में संबंधित लाईन आईटम (मद)	संपत्ति के पद का विवरण	सकल मूल्य वाहक*	हम विलेख के नाम पर है	क्या हम विलेख धारक कोई प्रोमोटर, निदेशक या प्रोमोटर/निदेशक का रिश्तेदार या प्रोमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	धारित संपत्ति किये जाने की तारीख	कंपनी के नाम पर नहीं धारित होने का कारण
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	भूमि	2,478,900	महाराष्ट्र सरकार	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	22-अगस्त-14	हस्तान्तरण की प्रक्रिया में
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	भूमि	854	महाराष्ट्र सरकार	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	5-अक्टूबर-15	हस्तान्तरण की प्रक्रिया में
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	भूमि	505	महाराष्ट्र सरकार	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	10-दिसंबर-15	हस्तान्तरण की प्रक्रिया में
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	भूमि	6,477,714	पुलिस आयुक्त, मुंबई महाराष्ट्र सरकार के माध्यम से एमआईडीसी	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	20-अप्रैल-16	हस्तान्तरण की प्रक्रिया में

पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	भूमि	196	महाराष्ट्र सरकार	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	25-मई-16	हस्तान्तरण की प्रक्रिया में
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	भूमि	370	होमगार्ड और निदेशक नागरी सुरक्षा	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	14-जुलाई-16	हस्तान्तरण की प्रक्रिया में
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	भूमि	195	सीप्ज, विशेष आर्थिक जोन प्राधिकार के माध्यम से एमआईडीसी	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	28-जुलाई-16	हस्तान्तरण की प्रक्रिया में
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	भूमि	193,038	बृहनमुंबई महानगर पालिका	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	2-सितंबर-16	हस्तान्तरण की प्रक्रिया में
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	भूमि	30,000	महाराष्ट्र सरकार	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	3-सितंबर-16	हस्तान्तरण की प्रक्रिया में
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	भूमि	718	महाराष्ट्र सरकार	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	23-सितंबर-16	हस्तान्तरण की प्रक्रिया में
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	भूमि	5,030	बृहनमुंबई महानगर पालिका	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	7-दिसंबर-16	हस्तान्तरण की प्रक्रिया में
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	भूमि	61	बृहनमुंबई महानगर पालिका	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	8-दिसंबर-16	हस्तान्तरण की प्रक्रिया में
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	भूमि	430	बृहनमुंबई महानगर पालिका	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	16-दिसंबर-16	हस्तान्तरण की प्रक्रिया में
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	भूमि	2,572	बृहनमुंबई महानगर पालिका	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	24-दिसंबर-16	हस्तान्तरण की प्रक्रिया में
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	भूमि	2,302	बृहनमुंबई महानगर पालिका	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	24-दिसंबर-16	हस्तान्तरण की प्रक्रिया में
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	भूमि	151	बृहनमुंबई महानगर पालिका	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	2-जनवरी-17	हस्तान्तरण की प्रक्रिया में
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	भूमि	60	बृहनमुंबई महानगर पालिका	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	2-जनवरी-17	हस्तान्तरण की प्रक्रिया में
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	भूमि	382	बृहनमुंबई महानगर पालिका	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	2-जनवरी-17	हस्तान्तरण की प्रक्रिया में
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	भूमि	53	बृहनमुंबई महानगर पालिका	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	2-जनवरी-17	हस्तान्तरण की प्रक्रिया में
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	भूमि	66,210	बृहनमुंबई महानगर पालिका	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	18-जनवरी-17	हस्तान्तरण की प्रक्रिया में
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	भूमि	464,825	महाराष्ट्र सरकार	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	18-जनवरी-17	हस्तान्तरण की प्रक्रिया में
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	भूमि	8,853	बृहनमुंबई महानगर पालिका	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	17-फरवरी-17	हस्तान्तरण की प्रक्रिया में
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	भूमि	246	महाराष्ट्र राज्य पथ परिवहन निगम	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	23-फरवरी-17	हस्तान्तरण की प्रक्रिया में
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	भूमि	4,108	महाराष्ट्र सरकार	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	4-मई-17	हस्तान्तरण की प्रक्रिया में
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	भूमि	1,001	कर्मचारी राज्य बीमा निगम	हाँ, भारत सरकार	16-मई-17	हस्तान्तरण की प्रक्रिया में
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	भूमि	214	बृहनमुंबई महानगर पालिका	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	18-मई-17	हस्तान्तरण की प्रक्रिया में
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	भूमि	27,375	नायर अस्पताल, एमसीजीएम	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	20-मई-17	हस्तान्तरण की प्रक्रिया में
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	भूमि	214	बृहनमुंबई महानगर पालिका	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	22-जून-17	हस्तान्तरण की प्रक्रिया में
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	भूमि	161	लोक कार्य विभाग	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	20-जुलाई-17	हस्तान्तरण की प्रक्रिया में
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	भूमि	969	महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	28-अगस्त-17	हस्तान्तरण की प्रक्रिया में
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	भूमि	880	बृहनमुंबई महानगर पालिका	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	4-सितंबर-17	हस्तान्तरण की प्रक्रिया में
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	भूमि	29,042	बृहनमुंबई महानगर पालिका	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	19-सितंबर-17	हस्तान्तरण की प्रक्रिया में
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	भूमि	33,914	बृहनमुंबई महानगर पालिका	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	19-सितंबर-17	हस्तान्तरण की प्रक्रिया में
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	भूमि	7,200	महाराष्ट्र सरकार	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	22-सितंबर-17	हस्तान्तरण की प्रक्रिया में
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	भूमि	221,325	मेसर्स सहार गार्डन होटल प्रा.लि.	नहीं	3-नवंबर-17	हस्तान्तरण की प्रक्रिया में
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	भूमि	2,305	महाराष्ट्र सरकार	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	2-दिसंबर-17	हस्तान्तरण की प्रक्रिया में
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	भूमि	885	महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	7-दिसंबर-17	हस्तान्तरण की प्रक्रिया में
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	भूमि	405	लोक कार्य विभाग	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	13-दिसंबर-17	हस्तान्तरण की प्रक्रिया में
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	भूमि	626	बृहनमुंबई महानगर पालिका	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	3-अप्रैल-18	हस्तान्तरण की प्रक्रिया में
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	भूमि	2,100	महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	21-मई-18	हस्तान्तरण की प्रक्रिया में
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	भूमि	809	महाराष्ट्र सरकार	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	22-मई-18	हस्तान्तरण की प्रक्रिया में

पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	भूमि	373	महाराष्ट्र सरकार	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	22-मई-18	हस्तान्तरण की प्रक्रिया में
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	भूमि	1,636	महाराष्ट्र सरकार	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	29-अगस्त-18	हस्तान्तरण की प्रक्रिया में
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	भूमि	183	मुंबई आवास और क्षेत्र विकास प्राधिकरण	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	16-अक्टूबर-18	हस्तान्तरण की प्रक्रिया में
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	भूमि	66	नियंत्रक और लेखा परीक्षक, भारत सरकार	हाँ, भारत सरकार	31-जनवरी-19	हस्तान्तरण की प्रक्रिया में
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	भूमि	115,417,641	बृहनमुंबई महानगर पालिका	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	31-जुलाई-19	हस्तान्तरण की प्रक्रिया में
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	भूमि	1,279,352	आयेशाबाई खान	नहीं	3-फरवरी-21	हस्तान्तरण की प्रक्रिया में
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	भूमि	11,972,042	परेरा और अन्य (मरोल)	नहीं	31-मार्च-21	हस्तान्तरण की प्रक्रिया में
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	भूमि	7,222,500	नेशनल इन्श्योरन्स	नहीं	31-मार्च-21	हस्तान्तरण की प्रक्रिया में
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	भूमि	5,778,000	रविंद्र मेंशन	नहीं	2-अगस्त-21	हस्तान्तरण की प्रक्रिया में
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	भूमि	25,365,780	ग्लैक्सोस्मीथलाइन फार्मास्युटिकल लिमिटेड	नहीं	1-नवंबर-21	हस्तान्तरण की प्रक्रिया में
	कुल	**177,104,771**				

* चूंकि कुछ आंकड़े नाममात्र की राशि के हैं, पूर्ण आंकड़े बताए गए हैं।

(ख) अमूर्त आस्तियां: **(रुपए लाख में)**

निकालना/निपटान	सॉफ्टवेयर/लाइसेंस फीस और अन्य लागत	अनुमतियां – मुआवजे के साथ	अनुमतियाँ – कुल नाममात्र राशि पर	कुल
सकल ब्लॉक				
1 अप्रेल 2020 को शेष	**328.62**	**–**	**5.45**	**334.07**
योग	–	–	–	–
निकालना/निपटान	4.46	–	0.01	4.47
31 मार्च 2021 को शेष	**324.16**	**–**	**5.44**	**329.60**
योग	17.85	–	0.17	18.02
निकालना/निपटान	–	–	0.04	0.04
31 मार्च 2022 को शेष	**342.01**	**–**	**5.57**	**347.58**
संचयित मूल्य-ह्रास				
1 अप्रैल 2020 को शेष	**100.95**	**–**	**–**	**100.95**
वर्ष के लिए मूल्य-ह्रास	81.25	–	–	81.25
समायोजन	(0.43)	–	–	(0.43)
निकालना/निपटान	–	–	–	–
31 मार्च 2021 को शेष	**181.77**	**–**	**–**	**181.77**
वर्ष के लिए मूल्य-ह्रास	92.45	–	–	92.45
निकालना/निपटान	–	–	–	–
31 मार्च 2022 को शेष	**274.22**	**–**	**–**	**274.22**
01.04.2020 को निवल ब्लॉक	**227.67**	**–**	**5.45**	**233.12**
31.03.2021 को निवल ब्लॉक	**142.39**	**–**	**5.44**	**147.83**
31.03.2022 को निवल ब्लॉक	**67.79**	**–**	**5.57**	**73.36**

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

नोट 3 (ए): कार्यशील पूंजी – प्रगति पर (रुपए लाख में)

विवरण	परियोजना – मेट्रो-3		कुल योग
	मेट्रो निर्माण खर्च	आबंटन के लिए लंबित अन्य प्रासंगिक खर्च	
01 अप्रैल 2020 तक शेष	**1,118,583.42**	**127,629.74**	**1,246,213.16**
जोड़	322,633.30	47,205.96	**369,839.26**
निपटान, हस्तांतरण और समायोजन	-	(40.86)	**(40.86)**
अंशदान#	(12,700.00)	-	**(12,700.00)**
31 मार्च 2021 को शेष	**1,428,516.72**	**174,794.84**	**1,603,311.56**
01 अप्रैल 2020 को	**1,428,516.72**	**174,794.84**	**1,603,311.56**
जोड़	316,505.79	45,949.20	**362,454.99**
निपटान हस्तांतरण और समायोजन	-	(21.18)	**(21.18)**
अंशदान#	(1,575.00)	-	**(1,575.00)**
31 मार्च 2022 को शेष	**1,743,447.51**	**220,722.86**	**1,964,170.37**

समय सीमा-पूंजी कार्य प्रगति पर (रुपए लाख में)

सीडब्ल्यूआइपी	की अवधि के लिए सीडब्ल्यूआइपी में राशि				कुल
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से ज्यादा	
31 मार्च 2022 तक					
परियोजना प्रगति पर - लाइन 3	360,858.81	357,098.40	525,659.86	720,553.30	1,964,170.37
31 मार्च 2021 तक					
परियोजना प्रगति पर - लाइन 3	357,098.40	525,659.86	408,485.56	312,067.74	1,603,311.56

पूंजी कार्य प्रगति पर, परियोजना के लिए पूर्णत अनुसूची, जिनकी पूर्णता में लागत बढ गई है या समय सीमा बढ गई है।

सीडब्ल्यूआइपी	में पूरा किया जाना है			
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से ज्यादा
31 मार्च 2022 तक				
परियोजना प्रगति पर - लाइन 3	-	-	1,964,170.37	-
31 मार्च 2021 तक				
परियोजना प्रगति पर - लाइन 3	-	-	1,603,311.56	-

नोट 1: 18 सितम्बर 2020 तक आरे के समीप मेट्रो लाइन-3 के लिए कार शेड डिपो के निर्माण पर लगभग 454 करोड़ रूपये की राशि खर्च हो चुकी है। आरे कॉलनी में कार डिपो के अंदर की गतिविधियों को महाराष्ट्र सरकार के शहरी विकास विभाग के दिनांक 29 नवम्बर 2019 के पत्र के माध्यम से रोक दिया गया था। कथित विकास का मूल्यांकन किया गया तथा नये मार्ग, पहाड़ी गोरेगांव डिपो की अनुमानित

लागत 2,800 करोड़ रूपये और की गई। इसी दौरान महाराष्ट्र सरकार ने दिनांक 23 मार्च 2021 के अपने पत्र द्वारा महाराष्ट्र सरकार के मुख्य सचिव के अन्तर्गत गठित समिति की सिफारिशों का अपनी स्वीकृति दे दी जिनमें डिपो को आरे में 16 लाइन स्टैबलिंग यार्ड के साथ लाइन-3 और 6 को जोड़ते हुए, कांजूर मार्ग में ले जाने के बारे में कहा गया था, अतएव, पहाड़ी गोरेगांव में डिपो के निर्माण को स्वीकृति नहीं दी गई। कांजूर मार्ग की जमीन पर माननीय उच्च न्यायालय में मुकदमा चल रहा था और वहां निर्माण कार्य की अनुमति नहीं थी। यह कार्य एमएमआरडीए द्वारा किया जा रहा था। इसी बीच महाराष्ट्र सरकार ने दिनांक 29 अक्टूबर 2020 के अपने पत्र द्वारा विद्यमान 220 केवी (इएचटी) और 33 केवी (इएचटी) लाइन और विद्यमान 4 पायलॉन स्ट्रक्चर के पुनःस्थापन की अनुमति दे दी। महाराष्ट्र सरकार ने दिनांक 30 सितम्बर 2021 के अपने प्रेस नोट द्वारा मरोल-मरोशी के टनल में कोलाबा-सीप्ज मेट्रो के परीक्षण की अनुमति दे दी। आगे, महाराष्ट्र सरकार ने यह निदेश दिया कि यह परीक्षण बिना किसी वृक्ष को तथा आरे कार डिपो के बाहरी क्षेत्र को बिना किसी नुकसान के किया जाना चाहिए जिस पर सरकार ने स्थगन लगा दिया था। आगे, महाराष्ट्र सरकार के अनमोदन पर मरोल-मरोशी टनल में मेट्रो लाइन-3 के परीक्षण की अनुमति दी गई। यह भी तय किया गया कि चूंकि लाइन-3 में डिपो सुविधा नहीं है, इसलिए ट्रेन को लाने, उसे असेंबल करने तथा परीक्षण करने के लिए लाइन-3 के अंतिम निकासी पर 'एक अस्थाई' सुविधा केन्द्र का निर्माण किया जाएगा। यह सुविधा लाइन-3 के सरफेस इंड के पास मिली हुई होगी तथा इसे रैम्प के करीब रखने की योजना बनाई गई। यह मरोल-मरोशी रोड के बाहर डिपो के पश्चिमी क्षेत्र के समीप स्थित है। इसी बीच 21 जुलाई 2022 को महाराष्ट्र सरकार ने अपनी अधिसूचना एमआरडी-3319/पीआरए-केआरए78(पार्ट-10)युडी-7 द्वारा आरे के डिपो कार्य पर दिनांक 29 नवम्बर 2019 के पद संख्या एमआरसी-3319/पीआरए-केआरए78(पार्ट-8)युडी-7 के द्वारा लगाए गए स्वागत को हटा दिया। महाराष्ट्र सरकार ने उपर पहले खंड में संदर्भित अपने पत्र संख्या एमआरडी3319/पीआर नंबर 78(मार्च-9) यूडी-7 को भी निरस्त कर दिया। महाराष्ट्र सरकार ने अपने वर्तमान आदेश में भारत सरकार के दिनांक 17 मार्च 2022 के पत्र का संदर्भ लेते हुए डिपो और अन्य कार्यों को यथा संभव हटा दिया जाएगा। अतएव लाइन-3 के लिए अनुमत डिपो को मूल योजना के अनुसार आरे में ही रहने दिया जाएगा तथा कोशिश की जाएगी कि पर्यावरण पर कोई प्रभाव नही पड़े।

नोट-2: मुंबई मेट्रो लाइन-3 का दक्षिणी विस्तार (कफ परेड से नेवी नगर तक) उक्त संरेखण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने की प्रक्रिया में है

*वर्ष के दौरान पूंजीकृत ऋण लागत के लिए रुपये 16,621.11 लाख (पिछले वर्ष: रुपये 14,451.29 लाख) शामिल हैं [अस्थायी निवेश पर शुद्ध ब्याज आय और 1,110.90 लाख रुपये (पिछले वर्ष: 1,717.27 लाख रुपये) और 564.10 लाख रुपये (2020-21: 135.06 लाख रुपये) की राशि के अग्रिमों को स्थगित करना]। 0.01% से 1.5% P.a के बीच विशिष्ट उधार सीमा पर ब्याज दर।

अंशदान तीसरे पक्ष से निर्माण / पुनर्संरेखण की लागत के विरुद्ध वसूली के लिए है।

नोट 3(ख) : विकास के अधीन अमूर्त आस्तियां **(रुपए लाख में)**

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
वर्ष के प्रारंभ में शेष	357.23	369.33
जोड़/(घटाएं)	310.20	(12.10)
वर्ष के अंत में शेष	667.42	357.23

समय अनुसूची – विकास के अन्तर्गत अमूर्त आस्ति

(रुपए लाख में)

सीडब्ल्यूआइपी	की अवधि के लिए सीडब्ल्यूआइपी में राशि				कुल
	एक वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से ज्यादा	
31 मार्च 2022 तक					
इआरपी प्रणाली	–	–	71.96	281.89	353.85
कॉमन आस्ति प्रबंधन प्रणाली (CAMS)	313.57	–	–	–	313.57
कुलयोग	313.57	–	71.96	281.89	667.42
31 मार्च 2021 तक					
इआरपी प्रणाली	–	75.34	40.91	240.98	357.23
कॉमन आस्ति प्रबंधन प्रणाली (CAMS)	–	–	–	–	–
कुलयोग	–	75.34	40.91	240.98	357.23

विकास अमूर्त आस्तियां, जिनकी परियोजना के लिए पूर्णता के अन्तर्गत अनुसूची लागत से बढ़ गई है या समय से अधिक हो गई है।

(रुपए लाख में)

सीडब्ल्यूआइपी	में पूरा किया जाना है			
	एक वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से ज्यादा
31 मार्च 2022 तक				
इआरपी प्रणाली	353.85	–	–	–
31 मार्च 2021 तक				
इआरपी प्रणाली	357.23	–		–

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

नोट 4: उपयोग का अधिकार आस्तियां

क) उपयोग का अधिकार आस्तियों में वहन मूल्य में बदलाव (रुपए लाख में)

विवरण	आस्ति की श्रेणी		
	भूमि	इमारत	कुल योग
1 अप्रैल 2020 को शेष	2,433.31	4,304.04	6,737.35
जोड़ वर्ष के दौरान	-	265.74	265.74
हटाए गए	-	(39.95)	(39.95)
घटाएं: मूल्यह्रास / परिशोधन खर्च	(836.36)	(1,978.45)	(2,814.81)
31 मार्च 2021 को शेष	1,596.95	2,551.38	4,148.33
1 अप्रैल 2021 को शेष	1,596.95	2,551.38	4,148.33
जोड़ वर्ष के दौरान	-	2,544.72	2,544.72
हटाए गए	(43.70)	-	(43.70)
घटाएं: मूल्यह्रास / परिशोधन खर्च	(539.10)	(1,549.08)	(2,088.18)
31 मार्च 2022 को शेष	1,014.15	3,547.02	4,561.17

नोट: ऐसी कोई अचल संपत्ति पट्टे पर नहीं है जहां पट्टा विलेख कंपनी के नाम पर नहीं है।

ख) पट्टा देयताओं में संचालन (रुपए लाख में)

विवरण	आस्ति की श्रेणी		
	भूमि	इमारत	कुल योग
1 अप्रैल 2020 को शेष	1,834.35	4,563.14	6,397.49
जोड़ वर्ष के दौरान	-	264.01	264.01
हटाए गए	-	(39.95)	(39.95)
जोड़: अवधि के दौरान उपगत वित्तीय लागत	100.27	254.41	354.68
जोड़: पट्टा देयताओं का भुगतान	(964.37)	(2,213.78)	(3,178.15)
31 मार्च 2021 को शेष	970.25	2,827.83	3,798.08
1 अप्रैल 2021 को शेष	970.25	2,827.83	3,798.08
जोड़ वर्ष के दौरान	-	2,476.06	2,476.06
हटाए गए	(43.70)	-	(43.70)
जोड़: अवधि के दौरान उपगत वित्तीय लागत	13.83	142.47	156.30
जोड़: पट्टा देयताओं का भुगतान	(567.32)	(1,844.36)	(2,411.68)
31 मार्च 2022 को शेष	373.06	3,602.00	3,975.06

ग) 31 मार्च 2022 को चालू और गैर-चालू पट्टा देयताओं का विभाजन (रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
गैर-चालू पट्टा देयतायें	2,511.27	1,248.21
चालू पट्टा देयतायें	1,463.79	2,549.87
कुल योग	3,975.06	3,798.08

घ) पट्टा देयताओं की संविदागत परिपक्वता के संबंध में (रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
छूट के साथ		
1 वर्ष से कम	1,463.79	2,549.87
1 से 5 वर्ष	2,452.17	1,187.97
5 वर्ष से अधिक	59.10	60.24
कुल योग	3,975.06	3,798.08
बगैर छूट के साथ		
1 वर्ष से कम	1,669.72	2,697.91
1 से 5 वर्ष	2,793.22	1,292.12
5 वर्ष से अधिक	120.11	125.83
कुल योग	4,583.05	4,115.86

च) लाभ और हानि के विवरण में अभिज्ञात राशि (रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
उपयोग संपत्ति के अधिकार पर मूल्यह्रास	380.67	380.67
पट्टा देयताओं पर ब्याज	32.75	57.17
कम मूल्य से संबंधित व्यय (पट्टा देनदारी में मान्यता प्राप्त नहीं)	-	-
अल्पावधि पट्टों से संबंधित व्यय (पट्टा देयता में मान्यता प्राप्त नहीं)	94.65	84.31

छ) कार्यशील पूंजी में अभिज्ञात राशि (रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
उपयोग संपत्ति के अधिकार पर मूल्यह्रास	1,707.51	2,434.14
पट्टा देयताओं पर ब्याज	123.55	297.51
पट्टे में निवल निवेश पर ब्याज आय	8.12	31.62
कम मूल्य से संबंधित व्यय (लीज देनदारी में मान्यता प्राप्त नहीं)	482.85	429.72
अल्पावधि पट्टों से संबंधित व्यय (पट्टा देयता में मान्यता प्राप्त नहीं)	1,812.24	1,148.07

झ) पट्टा में निवल निवेश (रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
अवशेष	262.03	564.42
जोड़ मानक के प्राथमिक उपयोग के बाद	-	-
जोड़ : पट्टे में निवल निवेश से वित्तीय आय	8.12	31.61
घटाएं : पट्टा आय की प्राप्ति	(270.15)	(334.00)
अंतशेष	-	262.03

त) बगैर छूट वाली पट्टा प्राप्तियों का परिपक्वता विश्लेषण (रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 तक	अनर्जित वित्त आय	कुल
31 मार्च, 2022 तक			
अगले वर्ष (वित्त वर्ष 2022-23) में	-	-	-
31 मार्च, 2021 तक			
अगले वर्ष (वित्त वर्ष 2021-22) में	262.03	8.12	270.15

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

नोट 5: ऋण (रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 को		31 मार्च 2021 को	
	चालू	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू
अप्रतिभूत, अच्छा समझा जानेवाला प्रतिभूत जमा	4.11	8.34	-	-
कुल योग	4.11	8.34	-	-

(I) कंपनी ने इस समझ (लिखित में रिकार्ड की गई या अन्यथा) के साथ विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित किसी व्यक्ति(यों) या संस्था(ओं) को अग्रिम या ऋण या निधि का निवेश या उधारी निधि या शेयर प्रीमियम या कोई अन्य स्रोत या निधि का प्रकार) नहीं दिया है कि मध्यस्थ:-

क) समूह (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उनकी तरफ से किन्ही अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को जिनकी पहचान किसी भी तरीके से की गई हो, की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋण या निवेश नहीं देगा या

ख) अंतिम लाभार्थी की तरफ से कोई प्रतिभूति, सुरक्षा प्रदान नहीं करेगा या ऐसा कोई अन्य काम नहीं करेगा।

(II) कंपनी ने प्रोमोटरों, निदेशकों, केएमपी और अन्य संबंधित पक्षो को कोई ऋण, या ऋण की प्रकृति का अग्रिम नहीं दिया है जिनका पुनर्भुगतान, माँग पर, या किसी भर्ते को विनिर्दिष्ट किए वगैर या पुनर्भुगतान की अवधि के आधार पर किया जाता है।

नोट 6: अन्य वित्तीय आस्तियां (रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 को		31 मार्च 2021 को	
	चालू	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू
अप्रतिभूत, अच्छा समझा जानेवाला				
परिपक्वता से 12 महिने की अवधि से अधिक बैंक जमा	-	72.50	-	807.74
मियादी जमा पर उपगत ब्याज	16.25	6.84	23.15	2.96
विक्रेताओं से प्राप्य#	309.79	-	328.53	-
दूसरों से प्राप्य**	14,426.02	-	21,397.09	-
पट्टा प्राप्तियोग्य	-	-	262.03	-
सुरक्षा जमा	1,166.36	205.68	821.89	323.89
प्रतिभूति जमा कर्मचारियों से वसूली योग्य	2.50	-	-	-
कुल योग	15,920.92	285.02	22,832.69	1,134.59

बैंक गारंटी (बीजी) और साख पत्र (एलसी) के विरूद्ध ग्रहणाधिकार पर रखे गए बैंक जमा का प्रतिनिधित्व करता है।

**एमआइएएल द्वारा भूमिगत मेट्रो लाइन के स्टेशनों जैसे टी1, टी2 और सहार की लागत को शेयर करने के लिए 77,700 लाख रूपये के एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया है जिसमें से 56,500 लाख रूपये का लेखाकरण 31 मार्च 2022 तक कर लिया गया है। इसमें से 47,547 लाख रूपये 31.03.2022 तक तथा 1,500 लाख रूपये मई 2022 तक प्राप्त हो गये हैं। इसके बाद 21,000 लाख रूपये (77,700 लाख रूपये -56,500 लाख रूपये) की शेष राशि कार्य में होने वाली प्रगति के आधार पर एमआइएएल से क्रमबद्ध तरीके से चार्ज कर ली जाएगी।

कंपनी एमआईएएल से प्राप्त परियोजना निधियों के अंशदान को स्वीकार कर रही है। हालांकि, एमआईएएल ने कोविड-19 और अन्य कारणों से उनके सामने आ रही नकदी की कमी के कारण मोहलत देने का अनुरोध किया है। प्रबंधन एमआईएएल के साथ इस मामले को लगातार आगे बढ़ा रहा है।

सैफी फाउंडेशन द्वारा एक एमओयू मुंबई मेट्रो लाइन-3 के सरेखण बदलाव में उनके शेयर के संबंध में 900 लाख रूपये के लिए किया गया है। जिसमें से 31.03.2022 तक 875 लाख रूपये प्राप्त हो गए है तथा 25 लाख रूपये की शेष राशि मई 2022 तक प्राप्त हो गई है।

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. ने महाराष्ट्र सरकार के अनुरोध पर एक कोविड अस्पताल का निर्माण किया है जिसका उपयोग सिर्फ कोविड के रोगियों के इलाज और क्वारेन्टाइन सुविधा प्रदान करने के लिए किया जा रहा है जिसपर कंपनी ने 3776.52 लाख रूपये (जीएसटी सहित) खर्च किया है। जिसके विरूद्ध एमसीजीएम के पक्ष में कर इनवाइस जारी कर दिया गया है। प्रबंधन भुगतान के लिए नियमित रूपसे एमसीजीएम से सम्पर्क में है।

#वेंडर्स की ओर से 308.34 लाख (पूर्व वर्ष 328.49 लाख) का टीडीएस जमा कर दिया गया है। जिसमें से प्राप्य 282.16 लाख रूपये अप्रैल 2022 तक प्राप्त हो गये है।

नोट 7: अन्य चालू/गैर–चालू आस्तियां **(रुपए लाख में)**

विवरण	31 मार्च 2022 को		31 मार्च 2021 को	
	चालू	गैर–चालू	चालू	गैर–चालू
पूंजी अग्रिम				
बैंक गारंटी द्वारा प्रतिभूत, अच्छा समझा जानेवाला				
सिविल ठेकेदारों को दिया गया जुटाव अग्रिम	–	1,697.29	–	13,464.60
संयंत्र और उपकरण के लिए अग्रिम	–	983.40	–	12,668.33
सिस्टम ठेकेदारों को अग्रिम	–	63,544.09	–	68,702.94
ट्रैक को अग्रिम (सिविल ठेकेदार)	–	5,115.88	–	5,406.33
पुर्नवास एवं पुनःस्थापन ठेकेदारो को अग्रिम	–	3,490.28	–	657.66
अप्रतिभूत, अच्छा समझा जानेवाला				
सिविल ठेकेदारों को सामग्री के लिए अग्रिम	–	641.21	–	1,493.57
अन्य अग्रिम				
अप्रतिभूत, अच्छा समझा जानेवाला				
विरोध के तहत भुगतान	31,195.16	–	30,449.90	–
सरकारी प्राधिकरणों के पास बकाया	471.32	–	617.25	–
पूर्व प्रदत्त खर्चे	76.99	1,241.07	63.20	1,125.52
अनुबंध आस्तियां# (नोट 19 देखें)	439.23	–	327.53	–
कर्मचारियों को अग्रिम	24.84	–	16.41	–
कुल योग	**32,207.54**	**76,713.22**	**31,474.29**	**103,518.95**

*वर्ष के दौरान कंपनी ने वैसे वेंडरों के टैक्स इनवायस पर इनपुट कर क्रेडिट लेना प्रारंभ किया है जिनका कंपनी ने जुर्माना/एलडी आदि के कारण कुछ टैक्स इनवायस जारी किया था और कंपनी पर आउटपुट कर देयता उपगत हो गई है।

कंपनी ने आउटपुट टैक्स देनदारी की सीमा तक आईटीसी का लाभ उठाया है, केवल जब भी मिलान आईटीसी के साथ आउटपुट कर देयता पर साठगांठ हो।

नोट 8(क): नकद और नकद समतुल्य **(रुपए लाख में)**

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
बैंक के पास शेष		
चालूखातों में (नोट 8.1 देखें)	55.33	365.50
3 महीने से कम परिपक्वता वाले जमा खातों के साथ	33,150.00	27,700.00
कुल योग	**33,205.33**	**28,065.50**

फुटनोट: कंपनी ने वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में कोई कारोबार या निवेश नहीं किया।

8.1 (i) चालू खाते में शेष में आईसीआईसीआई बैंक के पास निलंब लेख में शेष शामिल है जिसकी राशि 7.16 लाख रुपए (पिछले साल 187.60 लाख रुपए है।)

(ii) निगम ने कंपनी की भविष्य की आवश्यकता के लिए क्रेडिट व्यवस्था पत्र के माध्यम से 31 मार्च, 2022 तक क्रमशः रुपये 25,000 लाख (डब्ल्यूसीडीएल) और रुपये 5,000 लाख की असुरक्षित उधार सुविधा के लिए आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक के साथ व्यवस्था की है। इसमें से एचडीएफसी बैंक के लिए रुपये 3,000 लाख की सुविधा उपयोग (क्लीन क्रेडिट) के लिए उपलब्ध है। जब उधार लेने की सुविधा का लाभ उठाने की आवश्यकता होगी तो निगम आवश्यक दस्तावेज निष्पादित करेगा। आज तक, सुविधा का उपयोग नहीं किया गया है।

8(ख): अन्य बैंक बैलेंस **(रुपए लाख में)**

विवरण	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
परिपक्वता के 3-12 महीनों के साथ जमा (नोट 8.2 देखें)	2,801.09	3,131.99
कुल योग	2,801.09	3,131.99

8.2 : 3-12 माह की परिपक्वता वाली जमाराशियों में शामिल हैं:-

(i) झोपड़पट्टी पुनर्वास प्राधिकरण (एसआरए) से परियोजना प्रभावित लोगों (पीएपी) के लिए आवंटित मकानों के रख-रखाव आदि के लिए निर्धारित राशि 332.96 लाख रुपये (पिछले वर्ष में 453.97 लाख रुपये)

(ii) बैंक गारंटी (बीजी) और लेटर ऑफ क्रेडिट (एलसी) के लिए 1 लाख रुपये की सावधि जमा ग्रहणाधिकार (पिछले वर्ष में 11.46 लाख रुपये)

(iii) पीडब्ल्यूडी मेट्रो परियोजना के लिए निर्धारित सावधि जमा रुपये है: 2318.23 लाख (पिछले वर्ष 2,666.58 लाख)।

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

नोट 9: इक्विटी शेयर पूंजी (रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
प्राधिकृत रु. 100 के 50,00,00,000 इक्विटी शेयर	500,000.00	500,000.00
	500,000.00	500,000.00
जारी अभिदत्त और पूर्णतः प्रदत्त रु.100 के 44,07,20,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2021: रु. 100 के 38,15,20,000 इक्विटी शेयर)	440,720.00	381,520.00
कुल योग	440,720.00	381,520.00

क) प्रतिवेदन अवधि के आरंभ और अंत में लेखा समाधान के लिए बकाया शेयरों की संख्या और राशि (रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 तक		31 मार्च 2021 तक	
	संख्या	रुपए लाख में	संख्या	रुपए लाख में
वर्ष के प्रारंभ में	381,520,000	381,520.00	321,520,000	321,520.00
जोड़ : वर्ष के दौरान जारी	59,200,000	59,200.00	60,000,000	60,000.00
वर्ष की समाप्ति पर बकाया	440,720,000	440,720.00	381,520,000	381,520.00

ख) इक्विटी शेयरों से जुड़ी शर्तें और अधिकार

कंपनी के पास सिर्फ एक ही श्रेणी का शेयर है जिसका मूल्य रु.100 प्रति एक शेयर है। प्रत्येक इक्विटी शेयर धारक एक वोट देने का पात्र होता है। कंपनी के दिवालिया होने पर इक्विटी शेयरधारक सभी अधिमानी राशियों के वितरण के बाद कंपनी की बची हुई आस्तियों को प्राप्त करने का पात्र होंगे। यह वितरण शेयरधारकों के पास रखे इक्विटी शेयरों के अनुपात में होगा।

ग) 5% से ज्यादा इक्विटी शेयर रखने वाले शेयरधारकों का विवरण :

शेयरधारक का नाम	31 मार्च 2022 तक		31 मार्च 2021 तक	
	शेयर रखने का%	शेयरों की संख्या	शेयर रखने का%	शेयरों की संख्या
भारत के राष्ट्रपति	50%	220,360,000	50%	190,760,000
महाराष्ट्र के राज्यपाल	50%	220,360,000	50%	190,760,000
कुल योग	100.00%	440,720,000	100.00%	381,520,000

प्रोमोटर के शेयरधारण का विवरण

प्रोमोटर का नाम	31 मार्च 2022 तक इक्विटी शेयर		अवधि के दौरान परिवर्तन %
	धारित शेयरों की संख्या	धारिता का %	
भारत के राष्ट्रपति	220,360,000	50.00%	-
महाराष्ट्र के राज्यपाल	220,360,000	50.00%	-

प्रोमोटर का नाम	31 मार्च 2022 तक इक्विटी शेयर		अवधि के दौरान परिवर्तन %
	धारित शेयरों की संख्या	धारिता का %	
भारत के राष्ट्रपति	190,760,000	50.00%	-
महाराष्ट्र के राज्यपाल	190,760,000	50.00%	-

नोट 10 : अन्य इक्विटी **(रुपए लाख में)**

विवरण	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
क) आवंटन के लिए लंबित आवेदन शेयर		
राशि/वर्ष के प्रारंभ में शेष	-	20,000.00
वर्ष के दौरान जोड़	-	(20,000.00)
वर्ष की समाप्ति पर शेष	-	-
ख) प्रतिधारित अर्जन		
वर्ष के आरंभ में	(7,382.64)	(5,230.51)
शेष जोड़ (हानि) वर्ष के लिए	(1,966.66)	(2,152.13)
वर्ष की समाप्ति पर शेष	**(9,349.30)**	**(7,382.64)**
कुल योग	**(9,349.30)**	**(7,382.64)**

नोट 11: देनदारी **(रुपए लाख में)**

विवरण	31 मार्च 2022 तक		31 मार्च 2021 तक	
	चालू	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू
अप्रतिभूत				
भारत सरकार से ऋण (अधीनस्थ ऋण) नोट 11.1 देखें	-	11,843.12	-	9,728.52
महाराष्ट्र सरकार से ऋण (अधीनस्थ ऋण) देखें नोट 11.1	-	30,657.60	-	21,651.36
पीटीए के माध्यम से(देखें नोट 11.2) जेआईसीए ऋण	-	1,300,734.00	-	1,099,605.00
कुल योग	**-**	**1,343,234.72**	**-**	**1,130,984.88**

11.1 केंद्र और राज्य दोनों सरकारों ने कंपनी को ब्याज रहित अधीनस्थ ऋण दिया है जो जेआईसीए (पीटीए) के माध्यम से प्राथमिक ऋण की चुकौती के बाद चुकाया जाना है। चूंकि सरकार से प्राप्त यह ऋण (अधीनस्थ) ब्याज रहित होता हैअतः इसे इंडएएस-109 नेकी अनिवार्यताओं के अनुसार उचित मूल्य के रूप में रिपोर्ट किया जाना है, जिसके द्वारा वित्तीय आस्तियों या वित्तीय देयताओं को उचित मूल्य पर मापा जाता है। तदनुसार ब्याज रहित ऋण को उचित मूल्य पर मापा जाता है तथा ऋण की राशि और उसके उचित मूल्य में आनेवाले अंतर को "आस्थगित सरकारी अनुदान/आस्थगित आय" के रूप में माना जाता है। इन ऋणों को इंड एएस 20 के अनुसार अनुदान माना जाता है।

11.2 जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी (जेआईसीए) कंपनी को भारत सरकार के माध्यम ग्रेस से पास थ्रू असिस्टेंस के रूप में 3 चरणों में 210.93 बिलियन जापानी येन का कुल ऋण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह जेआईसीए को 10 वर्षों की अवधि के बाद 20 वर्षों केअंदर चुकाया जाना है। ऋण की यह राशि नियामक शर्तों के अनुसार प्रतिपूर्ति प्रक्रिया के अंतर्गत भारतीय रुपयों में भारत सरकार को संवितरित की गई है।

31 मार्च 2022 तक स्वीकृत जेआईसीए ऋण विवरण इस प्रकार है :

विवरण	स्वीकृत राशि (रुपए लाख में)
पहला ट्रेंच (आईडी-पी233)	500,000
दूसरा ट्रेंच (आईडी-पी268)	581,300
तीसरा ट्रेंच (आईडी-पी281)	277,200

ब्याज की लागूदर 1.15% (ट्रेंच 3), 1.5 (ट्रेंच 2) और 1.4 (ट्रेंच 1) के लिए है, जो निर्माण कार्य और वस्तु तथा सेवाओं की खरीद पर संवितरित मूल राशि पर सामान्य परामर्श कार्य के लिए मूल राशि पर 0.01% की दर पर ली जानी है। आगे, पीटीए के माध्यम से 31 मार्च 2022 तक भारत सरकार से कुल प्रदान रू. 13,00,734 (लाख) है। (पूर्व वर्ष रू. 10,99,605 (लाख))

कंपनी ने एक करार का अनुपालन करते हुए उसे संवितरित किए गए ऋण के विस्तार तक ब्याज के संबंध में पर्याप्त प्रावधान किया है। उपगत ब्याज और सर्विस प्रभार नियंत्रक एआईडी लेखा और अंकेक्षण (सीएएए) वित्त मंत्रालय को देय हैं, भुगतान की प्रक्रिया में है, तथा समायोजन यदि कोई हो, लेखा समाधान के समय कर लिया जाएगा। भारत सरकार महाराष्ट्र सरकार के साथ किए गए एक एमओयू के अनुसार विदेशी विनिमय दर में बदलाव को भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार के बीच समान रूप से शेयर कर लिया जाएगा। जेआईसीए ऋण के पहले ट्रेंच का पुनर्भुगतान 20 सितंबर 2023 का तय है और उसके बाद अर्ध वार्षिक होगा।

11.3 कंपनी ने अपनी आस्तियों की प्रतिभूति पर कोई उधारी नहीं ली है, अतएव कंपनी अधिनियम 2013 के अन्तर्गत प्रभार के पंजीकरण की अनिवार्यता लागू नहीं है।

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

11.4 कंपनी ने इस आधार (लिखित में रिकार्ड की गई या अन्यथा) पर किसी व्यक्ति(यों) या विदेशी संस्थाओं (फंडिंग पार्टी) सहित किसी संस्था(ओं) से कोई निधि नहीं प्राप्त की है कि कंपनी

क) किसी अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को, चाहे उनकी पहचान किसी भी तरह से की गई हो या फंडिंग पार्टी (अंतिम लाभार्थी) की तरफ से प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: कोई निवेश नहीं करेगी या

ख) अंतिम लाभार्थियों की तरफ से या स्वयं द्वारा कोई प्रतिभूति या सिक्युरिटी नहीं देगी

11.5 विशिष्ट उद्देश्यों के संबंध में मियादी ऋण और उधारी जैसा कि दीर्घावधि उधारी में बताया गया है, कंपनी ने निधि का उपयोग उसी उद्देश्य से किया है जिनके लिए वह प्रदान किया गया था।

11.6 कंपनी, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी इरादतन चूककर्ताओं के मार्ग निर्देशों के अनुसार इरादतन चूककर्ता नहीं है।

11.7 कंपनी ने चालू आस्तियों की सिक्यूरिटी के आधार पर कोई ऋण या उधारी नहीं ली है।

नोट 12: अन्य वित्तीय देयताएं **(रुपए लाख में)**

विवरण	31 मार्च 2022 तक		31 मार्च 2021 तक	
	चालू	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू
क) पूंजी ऋण दाता				
सिविल ठेकेदारों को देय	42,322.34	-	49,384.69	-
प्रणाली ठेकेदारों को देय	6,439.78	-	5,594.26	-
सामान्य ठेकेदारों को देय	4,346.76	-	7,834.36	-
ट्रैक को देय (सिविल ठेकेदार)	1,041.05	-	984.35	-
परामर्शदाताओं, ठेकेदारों/वेंडरों को देय और अन्य	4,013.49	-	2,878.88	-
प्रति धारित राशि				
- सिविल ठेकेदारों पर	424.67	-	7,695.27	-
- प्रणाली ठेकेदारों पर	1,931.43	-	1,326.94	-
- अन्य ठेकेदारों पर	1,080.43	-	109.25	-
- अन्य अनुबंधों पर	2,459.98	-	2,350.70	-
संबंधित पक्ष को देय	2,196.01	-	1,884.52	-
ख) वापसी योग्य ईएमडी	13.25	-	1,316.62	-
ग) प्रतिभूति जमा (नोट 12.1 देखें)	373.68	348.69	477.31	35.84
घ) उपगत ब्याज पर जेआईसीए पीटीए पर बकाया नहीं	512.40	-	447.51	-
च) भारत सरकार-जेआईसीए से लेनदारी पर ब्याज और फ्रंट इंड शुल्क देय	51,236.06	-	35,288.83	-
छ) खर्च और अन्य भुगतान (नोट 25 देखें)	182.82	-	70.53	-
ज) लेखापरीक्षकों को देय	8.89	-	7.77	-
झ) कर्मचारी संबंधित भुगतान	24.68	-	18.85	-
कुल योग	**118,607.72**	**348.69**	**117,670.64**	**35.84**

12.1: इसमें झोपड़पट्टी पुनर्वास प्राधिकरण से प्राप्त रूपए 288.01 लाख (पिछले वर्ष रूपये 375.57 लाख) सुरक्षा राशि शामिल है।

12.2: वर्ष के दौरान कंपनी ने लाइन-3 मेट्रो परियोजना पर तैनात श्रमिकों के लिए एक कल्याणकारी उपाय के रूप में श्रम कल्याण ट्रस्ट का गठन किया है। ट्रस्ट को 55.68 लाख रुपये की राशि ट्रांसफर की गई है। (पिछले वर्ष रूपये 86.19 लाख)

12.3: संविदात्मक दायित्वों के तहत देय राशि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III की आवश्यकता के अनुरूप व्यापार देय का हिस्सा नहीं बनती है। तदनुसार व्यापार देय के लिए उम्र बढ़ने की प्रकटीकरण आवश्यकता इन संविदात्मक दायित्वों पर लागू नहीं होती है।

नोट 13: अन्य देयताएं (रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 तक		31 मार्च 2021 तक	
	चालू	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू
वैधानिक और अन्य कटौतियां	3,812.46	-	4,452.44	-
आस्थगित सरकारी अनुदान (नोट 11.1)	-	274,974.87	-	213,425.41
संविदा दायित्व (संदर्भ नोट 19)	2,232.14	-	2,232.14	-
आस्थगित सुरक्षा जमा	32.11	147.15	3.68	14.11
कुल योग	6,076.71	275,122.02	6,688.26	213,439.52

नोट 14: प्रावधान (रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 तक		31 मार्च 2021 तक	
	चालू	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू
कर्मचारी सुविधाओं के लिए प्रावधान				
उपदान राशि	122.40	-	97.52	-
अनुपस्थिति के लिए क्षतिपूर्ति	152.13	486.38	120.32	309.51
पेंशन	143.18	-	114.58	-
कुल योग	417.71	486.38	332.42	309.51

नोट 15 : अन्य आय (रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
ब्याज से आय		
-मियादी जमा पर	548.85	990.58
-आयकर वापसी पर	239.11	87.39
-कर्मचारी को ऋण पर	0.60	-
-प्राधिकृत लागत पर मापे गए लिखत प्रपत्र (इंस्ट्रूमेंट)	9.41	8.60
आस्तियों के विक्रय पर लाभ	-	0.56
विविध आय	80.80	-
कुल योग	878.77	1,087.13

नोट 16: कर्मचारी सुविधा खर्च (रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन और मजदूरी	3,877.48	3,480.74
भविष्य और अन्य निधियों में अंशदान	217.74	208.88
कर्मचारी कल्याण खर्च	87.84	39.15
कुल कर्मचारी सुविधा खर्च	**4,183.06**	**3,728.77**
घटाएं: कार्यशील पूंजी में पूंजीकृत	(2,933.79)	(2,670.39)
कुल योग	1,249.27	1,058.38

नोट 17: वित्तीय लागत (रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
ब्याज खर्च	18,328.86	15,793.82
अन्य देनदारी लागत/(छूट)	-	566.98
कुल लागत	**18,328.86**	**16,360.80**
घटाएं: अस्थाई विनियोग से ब्याज आय	(1,110.90)	(1,717.27)
घटाएं: अग्रिम आस्थगन पर ब्याज	(564.10)	(135.07)
घटाएं: कार्यशील पूंजी में पूंजीकृत (नोट 3क देखें)	(16,621.11)	(14,451.29)
कुल योग	32.75	57.17

नोट 18 : अन्य खर्चे (रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
विज्ञापन खर्चे	5.01	3.94
बैंक प्रभार	10.93	11.07
शुल्क और अभिदान	0.25	11.95
बीमा खर्चे	0.81	1.16
लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक (नोट 18.1 देखें)	10.03	7.36
पारिश्रमिक विधिक और प्रोफेशनल शुल्क	118.68	91.84
कार्यालय और प्रशासनिक खर्च	139.42	129.49
मरम्मत और रखरखाव - इमारत	0.86	30.86
मरम्मत और रखरखाव - अन्य	180.52	195.61
उप ठेका प्रभार	283.79	236.18
प्रिंटिंग और लेखन सामग्री	56.34	64.22
दरें और कर	59.23	61.66
पट्टा खर्च	5.63	1.79
संपत्ति की बिक्री पर हानि	0.59	-
दूरसंचार खर्चे	12.86	12.04
यात्रा और वाहन खर्चे	108.76	94.97
विद्युत और जल खर्चे	43.15	40.32
विविध खर्च	8.97	47.80
कुल योग	1,045.83	1,042.26

नोट 18.1: लेखापरीक्षकों को भुगतान (रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
वैधानिक लेखापरीक्षण शुल्क	6.30	6.30
कर लेखापरीक्षक शुल्क	0.75	0.75
खर्चों की प्रतिभूति	0.44	0.31
अन्य (जीएसटी)	2.54	-
कुलयोग	10.03	7.36

नोट 19: भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस-115) के अन्तर्गत ग्राहक क साथ संविदा से आय का प्रकटन

कंपनी ने पीडब्ल्यूडी (महाराष्ट्र सरकार) के साथ 'डिपॉजिट वर्क' सावधि आधार पर विधान भवन में एक सबवे बनाने का करार किया है। करार की लागत करों को छोड़कर तथा आकस्मिकता सहित 9,980 लाख रूपये है। आगे, कंपनी करार के अन्तर्गत आय को बुक करने के लिए महत्वपूर्ण बिंदु तक नहीं पहुंची है।

संविदा शेष (रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
संविदा आस्तियां	439.23	327.53
संविदा देयताएं	2,232.14	2,232.14

(i) संविदा देयता सबवे को बनाने के लिए पीडब्ल्यूडी (महाराष्ट्र सरकार) से प्राप्त अग्रिम का प्रतिनिधित्व करती है। प्राप्त अग्रिम की राशि निर्माण अवधि के दौरान समायोजित हो जाती है। जैसे जैसे ग्राहक को इनवायस उपलब्ध कराया जाता है। आगे, संविदा देयता ज्यों की त्यों है क्योंकि वर्ष के दौरान पीडब्ल्यूडी (महराष्ट्र सरकार) से कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है।

(ii) संविदा आस्तियों में गति खर्च की उस राशि का प्रतिनिधित्व करती है जो वर्ष के दौरान संविदा के संबंध में उपगत होती है। प्रबंधन भविष्य में आय के पहचान की निम्नानुसार अपेक्षा रखती है।

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
एक वर्ष या कम	-	-
एक से अधिक और तीन वर्ष तक	9,980.00	9,980.00
कुलयोग	9,980.00	9,980.00

नोट 20: प्रति शेयर अर्जन

(रुपए लाख में)

विवरण	इकाइयां	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
इक्विटी के लिए गुणक वर्ष हेतु कर के बाद लाभ	रू. लाख में	(1,949.32)	(2,139.48)
मूल इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या	संख्या	4,017.29	3,542.87
इक्विटी शेयर का अंकित मूल्य	रू.	100.00	100.00
प्रति इक्विटी शेयर मूल और डाइल्यूटेड अर्जन	रू.	(0.49)	(0.60)

नोट 21: चालू और आस्थगित कर

क) आस्थगित कर शेष में गति

(रुपए लाख में)

विवरण	मार्च 2021 तक	वर्ष के दौरान गति		31 मार्च 2022 तक
		लाभ और हानि के विवरण में चिन्हित	अन्य व्यापक आय में चिन्हित	
आस्थगित कर आस्तियां				
सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त आस्तियां	147.46	87.96	-	235.42
कर्मचारी सुविधाएं	166.90	62.07	6.09	235.06
पट्टा देयता	(91.06)	(61.33)	-	(152.39)
अप्रयुक्त कर क्रेडिट	56.46	-	-	56.46
आस्थगित कर आस्तियां	279.76	88.70	6.09	374.55

निम्न पर आस्थगित कर की गणना नहीं की गई है-

(रुपए लाख में)

वित्तीय वर्ष	राशि	को समाप्त
2013-14 - व्यवसाय हानि	42.15	31-मार्च-22
2014-15 - व्यवसाय हानि	414.78	31-मार्च-23
2017-18 - व्यवसाय हानि	16.42	31-मार्च-26
2018-19 - व्यवसाय हानि	579.23	31-मार्च-27
2019-20 - व्यवसाय हानि	1,821.52	31-मार्च-28
2020-21 - व्यवसाय हानि	1,206.25	31-मार्च-29
अशोषित मूल्यहास	1,206.40	-

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 तक	वर्ष के दौरान गति		31 मार्च 2021 तक
		लाभ और हानि के विवरण में चिन्हित	अन्य व्यापक आय में चिन्हित	
आस्थगित कर आस्तियां				
सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त आस्तियां	80.06	67.40	-	147.46
कर्मचारी सुविधाएं	194.88	(32.42)	4.44	166.90
पट्टा देयता	15.38	(106.44)	-	(91.06)
अप्रयुक्त कर क्रेडिट	56.46	-	-	56.46
आस्थगित कर आस्तियां	346.78	(71.46)	4.44	279.76

निम्न पर आस्थगित कर की गणना नहीं की गई है-

(रुपए लाख में)

वित्तीय वर्ष	राशि	को समाप्त
2012-13 - व्यवसाय हानि	10.74	31-मार्च-21
2013-14 - व्यवसाय हानि	42.15	31-मार्च-22
2014-15 - व्यवसाय हानि	414.78	31-मार्च-23
2017-18 - व्यवसाय हानि	16.42	31-मार्च-26
2018-19 - व्यवसाय हानि	579.23	31-मार्च-27
2019-20 - व्यवसाय हानि	1,821.52	31-मार्च-28
अशोषित मूल्यहास	883.14	-

ख) आयकर खर्च (रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
चालू कर		
चालू वर्ष के लिए	-	-
पूर्व वर्ष के लिए	(431.79)	-
	(431.79)	**-**
आस्थगित कर		
अस्थाई अंतरों पर कर का आरंभ और उत्क्रमण	(88.70)	71.46
	(88.70)	**71.46**
वर्ष के लिए कर व्यय	**(520.49)**	**71.46**

ग) लाभ और हानि के समेकित विवरण में अभिज्ञात कर खर्च (रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
मद जो लाभ और हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं होंगे		
परिभाषित लाभ योजनाओं की पुनःपूर्ति	6.09	4.44
वर्ष के लिए कर व्यय	**6.09**	**4.44**

घ) प्रभावी कर दर का समाधान (रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
कर पूर्व लाभ	(2,469.81)	(2,068.02)
आयकर आधार दर	25%	25%
अधिभार	-	0%
उपकर	1%	1.00%
वैधानिक आयकर दर	26.00%	26.00%
अपेक्षित आयकर खर्च	-	-
निम्न का कर प्रभावः		
रिटर्न के अनुसार किया गया कर प्रावधान	-	-
सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण तथा अमूर्त आस्तियां	3.56%	3.26%
कर्मचारी सुविधाएं	2.51%	-1.57%
पट्टा देयता	-2.48%	-5.15%
पूर्व अवधि कर समायोजन	17.48%	0.00%
कुल आयकर खर्च	**21.07%**	**-3.46%**

च) चालू कर आस्तियां (निवल) (रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष तक	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष तक
प्रारंभिक शेष	1,553.28	2,285.28
जोड़ें: प्रदत्त अग्रिम कर, वर्ष के दौरान निवल प्रावधान	(326.77)	(732.00)
जमा शेष	**1,226.51**	**1,553.28**

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

नोट 22 : संबंधित पक्ष प्रकटन

क) संबंधित पक्ष का नाम और संबंध की प्रकृति

संबंधित पक्ष का नाम	संबंध का विवरण
मुख्य प्रबंधन कार्मिक (केएमपी)	
श्री दुर्गा शंकर मिश्रा (29 दिसंबर, 2021 तक)	अध्यक्ष/नामित निदेशक
श्री मनोज जोशी (30 दिसंबर, 2021 से प्रभावी)	अध्यक्ष/नामित निदेशक
श्री एस.एस. दुबे	नामित निदेशक
श्री जयदीप	नामित निदेशक
श्री एस.एस. जोशी (30 नवंबर, 2021 तक)	नामित निदेशक
श्री मनोज सौनिक	नामित निदेशक
श्री आइ.एस. चहल	नामित निदेशक
श्री भूषण गगराणी	नामित निदेशक
श्री आर ए राजीव (31 मई, 2021 तक)	नामित निदेशक
श्री एसवीआर श्रीनिवास (3 जून, 2021 से प्रभावी)	नामित निदेशक
श्री रणजित सिंह देओल (16 मार्च, 2022 तक)	प्रबंध निदेशक/नामित निदेशक
श्री एसवीआर श्रीनिवास (16 मार्च, 2022 से 12 जुलाई 2022 तक प्रभावी)	प्रबंध निदेशक प्रभारी/नामित निदेशक
श्री सुबोध कुमार गुप्ता	निदेशक (परियोजना)
श्री अजयकुमार भट्ट	निदेशक (प्रणाली)
श्री अबोध खंडेलवाल	निदेशक (वित्त)
सुश्री ऋतु देब	कंपनी सचिव
अलग-अलग इकाइयां जहां मुख्य प्रबंधन कार्मिक या उनके करीबी पारिवारिक सदस्यों का महत्वपूर्ण प्रभाव है।	
मुंबई महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए)	एमएमआरडीए के महानगर आयुक्त
एमएमआरसीएल कर्मचारी कल्याण निधि समिति	श्री अबोध खंडेलवाल निदेशक (वित्त), एमएमआरसीएल
एमएमआरसीएल श्रमिक कल्याण निधि ट्रस्ट (अध्यक्ष)	श्री रवि रंजन कुमार मुख्य परियोजना प्रबंधक, एमएमआरसीएल
एमएमआरसीएल कर्मचारी समूह उपदान योजना ट्रस्ट (अध्यक्ष)	श्री रविन्द्र कुमार पाठक महाप्रबंधक-वित्त, एमएमआरसीएल

ख) मुख्य प्रबंधन कार्मिक क्षतिपूर्ति (रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
पारिश्रमिक प्रदत्त	238.92	220.34

ग) अलग-अलग इकाइयों से लेनदेन जहां (केएमपी) उनके करीबी पारिवारिक सदस्यों का महत्वपूर्ण प्रभाव है। (रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
क्रय और खर्च		
प्रतिपूर्ति (एमएमआरडीए)	311.47	298.75
कर्मचारी कल्याण निधि में अंशदान (एमएमआरसीएल)	55.68	86.19
कर्मचारी समूह उपदान योजना ट्रस्ट (एमएमआरसीएल)	103.96	230.27
कर्मचारी कल्याण निधि (एमएमआरसीएल) में सामान्य अंशदान	15.73	8.17
कर्मचारी समूह उपदान योजना ट्रस्ट (एमएमआरसीएल) में सामान्य अंशदान	0.12	-

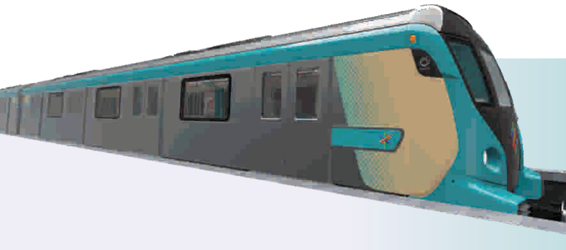

घ) वर्ष समाप्ति को बकाया शेष

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
मुख्य प्रबंधन कार्मिक से		
प्राप्त		
देय	–	–
प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के रोजगार के बाद के लाभ		
रोजगार के बाद के लाभ	111.65	75.65
अलग–अलग इकाइयां जिनपर केएमपी या उनके करीबी पारिवारिक सदस्यों का महत्वपूर्ण प्रभाव है।		
एमएमआरसीएल श्रमिक कल्याण निधि ट्रस्ट	141.87	86.19
एमएमआरसीएल कर्मचारी समूह उपदान योजना ट्रस्ट	287.06	230.27
एमएमआरसीएल कर्मचारी कल्याण निधि	16.07	8.52
देय (एमएमआरडीए)	2,196.01	1,884.52

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

नोट 23. आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं

नोट 23.1 आकस्मिक देयताएं

देयता की प्रकृति/मुकदमेबाजी स्पष्टीकरण (उपलब्ध विस्तार तक)

ठेकेदारों द्वारा दिया गया संविदा मूल्य सूची करों सहित था। बाद में जीएसटी के लागू होने के बाद अन्य अप्रत्यक्ष करों जैसे, सेवा कर, वैट आदि को इसमें शामिल कर लिया गया था। अतः कर नियमों में बदलाव के कारण संविदा मूल्य पर पड़ने वाले इसके प्रभाव का आकलन करने के लिए कंपनी ने ठेकेदारों से अनुरोध किया है कि वे संविदा मूल्य पर जीएसटी के पूर्व और पश्चात प्रभाव को निर्धारित करने के लिए तत्संबंधी ब्रेक अप प्रस्तुत करें ताकि कंपनी द्वारा देय या वसूली योग्य कर राशि का पत्र लगाया जा सके और अभी यह प्रक्रिया चल रही है। 31 मार्च 2022 तक कंपनी ने विवाद के अन्तर्गत अस्थाई आधार पर रूपए 26,700.11 लाख का भुगतान किया है और यदि मामला कंपनी के पक्ष में आता है तो कंपनी इसकी वसूली ब्याज सहित कर लेगी।

ठेकेदारों द्वारा दिया गया संविदा मूल्य सभी करों (रॉयल्टी सहित) सहित था। बाद में, देय रॉयल्टी की राशि संशोधित की गई थी अतः कुछ ठेकेदारों ने विधि में परिवर्तन के कारण उनके द्वारा प्रदत बढ़ी हुई राशि की प्रतिपूर्ति के लिए दावा किया है, तथापि, एक ठेकेदार ने नगरनिगम प्राधिकर द्वारा लगाई गई लेवी की रॉयल्टी को चुनौती देते हुए एक याचिका दाखिल की हैं जो अभी भी अदालत के समक्ष विचाराधीन है। 31 मार्च 2022 तक रॉयल्टी की कुल विवादित राशि रू. 4,639.70 लाख है जिसमें से रू. 4495.05 लाख का भुगतान वेंडर को अस्थाई आधार पर दिया गया है।

स्टैम्प प्रवर्तन समाहर्ता-1 के कार्यालय से कंपनी को जुर्माना के संबंध में सूचना प्राप्त हुई है। कंपनी इस संबंध में उपलब्ध विभिन्न विकल्पों की तलाश कर रही है।

महाराष्ट्र सरकार ने दिनांक 21/07/2022 के पत्र द्वारा निगम तथा मुंबई मेट्रो क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण (एमएआरडीए) को यह सूचित किया था कि आरे के पास चल रहे मेट्रो निर्माण कार्य जिस पर 29/11/2019 से स्थगन लगाया गया था, को हटा लिया गया है। आगे, सरकार ने निगम को यह भी अनुदेश दिया है कि डिपो का काम समयानुसार पूरा हो जाना चाहिए। समय/लागत/ओवर रन यदि कोई हो, साथ ही, संसाधनों के अल्प उपयोग के संबंध में सिविल ठेकेदार के 6,04,99,531/- रूपयों के दावे की निगम द्वारा पुर्नरीक्षा की जा रही है।

नगरनिगम प्राधिकार ने ज्ञानेश्वर नगर, बीकेसी में मुंबई महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) द्वारा आबंटित भूमि खण्ड के संबंध में 3,155.51 लाख रूपये की संपत्ति कर मांग सूचना जारी की है। कंपनी को सरकारी भूमि और निजी भूमि के लिए संपत्ति कर के संबंध में नगरनिगम प्राधिकार से (उपयुक्त मामले के अलावा) कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है। अत: कोई प्रावधान नहीं किया गया है। कंपनी ने सहायक आकलक, और समाहर्त्ता (एचई वार्ड) को इस आधार पर इस मांग को निरस्त/छूट करने/देने के लिए पत्र लिखा है कि इस भूमि का उपयोग पूरी तरह से लोक सुविधा परियोजना के लिए किया जा रहा है और उनका प्रत्युत्तर अपेक्षित है।

मुंबई पोर्ट के ट्रस्टी मंडल और मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एमएमआरसीएल के बीच हुए एक करार के अनुसार जल/वाहित मल/कूड़ा निपटान, विद्युत टेलिफोन प्रभार, संपत्ति कर और ब्याज प्रभार यदि कोई हो, की वसूली का खर्च एमएमआरसीएल वहन करेगा।

एसआरए/एमएमआरडीए ने इस परियोजना से प्रभावित होने वाले लोगों के पुर्नवसन के लिए 1937 मकानों का आबंटन किया है। इस संबंध में कंपनी द्वारा दी गई राशि की जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है साथ ही, कोई मांग भी प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए वित्तीय विवरणों में इनका प्रावधान नहीं किया गया है।

कंपनी ने कुछ पी.ए.पी. के साथ पुनर्वसन और पुनर्निपटान के लिए एक एमओयू और साथ ही, अंतरित करार भी किया है। तथापि, पुनर्वसन और पुनर्निपटान की लागत नहीं प्राप्त की जा सकी है।

कंपनी के विरूद्ध कुल 36 कानूनी मामले दर्ज हैं, जहां देयता की राशि की जानकारी नही मिल सकी है। (भूमि तथा पुनर्वसन से जुड़े 20 मामले, विभिन्न सिविल मामलों के संबंध में 10, पर्यावरण से जुड़े 5 मामले तथा एक मामला वस्तु की हानि के संबंध में)

नोट 23.2 पूंजी प्रतिबद्धताएं

रिपोंटिंग अवधि की अंतिम अवधि के लिए पूंजी पूंजीगत खर्चे पर उन्हें देयता के रूप में चिन्हित नहीं किया गया

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
संविदा की बची हुई अनुमानित राशि, जिन्हें निष्पादित किया जाता है, पर उनका प्रावधान नहीं किया गया है	933,352.69	1,148,673.99

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

नोट 24: कर्मचारी सुविधा बाध्यतायें

उपदान :

प्रत्येक कर्मचारी उपदान संदाय अधिनियम, 1972 या कंपनी की योजना, जो भी लाभदायक हो, के अनुसार सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों के अंतिम आहरित वेतन के समतुल्य का लाभ प्राप्त करने का पात्र है। यह कर्मचारी को कंपनी से अलग या सेवानिवृत्त होने के समय, जो भी पहले हो, देय होगी। यह सुविधा 5 वर्षों की निरंतर सेवा के बाद देय होगी।

(रुपए लाख में)

विवरण	बाध्यता का वर्तमान मूल्य	योजना आसतियों का उचित मूल्य	निवल राशि
31 मार्च 2020 को	**230.17**	**-**	**230.17**
चालू सेवा लागत	72.82	-	72.82
ब्याज खर्च (आय)	15.34	7.63	7.71
लाभ और हानि में मान्य कुल राशि	88.16	7.63	80.53
पुनर्मापन			
(लाभ)/वित्तीय पूर्व धारणाओ में बदलाव से हानि	14.66	-	14.66
अनुभव (लाभ)/ हानि	(3.20)	-	(3.20)
ब्याज को छोड़कर आस्तियों पर रिटर्न	-	(5.63)	5.63
अन्य व्यापक आय में मान्य कुल राशि	11.46	(5.63)	17.09
नियोजक अंशदान	-	230.27	230.27
सुविधा भुगतान	-	-	-
31 मार्च 2021 को	**329.79**	**232.27**	**97.52**
चालूसेवा लागत	86.71	-	86.71
ब्याज खर्च (आय)	20.84	14.30	6.54
लाभ और हानि में मान्य कुल राशि	107.55	14.30	93.25
पुनर्मापन			
(लाभ) / वित्तीय पूर्व धारणाओं में बदलाव से हानि	1.95	-	1.95
अनुभव (लाभ) / हानि	24.78	-	24.78
ब्याज को छोडकर आयोजित आस्ति में रिटर्न	-	3.30	(3.30)
अन्य व्यापक आय में मान्य कुल राशि	26.73	3.30	23.43
नियोजक अंशदान (एमएमआरसी समूह उपदान योजना के लिए 5.84 लाख का एलआईसी प्रीमियम सहित)	-	91.80	(91.80)
सुविधा भुगतान	34.89	34.89	(0.00)
31 मार्च 2022 को	429.18	306.78	122.40

ऊपर दी गई निवल देयता निधि प्राप्त और गैर निधि प्राप्त योजनाओं से संबंधित है जो कि निम्न अनुसार है: (रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
दायित्वों का वर्तमान मूल्य	429.18	329.79
योजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	306.78	232.27
उपदान योजना का घाटा	122.40	97.52

बीमांकिक (लाभ)/बाध्यता पर हानि (रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
जनांकिकीय पूर्व धारणाओं से नियत	(0.11)	-
वित्तीय पूर्व धारणाओं से नियत	2.06	14.66
अनुभव से नियत	24.78	(3.20)
कुल बीमांकित लाभ / (हानि)	26.73	11.46

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

महत्वपूर्ण प्राक्कलनः बीमांकित पूर्वधारणाएं और संवेदिता
महत्वपूर्ण बीमांकित पूर्वधारणाएं निम्नानुसार थीं:

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
छूट दर	7.15%	6.32%
क्षयण दर		
30 वर्षों तक	6.00%	6.00%
31 से44 वर्ष	6.00%	5.00%
44 वर्षों से अधिक	6.00%	8.00%
योजना आस्तियों पर रिटर्न की दर	7.15%	6.50%
वेतन वृद्धि दर	8.00%	7.00%
मृत्यु दर	आइएएलएम (2012-14) अर्बन	आइएएलएम (2012-14) युटीटी

संवेदिता विश्लेषण
औसत सिद्धांत पूर्वधारणाओं में बदलाव की परिभाषित सुविधा बाध्यता की संवेदिता इस प्रकार है: **(रुपए लाख में)**

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
अवधि की समाप्ति पर बाध्यता का वर्तमान मूल्य	429.17	329.79
छूट दर में बदलाव पर 0.50 प्रतिशत वृद्धि का प्रभाव	(18.81)	(15.25)
छूट दर में बदलाव पर 0.50 प्रतिशत कमी का प्रभाव	20.44	16.62
वेतन वृद्धि में बदलाव के प्रभाव पर 0.50 प्रतिशत वृद्धि का प्रभाव	16.77	15.87
वेतन वृद्धि में बदलाव केप्रभाव पर 0.50 प्रतिशत कमी का प्रभाव	(16.37)	(14.74)

उपयुक्त संवेदिता विश्लेषण अन्य सभी धारणाओं को स्थिर रखते हुए एक धारणा में बदलाव पर आधारित है। व्यवहार में ऐसा नहीं होता है तथा कुछ धारणाओं में बदलाव सहसंबद्ध हो सकते हैं। परिभाषित सुविधा बाध्यता से महत्वपूर्ण बीमांकित धारणा की गणना करने में (परिभाषित सुविधा बाध्यता को वर्तमान मूल्य की गणना प्रतिवेदन अवधि केअंत में प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट तरीके से की जाती है) उसी तरीके को लागू किया गया है जिसे तुलन पत्र में मान्य परिभाषित सुविधा देयता की गणना में लागू किया जाता है।

संवेदित विश्लेषण को तैयार करने में उपयोग किया गया पूर्व धारणाओं का तरीका और प्रकार पूर्व वर्ष की तुलना में नहीं बदला है।

परिभाषित सुविधा बाध्यता का परिपक्वता प्रोफाइल

परिभाषित सुविधा बाध्यता की भारित औसत अवधि 10 वर्ष होती है। उपदान का अपेक्षित परिपक्वता विश्लेषण निम्नानुसार है: **(रुपए लाख में)**

प्रतिवेदन की तारीख से भविष्य के वर्षों में देर प्रक्षेपित सुविधाएं	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
पहला आगामी वर्ष	41.52	28.95
दूसरा आगामी वर्ष	27.18	24.29
तीसरा आगामी वर्ष	43.31	24.36
चौथा आगामी वर्ष	32.92	16.22
पांचवां आगामी वर्ष	29.92	23.54
6 से10 वर्षों के जोड़ का वर्ष	137.85	103.52

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

नोट 25 : सूक्ष्म और लघु उपक्रम प्रकटन के कारण बकाया

लेखा खातों के आधार पर एमएसएमईडी अधिनियम के अनुसार प्रकटन निम्नानुसार है: **(रुपए लाख में)**

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
क) मूल राशि अप्रदत्त	94.57	93.57
ख) उस पर बकाया ब्याज अप्रदत्त	-	-
ग) नियत तारीख के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान सहित एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार प्रदत्त ब्याज	-	-
घ) एमएसएमईडी अधिनियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट ब्याज को बगैर जोड़े वर्ष के दौरान नियत तारीख के बाद किए गए भुगतान पर विलंब की अवधि के लिए देय और प्रदत्त ब्याज	-	-
च) उपगत ब्याज परंतु अप्रदत	-	-
छ) आगे, अनुवर्ती वर्षों में भी देय ब्याज जिसका भुगतान नहीं किया गया जब तक कि ऐसी तारीख पर उपयुक्त देय ब्याज का लघु उद्यम को वास्तविक रूप से भुगतान नहीं कर दिया जाता।	-	-
कुल योग	94.57	93.57

नोट 26 : खंड प्रतिवेदन

कंपनी के पास सिर्फ एक ही प्रतिवेदन योग्य प्रचालन खंड है जो मुंबई (भारत) में मेट्रो रेल प्रणाली को विकसित करने और उसके रखरखाव से संबंधित है। तदनुसार वित्तीय विवरण में दिखनेवाली राशि कंपनी के एकल व्यवसाय से संबंधित है।

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

नोट 27: उचित मूल्य मापन **(रुपए लाख में)**

विवरण	31 मार्च 2022 को			31 मार्च 2021 को		
	एफवीपीएल	एफवीओसीआई	परिशोधित लागत	एफवीपीएल	एफवीओसीआई	परिशोधित लागत
वित्तीय आस्तियां						
गैर–चालू						
ऋण	–	–	8.34	–	–	–
अन्य वित्तीय आस्तियां	–	–	285.02	–	–	1,134.59
चालू						
नकद और नकद समतुल्य नकद	–	–		–	–	
नकद समतुल्य के अंतर्गत कवर	–	–	33,205.33	–	–	28,065.50
से अन्यथा बैंक शेष			2,801.09			3,131.99
ऋण	–	–	4.11	–	–	
अन्य वित्तीय आस्तियां	–	–	15,920.92	–	–	22,832.69
कुल वित्तीय आस्तियां	**–**	**–**	**52,224.81**	**–**	**–**	**55,164.77**
वित्तीय देयताएं						
गैर–चालू			1,343,234.72			1,130,984.88
देनदारी	–	–	2,511.27	–	–	1,248.21
पट्टा देयता	–	–	348.69	–	–	35.84
अन्य	–	–		–	–	
चालू						
पट्टा देयता	–	–	1,463.79	–	–	2,549.87
अन्य वित्तीय देयताएं	–	–	118,607.72	–	–	117,670.64
कुल वित्तीय देयताएं	**–**	**–**	**1,466,166.19**	**–**	**–**	**1,252,489.44**

क) **उचित मूल्य सोपानिकी** : यह खंड वित्तीय प्रपत्रों के निर्णय और आकलन की व्याख्या करता है जो है (क) उचित मूल्य पर मान्यता और मापन, (ख) परिशोधित लागत पर मापन जिसके लिए उचित मूल्य को वित्तीय विवरण में प्रकट किया जाता है। उचित मूल्य के निर्धारण में उपयोग किए गए निवेश की विश्वसनीयता का संकेत देने के लिए कंपनी ने वित्तीय विवरणों को लेखाकरण मानक के अंतर्गत तीन स्तरों में वर्गीकृत किया है।

ख) ऐसी कोई वित्तीय आस्तियां और वित्तीय देयताएं नहीं हैं जिनका उचित मूल्य पर मापन किया जाना है और जिसके लिए उचित मूल्य सोपानिकी के अनुसार प्रकटन की आवश्यकता होती है।

वर्ष के दौरान किसी स्तर के बीच कोई हस्तांतरण नहीं हुआ है।

स्तर 1: स्तर 1 सोपानिकी में वित्तीय प्रपत्रों को उद्धृत मूल्यों का उपयोग करते हुए मापा जाता है। इसमें सूचीबद्ध इक्विटी प्रपत्र और म्यूचुअल फंड शामिल होते हैं जिनका एक उदधृत मूल्य होता है। सभी इक्विटी प्रपत्रों का उचित मूल्य जिनकी स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग की जाती है, का मूल्यांकन प्रतिवेदन अवधि में अंत मूल्य का उपयोग करते हुए किया जाता है। म्यूचुअल फंड का मूल्यांकन अंत निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) का उपयोग करते हुए किया जाता है।

स्तर 2: वित्तीय प्रपत्रों का उचित मूल्य जिनकी ट्रेडिंग सक्रिय बाजार में नहीं होती (उदाहरण के लिए ओवर अकाउंट का व्युत्पन्न) मूल्यांकन तक से किया जाता है जो परीक्षण किए जाने योग्य मार्केट डेटा के उपयोग को बढ़ा देता है तथा इकाई विशिष्ट आकलन पर कम से कम भरोसा करता है। यदि सभी महत्वपूर्ण निवेश जितनी प्रपत्र के उचित मूल्य के लिए जरूरत होती है, का परीक्षण संभव होता है तो प्रपत्र को स्तर 2 में शामिल किया जाता है।

स्तर 3: यदि एक या अधिक महत्वपूर्ण निवेश परीक्षण योग्य मार्केट डेटा पर आधारित नहीं होते हैं तो प्रपत्र को स्तर 3 में शामिल किया जाता है।

ग) **उचित मूल्य के निर्धारण के लिए मूल्यांकन तकनीक विशिष्ट मूल्यांकन तकनीक :**

वित्तीय प्रपत्रों के मूल्यांकन में प्रयुक्त होनेवाले विशिष्ट मूल्यांकन तकनीकों में निम्नलिखित शामिल हैः

i) उद्धृत बाजार मूल्य का उपयोग या डीलर उसी प्रकार के प्रपत्रों के लिए उद्धृत करता है।

ii) यदि ब्याज स्वैप्स की गणना उचित मूल्य प्राप्ति वक्र के आधार पर आंकलित आगामी नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य पर की जाती है।

iii) फॉरवर्ड विदेशी मुद्रा विनिमय संविदाओं के उचित मूल्य का निर्धारण तुलन पत्र की तारीख को फॉरवर्ड विनिमय दरों का उपयोग करते हुए किया जाता है।

iv) विदेशी मुद्रा विकल्प संविधान के उचित मूल्य का निर्धारण ब्लैक स्कोल्स मूल्यांकन मॉडल का उपयोग करते हुए किया जाता है।

v) शेष वित्तीय प्रपत्रों के उचित मूल्य का निर्धारण बट्टा नकदी प्रवाह विश्लेषण का उपयोग करके किया जाता है।

सभी परिणामी उचित मूल्य आंकड़ों को स्तर 1 और स्तर 2 में शामिल किया गया है।

घ) **मूल्यांकन प्रक्रियाएं**

कंपनी के वित्त विभाग में एक टीम होती है जो वित्तीय आस्तियों और देयताओं का मूल्यांकन करती है जिसमें स्तर 3 का उचित मूल्य शामिल होता है। यह टीम सीधे निदेशक (वित्त) को रिपोर्ट करती है।

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

नोट 28: पूंजी प्रबंधन

जोखिम प्रबंधन

कंपनी के पूंजी प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य शेयरधारकों के मूल्य को अधिकतम करना है। कंपनी पूंजी संरचना का अनुप्रवर्तन निवल ऋण इक्विटी अनुपात का उपयोग करते हुए करती है। तुलन पत्र में दर्शाई गई कुल इक्विटी में सामान्य रिजर्व प्रति धारित अर्जन शेयर पूंजी प्रतिभूत प्रीमियम शामिल होता है। कुल ऋण में चालू ऋण और गैर-चालू ऋण शामिल होता है। **(रुपए लाख में)**

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
निवल: ऋण	1,343,234.72	1,130,984.88
कुल इक्विटी	431,370.70	374,137.36
इक्विटी अनुपात से निवल ऋण	3.11	3.02

नोट 29: वित्तीय जोखिम प्रबंधन

वित्तीय जोखिम घटक

कंपनी वित्तीय पत्र के संबंध में विभिन्न प्रकार के जोखिम का सामना करती है। कंपनी की वित्तीय आस्तियों और देयताओं के बारे में श्रेणीबद्ध रूप से ऊपर बताया गया है। मुख्य जोखिम होते हैं- बाजार जोखिम, क्रेडिट प्रकार के जोखिम, और तरलता जोखिम। कंपनी के जोखिम प्रबंधन का फोकस वित्तीय बाजार के प्रभाव को कम करने के द्वारा कंपनी के लघु से महत्तम अवधि वाले नकदी प्रवाह को प्राप्त करना होता है। वैसे महत्वपूर्ण वित्तीय जोखिम जिससे कंपनी का सामना अक्सर होता है, के बारे में जानकारी नीचे दी गई है।

क) बाजार जोखिम

कंपनी का विदेशी विनिमय जोखिम बाजार जोखिम के रूप में होता है। कंपनी के पास कोई ब्याज दर का जोखिम नहीं है क्योंकि कंपनी के सभी ऋण ब्याज के निर्धारित दर पर लिए जाते हैं। साथ ही, कंपनी किसी प्रकार के मूल्य जोखिम का सामना भी नहीं करती क्योंकि इसके पास कोई वित्तीय आस्ति नहीं है। विनिमय उतार-चढ़ाव जोखिम सामान्य परामर्शदाता और ठेकेदारों को विदेशी मुद्रा में किए गए भुगतान के कारण होता है।

कंपनी के पास विदेशी विनिमय जोखिम को कवर करने के लिए कोई बचाव की व्यवस्था नहीं है।

निम्नलिखित तालिका वित्तीय पत्रों से विदेशी विनिमय जोखिम का विश्लेषण करती है।

विवरण	यूएसडी	युरो
31 मार्च 2022 को वित्तीय आस्तियां अन्य वित्तीय आस्तियां	- -	- -
कुल योग	-	-
वित्तीय देयताएं अन्य वित्तीय देयताएं	7,992,880.00	4,717,372.00
कुल योग	7,992,880.00	4,717,372.00
विदेशी विनिमय जोखिम को निवल प्रभावन	(7,992,880.00)	(4,717,372.00)
31 मार्च 2021 को वित्तीय आस्तियां अन्य वित्तीय आस्तियां	- -	- -
कुल योग	-	-
वित्तीय देयताएं अन्य वित्तीय देयताएं	12,229,831.92	1,676,351.00
कुल योग	12,229,831.92	1,676,351.00
विदेशी विनिमय जोखिम को निवल प्रभावन	(12,229,831.92)	(1,676,351.00)

निम्नांकित महत्वपूर्ण विनिमय दरों को लागू किया गया है।

मुद्रा	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
यूएस डॉलर 1	75.81	73.50
यूरो 1	84.66	86.10

सुग्राहिता विश्लेषण

31 मार्च 2022 को सभी मुद्राओं के समक्ष भारतीय मुद्रा को एक संभाव्य तरीके से मजबूत (कमजोर) करने से विदेशी मुद्रा में मूल्य वर्ग किए गए वित्तीय प्रपत्रों का मापन प्रभावित हुआ होगा तथा नीचे दर्शाये अनुसार राशि द्वारा लाभ या हानि प्रभावित हुई होगी। इस विश्लेषण से यह माना जाए कि विशेष ब्याज दरों में सभी अन्य परिवर्ती कारक स्थिर हैं।

(रुपए लाख में)

विवरण	कर के पहले लाभ या हानि	
	भारतीय रुपयों को मजबूत करना	भारतीय रुपयों को कमजोर करना
31 मार्च 2022		
यूएस डॉलर (10% संचालन)	605.94	(605.94)
यूरो (10% संचालन)	399.37	(399.37)
31 मार्च 2021		
यूएस डॉलर (10% संचालन)	898.89	(898.89)
यूरो (10% संचालन)	144.33	(144.33)

ख) क्रेडिट जोखिम

क्रेडिट जोखिम प्रतिपक्ष द्वारा उसकी बाध्यता में चूक से संदर्भित होता है जिसके परिणामतः वित्तीय हानि होती है।

कंपनी विभिन्न वित्तीय प्रपत्रों के लिए इस जोखिम से प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए, कर्मचारियों को अग्रिम प्रदान करना, बैंक से देय प्रतिभूत जमा आदि। प्रतिवेदन की तारीख को क्रेडिट जोखिम का अधिकतम प्रभावन प्राथमिक रूप से वित्तीय आस्तियों के लिए निम्न प्रकार की राशि के रखाव से होता है।

- नकद और नकदी समतुल्य
- परिशोधित लागत पर मापी गई अन्य वित्तीय आस्तियां

कंपनी नियमित रूप से ग्राहकों या अन्य प्रतिपक्षकारों के अचूक का अनुप्रवर्तन करती है जिनकी पहचान व्यक्तिगत रूप से या कंपनी द्वारा की जाती है तथा इस जानकारी को क्रेडिट जोखिम नियंत्रण में शामिल किया जाता है। जहां कहीं भी उपयुक्त लागत पर उपलब्ध होता है वहां क्रेडिट रेटिंग और क्रय ग्राहकों द्वारा अन्य प्रतिपक्ष कारों पर प्रतिवेदन प्राप्त कर उनका उपयोग किया जाता है।

(i) **क्रेडिट जोखिम प्रबंधन:**

नकद और नकदी तुल्य – नकद और नकदी तुल्य से संबंधित क्रेडिट जोखिम के द्वारा निधियों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में रखकर प्रबंधित किया जाता है जो भारतीय रिजर्व बैंक केनियामक चक्र के अधीन होता है तथा इन बैंकिंग संबंधों की नियमित समीक्षा की जाती है।

अन्य वित्तीय आस्तियां – अन्य वित्तीय आस्तियां जिसमें कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम शामिल होता है, का मापन परिशोधन लागत पर किया जाता है।

(ii) **तरलता जोखिम:** हमारी तरलता आवश्यकताओं का मासिक और वार्षिक प्रक्षेपणों के आधार पर अनुप्रवर्तन किया जाता है। कंपनी के पास तरलता का मुख्य स्रोत होता है नकद और नकदी समतुल्य, गैर परिचालन राजस्व, जेआईसीए से दीर्घावधि ऋण, ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण, शेयर पूंजी और अनुदान।

हम अपनी तरलता आवश्यकताओं का प्रबंध नकदी प्रवाह के नियमित अनुप्रवर्तन और पर्याप्त नकद और नकदी समतुल्य को रखते हुए करते हैं। किसी तरह की कमी को जानने के लिए निवल नकद आवश्यकताओं की तुलना उपलब्ध नक़द से की जाती है।

अल्पावधि तरलता आवश्यकताओं में मुख्यतया क्रेडिटर्स खर्च, कर्मचारी बकाया, देनदारियों की चालू परिपक्वता, तथा प्रत्येक पर प्रतिवेदन तारीख पर व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया के दौरान उपगत प्रतिधारण और जमा शामिल होता है। हम अपनी अल्पावधि तरलता आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त नगद और नगदी तुल्य रखा करते हैं।

दीर्घावधि तरलता आवश्यकताओं का आवधिक आधार पर आकलन करते हैं तथा आंतरिक संभूति तथा भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार की सहायता से इन्हें पूरा करते हैं। हमारी गैर-चालू देयताओं में जेआईसीए ऋण, ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण, प्रतिधारण और जमा तथा कर्मचारी सुविधा के लिए देयताएं शामिल होती हैं।

नीचे दी गई तालिका में गैर व्युत्पन्न वित्तीय देयताओं की परिपक्वता से संबंधित विवरण दिया गया है। तालिका को प्रारंभिक तारीख जिस पर कंपनी द्वारा भुगतान किया जाता है, पर आधारित वित्तीय देयताओं के नकदी प्रवाह के अनुसार बनाया गया है। तालिका में मुख्य और ब्याज नकद प्रवाह दोनों शामिल हैं।

(रुपए लाख में)

विवरण	1 वर्ष से कम	2 से 3 वर्ष	4 से 5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	कुल योग
31 मार्च, 2022 को					
उधार राशि (नोट 11 देखें)	–	43,062.69	43,062.54	1,257,109.49	1,343,234.72
पट्टा देनदारियां	1,463.79	1,320.62	1,131.55	59.10	3,975.06
अन्य वित्तीय देनदारियां (नोट 12 देखें)	118,607.72	–	39.22	309.47	118,956.41
कुल योग	**120,071.51**	**44,383.31**	**44,233.31**	**1,257,478.06**	**1,466,166.19**
31 मार्च 2021 को					
उधार राशि (नोट 11 देखें)	–	22,960.39	45,920.46	1,062,104.03	1,130,984.88
पट्टा देनदारियां	2,549.87	941.09	246.88	60.24	3,798.08
अन्य वित्तीय देयताऐ (नोट 12 देखें)	117,670.64	–	35.84	–	117,706.48
कुल योग	**120,220.51**	**23,901.48**	**46,203.18**	**1,062,164.27**	**1,252,489.44**

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

नोट 30: कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची के अनुसार आवश्यक अतिरिक्त विनियामक सूचना

अपेक्षा (i): अचल संपत्ति का हक विलेख कंपनी के नाम पर नहीं होना चाहिए।

प्रत्युत्तर: यह जानकारी वित्तीय विवरण के नोट नं. 2 पर दी गई है।

अपेक्षा (ii): कंपनी इस बात की जानकारी देती है कि क्या निवेश की गई संपत्ति का उचित मूल्य (जैसा कि वित्तीय विवरण से प्रकटन उद्देश्य से मापा गया है, किसी पंजीकृत मूल्यांकक द्वारा किए गए मूल्यांकन पर अपेक्षित है, जैसा कि कंपनी नियम 2017 के नियम 2 के अन्तर्गत (पंजीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) परिभाषित होता है।

प्रत्युत्तर: कंपनी के पास कोई निवेश संपत्ति नहीं है, अतएव यह खंड कंपनी पर लागू नहीं होता है।

अपेक्षा (iii): जहां कंपनी ने अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण उपयोग का अधिकार आस्तियों सहित का पुनर्मूल्यांकन कराया है, कंपनी यह सूचित करेगी कि यह पुनर्मूल्यांकन पंजीकृत मूल्यांकक द्वारा किए गए मूल्यांकन पर आधारित है। जैसाकि, कंपनी नियम 2017 (पंजीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) के नियम के अन्तर्गत परिभाषित है।

प्रत्युत्तर: कंपनी अनुवर्ती मापन के लिए लागत मॉडल अनुसरण करती है, अत: यह खंड कंपनी पर लागू नहीं होगा।

अपेक्षा (iv): जहां कंपनी ने अपने अपूर्त आस्तियों को पुनर्मूल्यांकित किया है, कंपनी यह सूचित करेगी कि क्या पुनर्मूल्यांकन किसी पंजीकृत मूल्यांकक द्वारा मूल्यांकन पर आधारित है जैसा कि कंपनी नियम 2017 (पंजीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) के नियम 2 के अन्तर्गत परिभाषित है।

प्रत्युत्तर: कंपनी अनुवर्ती मापन के लिए लागत मॉडल अनुसरण करती है, अत: यह खंड कंपनी पर लागू नहीं होगा।

अपेक्षा (v): जहां प्रोमोटरों, निदेशकों, केएमपी और संबंधित पक्षों (जैसा कि कंपनी अधिनियम 2103 में परिभाषित है) को अलग-अलग या संयुक्त रूप से किसी अन्य व्यक्ति के साथ जो कि

(क) मांग किए जाने पर पुनर्भुगतान या

(ख) बिना किसी शर्त या पुनर्भुगतान अवधि को विनिर्दिष्ट किए गये हो, को ऋण या ऋण की प्रकृति का अग्रिम प्रदान किया जाता है तो विहित/प्रकटन किया जाना जरूरी होगा।

प्रत्युत्तर: कंपनी ने प्रोमोटरों, निदेशकों, केएमपी और संबंधित पक्षों को कोई ऋण या ऋण की प्रगति का अग्रिम प्रदान नहीं किया है, जिसका पुनर्भुगतान मांग किए जाने पर या बगैर किसी शर्तों या पुनर्भुगतान की अवधि को विनिर्दिष्ट किए, किया जाना हो। अत: यह खंड कंपनी पर लागू नहीं होता।

अपेक्षा (vi) और (vii):

(क) पूंजी कार्य प्रगति पर (सीडब्ल्यूआईपी) / विकास के अन्तर्गत अपूर्त आस्तियां (आईटीयूडी) के लिए समय अनुसूची

प्रत्युत्तर: यह जानकारी वित्तीय विवरणों के नोट 3(क) और 3(ख) पर दी गई है।

(ख) पूंजी कार्य प्रगति पर / विकास (आईटीएयूडी) के अन्तर्गत अपूर्त आस्तियां, जिनका पूरा होना अतिदेय है या इसकी लागत मूल लागत की तुलना पे बढ़ गई है, की जानकारी विहित / प्रकट की जायेगी।

प्रत्युत्त: यह जानकारी वित्तीय विवरणों के नोट 3(क) और 3(ख) पर दी गई है।

अपेक्षा (viii): जहां बेनामी लेनदेन (निषेध) अन्तर्गत के नियमों के अधीन कोई बेनामी संपत्ति रखने के लिए कंपनी के विरूद्ध कोई कार्यवाही प्रारंभ की गई है या लंबित है, तो उसकी जानकारी दी जाएगी।

प्रत्युत्तर: कंपनी के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है। आगे, बेनामी संपत्ति (निषेध) अधिनियम 1988 (1988 का 45) और उसके अन्तर्गत बने नियमों के अधीन कंपनी के विरूद्ध कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई है या लंबित नहीं है। अतएव खंड की अपेक्षा कंपनी पर लागू नहीं है।

अपेक्षा (ix): क्या कंपनी के पास चालू आस्तियों के प्रतिभूति के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से कोई देनदारी है।

प्रत्युत्तर: चालू आस्तियों के प्रतिभूति के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से कंपनी की कोर देनदारी नहीं है।

अपेक्षा (x): इरादतन चूककर्ता जहां एक कंपनी किसी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा घोषित इरादतन चूककर्ता हो तो निम्न जानकारी दी जाएगी।

(क) इरादतन चूककर्ता के रूप में घोषणा की तारीख

(ख) चूकों की विस्तृत विवरण (राशि और चूक की प्रकृति)

प्रत्युत्तर: कंपनी को इरादतन चूककर्ता के रूप में घोषित नहीं किया गया है, अतएव अपेक्षा का यह खंड कंपनी पर लागू नहीं होगा।

अपेक्षा (xi): स्ट्रक ऑफ (बंद पड़ी) कंपनियों से संबंध

जहां कंपनी की लेनदेन कंपनी अधिनियम 2013 या कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 560 के अन्तर्गत स्ट्रक ऑफ कंपनियों से हों तो संबंधित जानकारी दी जाएगी।

प्रत्युत्तर: कंपनी का स्टॅक ऑफ कंपनियों के खास कोई संबंध और लेनदेन नहीं है।

अपेक्षा (xii): कंपनियों के पंजीयक के पास आरोपों या समाधानों का पंजीकरण

जहां किसी आरोप या समाधान का पंजीकरण आरओसी के पास वैधानिक अवधि से पूरे बाकी हो तो उसकी जानकारी विवरण और कारण के साथ दी जाएगी।

प्रत्युत्तर: कंपनी के पास किसी निधि की देनदारी नहीं है, या कंपनी ने अपनी किसी संपत्ति की प्रतिभूति के विरूद्ध किसी सुविधा का उपयोग किया है। अतएव, यह खंड कंपनी पर लागू नहीं होता।

अपेक्षा (xiii): कंपनियों के लेयर्स की संख्या का अनुपालन

जहां कंपनी ने अधिनियम की धारा 2 के खंड (87) जिसे कंपनी (लेयरों की संख्या पर प्रतिबंध 2017 के साथ पढ़ा जाना है) के अन्तर्गत विहित लेयर्स का अनुपालन नहीं किया है, तो विनिर्दिष्ट लेयरों से अधिक वाली कंपनियों के नाम और सीआईएन तथा उनके संबंध या ऐसी अनुप्रवाह कंपनियों की होल्डिंग के विस्तार तक की जानकारी दी जाएगी।

प्रत्युत्तर: कंपनी के पास कोई प्रत्यक्ष या स्टेप डाउन अनुषंगी या सहायक कंपनियां नहीं है, अतएव यह खंड कंपनी को लागू नहीं होता।

अपेक्षा (xiv): अनुपात विश्लेषण

क) चालू अनुपात = चालू आस्तियां, चालू देयताओं द्वारा विभाजित **(रुपए लाख में)**

विवरण	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
चालू आस्ति	84,138.99	85,504.47
चालू देयता	126,565.93	127,241.19
अनुपात	0.66	0.67
पूर्व वर्ष से बदलाव %	-1.07%	

25% से अधिक बदलाव का कारण : एन/ए

ख) ऋण इक्विटी अनुपात = कुल ऋण कुल इक्विटी के विभाजित जहां कुल ऋण चालू और गैर चालू देनदारियों को संदर्भित है। **(रुपए लाख में)**

विवरण	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
कुल ऋण	1,343,234.72	1,130,984.88
शेयरधारकों की कुल इक्विटी	431,370.70	374,137.36
अनुपात	3.11	3.02
पूर्व वर्ष से बदलाव %	3.01%	–

25% से अधिक बदलाव का कारण : एन/ए

ग) ऋण सर्विस कवरेज अनुपात = ऋण सर्विस के लिए उपलब्ध अर्जन कुल ब्याज और मूल पुनर्भुगतान से विभाजित

निगम ने वर्ष के दौरान किसी भी ब्याज और मूल राशि का पुनर्भुगतान नहीं किया है अत: अनुपातों को अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता।

घ) इक्विटी अनुपात पर रिटर्न = कर के बाद लाभ/(हानि) औसत शेयरधारक इक्विटी से विभाजित **(रुपए लाख में)**

विवरण	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
कर के बाद लाभ/(हानि)	(1,949.32)	(2,139.48)
शेयरधारकों का औसत इक्विटी	402,754.03	355,213.43
अनुपात	-0.48%	-0.60%
पूर्व वर्ष से बदलाव %	-19.64%	-

25% से अधिक बदलाव का कारण : एन/ए

च) नियोजित पूंजी पर रिटर्न = ब्याज और करों के पूर्व अर्जन नियोजित पूंजी से विभाजित (रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
कर पश्चात निवल लाभ (क)	(1,949.32)	(2,139.48)
वित्त लागत (ख)	32.75	57.17
कल कर खर्च (ग)	(520.49)	71.46
इबीआईटी (घ) = (क)+(ख)+(ग)	(2,437.06)	(2,010.85)
कुल इक्विटी (च)	431,370.70	374,137.36
कुल ऋण (छ)	1,343,234.72	1,130,984.88
नियोजित पूंजी (ज) =(च)+(छ)	1,774,605.42	1,505,122.24
अनुपात (घ)/(ज)	-0.14%	-0.13%
पूर्व वर्ष से बदलाव %	2.79%	-

25% से अधिक बदलाव का कारण : एन/ए

(छ) निगम ने अभी तक परिचालन प्रारंभ नहीं किया है। अतएव निम्न अनुपातों को अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता।

- सूची कुल बिक्री अनुपात = बेची गई वस्तुओं की लागत, औसत सूची से विभाजित
- व्यवसाय/प्राप्य सूची अनुपात = निवल क्रेडिट बिक्री, औसत व्यवसाय प्राप्य से विभाजित
- व्यवसाय प्राप्य सूची अनुपात = निवल क्रेडिट खरीदी, औसत व्यवसाय प्राप्य से विभाजित
- निवल पूंजी सूची अनुपात = निवल बिक्री औसत कार्यरत पूंजी से विभाजित जहाँ, निवल कार्यरत पूंजी = चालू आस्तियां - चालू देयताएँ
- निवल लाभ अनुपात = निवल आय/(हानि) कर पश्चात निवल बिक्री से विभाजित
- निवेश पर रिटर्न = निवेश से आय को निवेश के जमा शेष से विभाजित

उपरोक्त वर्णित गैर जीएपीपी उपायों की अन्य कंपनियों द्वारा रिपोर्ट किए गए ठीक ऐसे ही उपायों से तुलना नहीं की जा सकती। आगे, यह नोट किया जाना चाहिए कि यह खर्चा सामान्यत: स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांत के परिचालन निष्पादन या तरलता के उपाय नहीं हैं और इनकी तुलना अन्य कंपनियों द्वारा बताए गए ऐसे ही उपायों से नहीं की जा सकती।

अपेक्षा (xv) व्यवस्थाओं के अनुमोदित योजना(ओं) के साथ अनुपालन

जहां व्यवस्थाओं की योजनाओं को कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 230 से 237 की शर्तों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है, कंपनी इस बात की जानकारी देगी कि, व्यवस्था की ऐसी योजना के प्रभाव से 'योजना' और लेखांकन मानकों के अनुसार कंपनी के लेखा खाते में दर्ज किया गया है। तथा इस संबंध में किसी भी विचलन को स्पष्ट किया जाएगा।

प्रत्युत्तर: कंपनी ने व्यवस्थाओं की योजना का कोई आवेदन नहीं किया है अतएव, यह खंड कंपनी पर लागू नहीं है।

अपेक्षा (xvi) उधार ली गई निधि और शेयर प्रीमियम का उपयोग

क) जहां कंपनी ने किसी अन्य व्यक्ति(यों) या संस्था(ओं), विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित को इस समझ लिखित ये रिकार्ड किया गया हो या अन्य के साथ अग्रिम या ऋण या निवेश निधि प्रदान किया हो, तो मध्यस्थ,

i) प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: किसी अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं जिनकी पहचान किसी भी तरीके से कंपनी अंतिम लाभार्थी द्वारा या के लिए की गई हो को ऋण देना या निवेश करना या

ii) अंतिम लाभार्थी की ओर से गारंटी, प्रतिभूति या समतुल्य उपलब्ध कराएं। ऐसा ही कोई अन्य प्रदान करेगा, कंपनी निम्न के बारे में जानकारी देगी:-

(I) प्रत्येक मध्यस्थ के विस्तृत विवरण के साथ मध्यस्थों को प्रदान की गई या ऋण दी गई या निवेश की गई राशि तारीख के साथ

(II) अंतिम लाभार्थी के विस्तृत विवरण के साथ ऐसे मध्यस्थों द्वारा अन्य मध्यस्थों या अंतिम लाभार्थियों को प्रदान की गई अग्रिम या ऋण या किए गए निवेश की निधि की जानकारी राशि और तारीख के साथ

(III) अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से प्रदान की गारंटी, प्रतिभूति या समान कोई अन्य दी गई राशि और तारीख।

(IV) उस आशय की घोषणा कि विदेशी विनियम प्रबंधन अधिनियम 1999 (1991 का 42) तथा कंपनी अधिनियमों के संबंधित प्रावधानों का ऐसे लेनदेनों के

लिए अनुपालन किया गया है तथा ऐसे लेनदेनों में मनी लांड्रिग अधिनियम 2002 (2003 का 15) का उल्लंघन नहीं होता;

प्रत्युत्तर: क) कंपनी ने किसी अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उपर बताए गए उद्देश्यों के लिए कोई अग्रिम या ऋण या निधि का निवेश (उधार ली गई निधि या शेयर प्रीमियम या कोई अन्य स्रोत या निधि का प्रकार) प्रदान नहीं किया है। अतएव इस खंड की अपेक्षा लागू नहीं है,

ख) जहां एक कंपनी ने किसी व्यक्ति(यों) या संस्था(ओं), विदेशी संस्थाओं सहित (फंडिंग पार्टी) से इस समझ के साथ (चाहे लिखित में रिकार्ड किया गया हो या अन्यथा) निधि प्राप्त की है, तो कंपनी

(i) प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: किसी अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं जिनकी पहचान किसी या तरीके से या फंडिंग पार्टी (अंतिम लाभार्थी) की ओर से की गई हो को ऋण प्रदान करेगी या निवेश करेगी या

(ii) अंतिम लाभार्थी की ओर से कोई गारंटी/प्रतिभूति या समान सुविधा प्रदान करना, कंपनी निम्न के बारे में जानकारी देगी

(I) प्रत्येक फंडिंग पार्टी के विस्तृत विवरण के साथ फंडिंग पार्टियों से प्राप्त निधि की तारीख और राशि

(II) अन्य मध्यस्थों या अंतिम लाभार्थियों के विस्तृत विवरण के साथ अन्य मध्यस्थ या अंतिम लाभार्थी को दी गई निधि, अग्रिम या ऋण या निवेश की राशि और तारीख

(III) अंतिम लाभार्थियों के ओर से गारंटी, प्रतिभूति या प्रदान किये गये अन्य समान राशि की तारीख और राशि

(IV) यह घोषणा कि विदेशी विनियम प्रबंधन अधिनियम 1999 (1999 का 42) तथा कंपनी अधिनियम का ऐसे लेनदेनों के लिए अनुपालन किया गया है तथा ये लेनदेन मनी लांड्रिंग अधिनियम 2002 (2003 का 15) का उल्लंघन नहीं करते

प्रत्युत्तर: कंपनी ने विदेशी संस्थाओं सहित (फंडिंग पार्टी) इस समझ के साथ चाहे लिखित में रिकार्ड किया गया हो या अन्यथा किसी व्यक्ति(यों) या संस्था(ओं) कोई निधि नहीं प्राप्त की है। अतएव इस खंड की प्रकटन अपेक्षा कंपनी पर लागू नहीं है।

जैसाकि शीर्षक `एल`। कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III का खंड II अतिरिक्त विनियामक सूचना में विहित है।

नोट 31: अन्य गैर चालू आस्तियां, ऋण, अन्य वित्तीय आस्तियां, अन्य वित्तीय देयताएं आदि के कुछ शेष पुष्टि, लेखा समाधान और समायोजन, यदि कोई हो के अधीन है।

नोट 32: रूस यूक्रेन युद्ध का प्रभाव

रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का प्रभाव वैश्विक अर्थ-व्यवस्था पर पड़ रहा है। कुछ वस्तुओं (जैसे सीमेंट, स्टील, इंधन आदि) के मूल्यों में वृद्धि हुई है जो युद्ध के कारण हो सकता है।

नोट 33: कोविड-19 महामारी का प्रभाव

कोविड-19 महामारी के कारण लगभग 1 महीने तक सभी कार्यो को रोक दिया गया था। यहां तक कि उसके बाद भी श्रमिकों की सीमित उपलब्धता तथा आपूर्त्ति शृखंला में अंतराल के कारण प्रगति काफी धीमी रही है। एमएमआरसीएल ने 6 महीने की अवधि को कोविड प्रभाव अवधि माना है तथा इस अवधि के लिए लागत विचलन को ध्यान में रखा गया है। कोविड महामारी अभी खत्म नहीं हुई है तथापि, काम पर पड़ने वाला इसका प्रतिकूल प्रभाव कम हुआ है, आगे की अवधि में कोविड के अनुवर्ती प्रभावों यथासमय आकलित किया जाएगा।

नोट 34: मेट्रो निर्माण संविदा पर लागू जीएसटी दरें 18 जुलाई 2022 से संशोधित होकर 12% से 18% हो गई है। कंपनी दर बदलाव के वित्तीय प्रभाव का आकलन करने की प्रक्रिया में है।

नोट 35: पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप लाने के लिए जहां कहां भी जरूरी हो, पुन: समूह/पुन:कथित किया गया है।

निदेशक मंडल के लिए एवं की ओर से

ऋतु देब कंपनी सचिव सदस्यता संख्या : एफ6754	**अबोध खंडेलवाल** निदेशक (वित्त) डीआईएन: 07807394	**अश्विनी भिडे** प्रबंध निदेशक अतिरिक्त प्रभार पर डीआईएन:0002861008

स्थान : मुंबई
दिनांक : 09 अगस्त, 2022

टिप्पणियां

टिप्पणियां

Crossover
समपार (क्रॉसओवर)

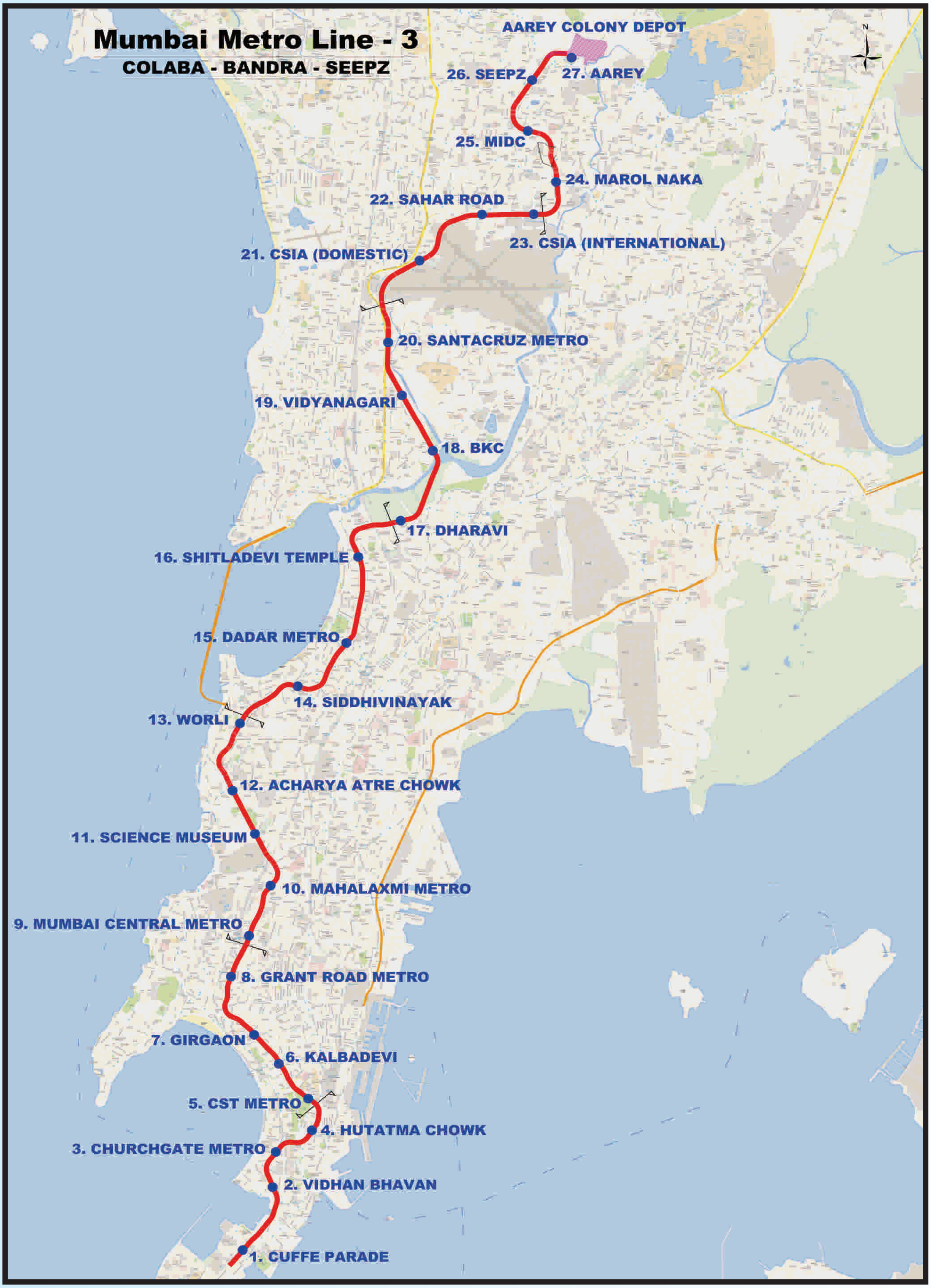

printed by : jivankala86@gmail.com, 9821300233

MUMBAI METRO RAIL CORPORATION LIMITED

(JV of Govt.of India and Govt.of Maharashtra)

"TRANSIT OFFICE", E- Block, North Side of City Park,

Behind Income Tax Office, "A"- wing, Bandra E, Bandra Kurla Complex,